तृतीय माला, खण्ड १७—अंक ४७

शनिवार, २० अप्रैल, १९६३
३० चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १७ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७१५
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य, १९६०-६१) . .	४७१५
९ अप्रैल १९६३ को ए क रेलवे पैसेंजर गाड़ी पर नागा विद्रोहियों द्वारा किये गये आक्रमण के बारे में वक्तव्य	४७१६
सभा का कार्य	४७१६—१९
वित्त विधेयक, १९६३–६४	४७१९—७४
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४७१९
श्री कोया	४७१९
श्री बिशनचन्द्र सेठ	४७१९—२३
श्री व० ब०० गांधी	४७२३
श्री का० ना० तिवारी	४७२३—२५
डा० गायतोण्डे	४७२५–२६
श्री सरकार मुरमू	४७२६
श्री परमशिवम्	४७२७
श्रीमती कमला चौधरी	४७२७—३०
श्री यशपाल सिंह	४७३०—३३
श्री कृ० च० शर्मा	४७३३–३४
श्री मनेन	४७३४
श्री दि० सिं० चौधरी	४७३४—३८
श्री फ० गो० सेन	४७३८
श्रीमती लक्ष्मी बाई	४७३८—४०
श्री मोरारजी देसाई	४७४०—५६
खंड २ से ३१ और १ . . .	४७५६—७४
पारित करने का प्रस्ताव	४७७३
श्री स० मो० बनर्जी	४७७३
श्री अ० क० गोपालन	४७७३
श्री रंगा	४७७३–७४
श्री मोरार जी देसाई	४७७४
अधि-लाभ कर विधेयक	४७७४—७९
विचार करने का प्रस्ताव	४७७४
श्री मोरार जी देसाई	४७७४—७७
श्री स० मो० बनर्जी	४७७७
श्री हिम्मतसिंहका	४७७७–७८
श्री रा० बरुआ	४७७८–७९
कार्य मंत्रणा समिति	४७७९
सोलहवां प्रतिवेदन ।	
दैनिक संक्षेपिका	४७८०–८१

लोक-सभा

शनिवार, २० अप्रैल, १९६३

३० चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर के प्रतिवेदन

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—११७७/६३]

(ख) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर के संचालकों को रिपोर्ट तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) उपरोक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा ।

(३) उपरोक्त (१) में उल्लिखित दस्तावेजों को पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—११७८/६३]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं वर्ष १९६०-६१ के लिए आय-व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

९ अप्रैल, १९६३ की एक रेलवे पैसेंजर गाड़ी पर नागा विद्रोहियों द्वारा किये गये आक्रमण के बारे में विवरण

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**:नागा विद्रोहियों द्वारा आसाम में रेलवे पर आक्रमण के बारे में आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई है। यह विवरण २।। पृष्ठ का है, क्या मैं इसे पटल पर रख दूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, इसे रखा जा सकता है, ताकि सदस्य इसे पढ़ सकें।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--११७६/६३]

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**:मैं घोषणा करता हूं कि २२ अप्रैल, १९६३ को शुरू होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(१) आज के आदेश पत्र से बची हुई किसी मद पर विचार ;

(२) राज भाषायें विधेयक १९६३ बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार तथा पारित किया जाना ;

(३) वर्ष १९६०-६१ के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), वर्ष १९६०-६१ के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) और वर्ष १९६३-६४ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा और मतदान।

(४) निर्यात (किस्म नियंत्रण) और निरीक्षण विधेयक, १९६३।

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक १९६३ संयुक्त समिति द्वारा प्रति-वेदित रूप में।

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पर विचार तथा पारित किया जाना ;

मेरा निवेदन है कि सभा की बैठक शनिवार, २७ अप्रैल, १९६३ को भी रखी जाये।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने सूची में जो कार्य बतलाये हैं, उन्हें पूरा करना बिलकुल असंभव होगा। इसलिए उन्होंने यह हल निकाला है कि सदन की बैठक, शनिवार, २७ अप्रैल को भी हो। मेरे विचार में यह बरूहुत ज्यादती है। मेरा खयाल है कि ४ मई को भी बैठक होगी। हर सप्ताह मंत्री महोदय उन पांच दिनों के अलावा, जो हम ने निश्चित किये हैं, और बैठकों के तदर्थ प्रबन्ध की चर्चा करते हैं और हर सप्ताह कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाता है। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रथा को सख्ती से बन्द करें।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने गणपूर्ति सम्बन्धी विधेयक को लाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप सरकार को हिदायत करें कि इस विधेयक को

---

†मूल अंग्रेजी में

सत्र समाप्त होने से पहले पुर:स्थापित कर दिया जाये, ताकि अगले सत्र में इसे पारित किया जा सके। मैं अगले शनिवार को सभा की बैठक रखने का विरोध करता हूं और मेरा सुझाव है कि सदन की बैठक ६ और ७ मई को हो।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि सदन की बैठक ६ और ७ मई को रखी जाये। दूसरी बात यह है कि चीनी के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा आवश्यक है।

†**श्री बैरो** (नाम-निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं यह जानना चाहूंगा कि राजभाषायें विधेयक के लिए कितना समय दिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति को करना है और उस की बैठक आज हो रही है।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : मैं श्री कामत के सुझावों का समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय सदस्यों को तैयारी के लिए अधिक समय मिलना चाहिये। मैं यह भी मानता हूं कि बैठक ११ बजे से ५ बजे तक होनी चाहिये। किन्तु मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इन दिनों के लिए अधिक से अधिक कार्य को विचारने के लिए आपस में फैसला कर लें। किस मद को कितना समय दिया जाना है, इस का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ने करना है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि माननीय सदस्य सारे काम को उपलब्ध समय में समाप्त कर दें। किन्तु इस समय हमें शनिवार को बैठने पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये, जबकि सत्र समाप्त होने को है, यद्यपि मैं समझता हूं कि सरकार को भविष्य में शनिवार सदस्यों के लिए खाली रखने चाहियें।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं ४ मई की बैठक के विरुद्ध नहीं हूं, किन्तु २७ की बैठक के विरुद्ध हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जायेगा, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य कितना है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप ने कहा था कि वित्तीय कार्य को समाप्त करने के लिए बैठक ६ बजे तक रहेगी। इस का अर्थ यह है कि उस के बाद बैठक ११ से ५ बजे तक रहेगी और जो विधेयक शेष १० या १४ दिनों में पारित नहीं किये जा सकेंगे, वे अपने आप स्थगित हो जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्य मंत्रणा समिति में देखा जायेगा कि कौन से विधेयक इतने महत्वपूर्ण हैं जिन्हें सरकार पारित करने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। किन्तु यह निर्णय तो रहेगा कि यदि आधे घण्टे की चर्चा न हुई, तो बैठक ५ बजे तक रहेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : एक और बात यह है कि आयात नीति संबंधी वक्तव्य सदन के बाहर घोषित किये जाने से पहले, सभापटल पर रखा जाना चाहिये था। कुछ समय पूर्व आप ने एक निर्णय दिया था कि जब अधिवेशन चल रहा हो, सब नीति संबंधी मामलों की घोषणा सदन के बाहर नहीं, सदन के अन्दर करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय यहां उपस्थिति नहीं है । उन्हें बताया जायेगा और फिर उनकी प्रतिक्रिया मालूम की जायेगी की स्थिति क्या है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : चीनी के मूल्यों पर चर्चा के बारे में क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य कार्यमंत्रणा समिति में कह सकते हैं कि अमुक विषयों पर विचार किया जाये ।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष की अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और दलित लोगों के बारे में जो रिपोर्ट दी गई थी उस पर पिछले साल बहस नहीं हुई । वह रिपोर्ट अभी तक हमारे पास है । और इस वर्ष की रिपोर्ट का तो अभी तक कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, न अजंडे में और न लिस्ट में जो मिनिस्टर साहब ने दी है । मैंने पहले उनसे पूछा भी था तो उन्होंने फरमाया था कि मिनिस्टर साहब बीमार है । यह बात पिछली बरस की है जो मुझे याद है मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक वह मिनिस्टर साहब अच्छे हुए या नहीं । इस रिपोर्ट पर पिछले साल भी बहस नहीं हुई और इस साल भी अभी तक नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस पर आप डिसकशन करा रहे हैं या नहीं ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : ढेबर आयोग के प्रतिवेदन के लिए, जिस पर सदन में कुछ चर्चा हो चुकी है, हम अगले सप्ताह समय दे रहे हैं । जहां तक अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन का संबंध है, इस पर चर्चा संभव नहीं हो सकेगी, क्योंकि आम राय यह है कि सभा ४ मई को स्थगित हो जानी चाहिये । किन्तु कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री बूटा सिंह : मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं । कांस्टीट्यूशन में इस बात का प्रावीजन है कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर हर साल बहस होगी । ढेबर साहब की जो रिपोर्ट है वह तो शिड्यूल्ड ऐरियाज और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : वही तो उन्होंने कहा है ।

श्री बूटा सिंह : वह नहीं है । ढेबर साहब की रिपोर्ट और है । वह तो शिड्यूल्ड ऐरियाज और शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में है । लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट कमिशन तो संविधान के अनुसार प्रेसीडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है । उसकी रिपोर्ट पर हाउस में डिसकशन होना चाहिये । पिछली बरस की रिपोर्ट पर भी अभी तक बहस नहीं हुई । मैं चाहता हूं कि पिछली साल की रिपोर्ट पर तो इस सेशन में बहस हो जाए ।

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब तो उन्होंने दिया ।

श्री बूटा सिंह : वह दूसरा कमीशन है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं समझा हूं वह यह है कि उन्होंने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट को उनके लिये इस सेशन में लाना मुमकिन नहीं है ।

श्री बूटा सिंह : यह तो संविधान का उल्लंघन है ।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी तरह से आप ला सकते हैं । आप मुझे लिखिए । लेकिन इस वक्त मैं क्या जवाब दूं । वह कहते हैं कि उन्होंने जवाब दे दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बूटा सिंह** : वह इस सेशन में जाना चाहते हैं या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा, नहीं।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय, समय बढ़ाने की मांग की गई थी, क्योंकि उन मांगों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति संबंधी प्रश्न उठाये जाने थे। इस लिये हम ने निर्णय किया था कि आयुक्त के प्रतिबंध पर चर्चा का समय नहीं होगा। हम इसे अगले सत्र में लेंगे। वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बूटा सिंह का कहना यह है कि प्रतिवेदन पर प्रतिवर्ष चर्चा किये जाने का संविदित उत्तरदायित्व है।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। किन्तु साल अभी समाप्त नहीं हो रहा। हम इस पर अगले सत्र के आरम्भ में चर्चा करेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : गणमूर्ति विधेयक के संबंध में क्या स्थिति है।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : हमने इस मामले को विधि मंत्रालय को निर्दिष्ट किया है और उसने एक विधेयक भी तयार किया है। इसे संविधान के सतारहवें संशोधन के साथ लगाया गया है। इसे भी अगले सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैं ने आप से प्रार्थना की थी कि श्री हनानी के पत्र को सभा पटल पर रखा जाये और उस की प्रतियां सदस्यों को दी जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पत्र तो मेरे पास है किन्तु आश्चर्य है कि यह समाचार पत्रों में कैसे प्रकाशित हो गया है।

वित्त विधेयक १९६३-६४

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन १८ अप्रैल, १९६३ को श्री मोरार जी देसाई द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा आरम्भ करेगा, अर्थात् :

"कि १९६३–६४ के वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री कोया** (कोजी कोड़) : दूसरी बात जिस की ओर मैं मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं केरल के हाजदुर्ग और कासरगोड तालुकों के तम्बाकू लगाने वालों की कठिनाइयां हैं वे घटिया किस्म का तम्बाकू उगाते हैं और यदि उन पर ये कर लगाये जायें तो उनका तम्बाकू नहीं बिक सकेग और उन्हें कृषि बन्द करनी पड़ेगी। सैंकड़ों कृषक और मजदूर बेकार हो जायेंगे :

देवबन्द अरबी कालेज की तलाशी से देश के बहुत से लोगों को चिन्ता हुई है। यह तलाशी वित्त मंत्री की हिदायतों के अनुसार की गई थी इस लिए उन्हें सदन को बताना चाहिये कि क्या वहां कोई अवैध या अवांछनीय चीज पाई गई थी।

श्री बिशनचंद्र सेठ (ऐटा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय. बजट में जो भी रिआयतें आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की हैं, मैं कब्ल इस के कि आप के सामने कुछ बातें निवेदन करूं, उनको

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

धन्यवाद देता हूं। कारण उस का यह है कि शेयर मार्केट के रेट जो बहुत मात्रा में गिर गये थे आज उनमें थोड़ी, थोड़ी जान आना शुरू हुई है। मैं इसे एक बड़ी सिगनिफिकेंस की चीज मानता हूं। लेकिन फिर भी टक्स के बारे में जो बातें इस लायक हैं कि उनका जिक्र किया जाय, मैं आप की मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान उन की ओर दिलाना चाहता हूं।

जहां तक बजट प्रापोजल्स का संबंध है उस में एक बड़ी महान् चीज की कमी है और वह यह है कि सारे देश के अनेकों कार्यक्रमों की ओर तो श्री मुरार जी देसाई ने ध्यान दिया है परन्तु एक चीज़ की ओर जिसकी ओर मैं ने गत वर्ष भी निवेदन की थी और आज पुनः उसको दुहराना चाहता हूं कि देश के चरित्र निर्माण संबंध में उन्होंने क्या निर्णय किया। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि चरित्र के लिये कोई स्थान बाकी नहीं रहा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जिस प्रकार का वातावरण देश के अन्दर चल रहा था आज उसका सर्वथा अभाव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के बजट अर्थात् आर्थिक प्रश्न को लेकर तो वित्त मंत्री महोदय ने बहुत सी कल्पनाएं बहुत सी भावनाएं देश के सामने रक्खीं परन्तु क्या देश के चरित्र निर्माण और देश के दैनिक जीवन को सुधारने के संबंध में भी इस बजट के अन्दर किसी प्रकार का प्राविजन है? यह दुख का विषय है कि चरित्र निर्माण के लिए इस बजट के अन्दर कोई भी व्यवस्था नहीं है।

उसके साथ साथ टैक्सेज के संबंध में भारतीय परम्परा के अनुसार दो बातें मान्य की गयी हैं। भारत में जो पूर्वी परम्परा है उस में ऐसा कहा गया है कि एक योग्य शासन यंत्र को टैक्सेज माली की भांति जनता से लेने चाहिये न कि कोयला बनाने वाले की भांति। माली और कोयला बनाने वाला दोनों दरख्त का फायदा उठाते हैं परन्तु अन्तर यह है कि जहां कोयला बनाने वाला दरख्त काटने के बाद दरख्त को भस्मीभूत कर उसे समाप्त कर देता है वहां दूसरी ओर माली उस दरख्त को सींचता है, खाद डावलता है और नाना प्रकार से वह दरख्त की सेवा करता है उस के बाद उस के फल, फूल का लाभ उठाता है। संसार का कोई भी अच्छा शासन इस बात को मान्य करेगा कि उसे देश के अन्दर जनता से टैक्स उसी प्रकार से लेने चाहिए कि जैसे कि माली दरख्त से फायदा उठाता है। शासन की जनता से टैक्स लेते समय माली की सी भावना होनी चाहिए न कि कोयला बनाने वाले की सी। परन्तु हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज देश की मान मर्यादा या भारतीय जनता की परम्पराओं को इन टैक्सेज द्वारा आघात पहुंच रहा है। आदरणीय मंत्री महोदय उस ओर से पूर्णतः आंखें मूंदे बठे हैं और वे उस ओर सोचना भी नहीं चाहते।

जहां तक खर्चे का सवाल है, खर्चे को घटाने की ओर शासन की कितनी उदासीनता है इस के प्रमाण में अनेक सज्जन इस संबंध में बोल चुके हैं। उस संबंध में पुनः कुछ कहना नहीं चाहता परन्तु खर्चा घटाने की ओर से सरकार की पूरी उदासीनता प्रतीत होती है। मालूम देता है कि खर्चा करने का उत्तरदायित्व तो हमारी सरकार पर है और टैक्स देने का उत्तरदायित्व जनता पर है। हमारे देश की जनता पर जो टैक्स लगे हुए हैं, अगर सरकार अपने खर्चों में कमी करती और उन्हें एकहद तक घटा देते जिसकी कि गुंजाइश काफी है तो हमें नये टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। परन्तु सरकार की निगाह टैक्सों को बढ़ाने नये नये टैक्स लगाने की ओर अधिक है देश में जो बढ़ते हुए खर्चे हैं उन को घटाने की जरा भी चिन्ता नहीं है।

इसी के साथ में अमरीका तथा इंग्लैंड की मिसाल आप की सेवा में रखना चाहता हूं। अमरीका और इंग्लैंड के इस साल के बजट में टैक्सेज बड़ी मात्रा में घटाये गये हैं। इन को वहां पर क्यों घटाया गया है? उन्होंने इस बात को मान्य किया है कि अगर देश की जनता में सदभावना और नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कल्पनाएं समाप्त हो गयीं तो देश को बड़ा घाटा पहुंचेगा। इस लिए बजाय इसके कि हम

और टैक्स लगा कर जनता से कुछ रुपया वसूल करें, हमें जनता की सद्भावना की कद्र करनी चाहिए उसे खोना नहीं चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि उससे उनमें नई इंडस्ट्रीज बनाने की कल्पनाएं हो समाप्त हो जांय। ठीक वही स्थिति में अपने आदरणीय वित्त मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। आज जिस प्रकार की टैक्सेशन पालिसी हमारे देश में है उसके प्रति जनता के क्या विचार हैं, इनका दरअसल यदि आप पता लगाना चाहते हैं तो मिनिस्टर बन कर आप उसका पता नहीं लगा पायगे लेकिन अगर आप सामान्य जन की तरह जा कर जनता के बीच में मिक्स करें और पता लगायें तो आपको सही स्थिति मालूम होगी। तब आपको मालम हो जायगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज या सामान्य इंडस्ट्रीज लगाने वालों ने ऐसी कल्पनाएं कर रखी हैं कि अब नये और अतिरिक्त टैक्सों के बाद कोई भी नई इन्डस्ट्री लगाने का अवसर नहीं रह गया है। अब अगर देश में नई इंडस्ट्रीज न लगें तो देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जायगा। इस के अलावा हर साल जो लाखों लड़के ग्रेजुएट्स हो कर और पढ़ाई समाप्त करके निकलते हैं नई इंडस्ट्रीज के अभाव में उनका क्या बनेगा ? अगर देश के अन्दर यह भावना आ गई कि हम नई इंडस्ट्रीज लगा कर किसी तरह का फायदा नहीं उठा सकते हैं तो यह देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। इससे जितना फायदा अतिरिक्त टैक्सेज के लगाने से होगा उससे कहीं ज्यादा यह चीज देश के अहितकर सिद्ध होगी। इसलिए इस स्थिति को सामने रखते हुए मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे कृपा करके इंगलैंड और अमरीका के मौजूदा बजटों में जिन आधारों को उन्होंने मान्यता दी उन की ओर ध्यान देने की कृपा कर ताकि उनके मन के अन्दर से यह भ्रम निकल जाय कि अगर हम ने टैक्सेज नहीं बढ़ाये तो हमारा बजट खराब हो जायगा। मैं तो ऐसा विश्वास करता हूं कि अगर हमारे देश में व्यवस्थित तौर पर थोड़े ही टैक्सेज हों तो ज्यादा मात्रा में सरकार को पैसा मिल सकता है बजाय इसके कि टैक्सों की भरमार कर दी जाय की जनता त्राहि त्राहि कर उठे और उसकी आत्मा निर्बल हो जाय और टैक्स देने की ओर उसकी रुचि ही न रहे।

इसी के समथ मैं यहां एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। टैक्सेज की ज्यादती के कारण देश का नैतिक स्तर खराब हो गया है। देश के नैतिक स्तर की जांच मैं इस चीज से करना चाहूंगा कि जो लोग व्यवस्यास में हैं और जो टैक्स देने की स्थिति में हैं उनका मौरेल आज कैसा है ? अगर आज टैक्सेज की ज्यादती के कारण देश में इस प्रकार की स्थिति बन गई कि कोई भी आदमी ईमानदारी से अपने टैक्सेज को देना मान्य न करे तो यह देश के लिए बड़ा अहितकर सिद्ध होगा। मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उसका नतीजा सारे देश पर यह है कि जिस ईमानदारी की कल्पना सामान्य नागरिक से की जाती थी आज उसका सर्वथा अभाव होता जा रहा है। यदि इस स्थिति को मान्य किया जाये, तो मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसे टैक्स लगाने से क्या लाभ जिन के कारण सारे देश में चरित्र का स्तर गिर जाये। एक तरफ सरकार को होने वाले आर्थिक लाभ को रखा जाये और दूसरी तरफ सारे देश की जनता का अगर चरित्र-बल कमजोर हो गया और टैक्स न देने की प्रवृत्ति से अगर उस में जो ईमानदारी का अभाव हो गया, उसको रखा जाये और उन दोनों को तोला जाये, तो निश्चित रूप से देश का नैतिक स्तर गिर जाना ज्यादा हानिकारक है बजाय इसके कि सरकार थोड़ा ज्यादा रुपया लेकर उस को बेजा तौर पर खर्च करे।

मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस असहनीय टैक्स के स्थान पर सहनीय टैक्स होता और जनता उस को मान्य करती, तो स्थिति इस से भिन्न होती उस से सरकार को ज्यादा रुपया प्राप्त होता और देश में नई इंडस्ट्रीज लगने का यह लाभ होता कि अनेकों नये नये उद्योग और व्यवसाय देश में स्थापित हो जाते और साथ ही हमारे लाखों नौजवान उन में लग जाते। यह ठीक है कि वित्त मंत्री महोदय ने टैक्सेशन में चैंज किया है। इससे पहले मैं यह आशा नहीं करता था कि फारेन कम्पनियां या फारेन इन्वेस्टर हिन्दुस्तान में रूपया लगायगे, लेकिन भगवान् की कृपा से वित्त मंत्री महोदय ने उसके लिए उपयुक्त परिवर्तन कर दिये। किन्तु फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

देश में नई इंडस्ट्रीज लगाने के संबंध में आज भी जो स्थिति है भयानक है । आज लोगों में यह भावना ही नष्ट हो गई है कि वे देश में नई इंडस्ट्रीज लगायें । वित्त मंत्री महोदय को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

टैक्स और एक्साइज के संबंध का आदरणीय वित्त मंत्री महोदय का बहुत अच्छी तरह से परिचय है, लेकिन मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं जो चीज कारखाने से एक रूपये में बन कर आती है, टैक्स, ड्यूटी और सेल्ज़ टैक्स वगैरह लगने के बाद वह जनता तक दो रूपए में पहुंचती हैं । कुछ लोग बड़ी बड़ी कम्पनीज पर टैक्स लगाने के बारे में चिल्लाते हैं, परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी कम्पनी पर कोई टैक्स नहीं लगता बल्कि सारा टैक्स देश के निर्धन लोगों पर और उन वस्तुओं का इस्तेमाल करने वालों पर लगता है ।

मिट्टी के तेल पर ड्यूटी बढ़ाने के पक्ष में वित्त मंत्री ने जो तर्क दिया मैं आज तक उसको समझ नहीं सका । मैंने समझने की काफी चेष्टा भी की, लेकिन मैं नहीं समझा । उन्होंने कहा कि हम ने मिट्टी के तेल पर इस लिए ड्यूटी बढ़ाई है कि जनता में उसकी खपत कम हो जाये । परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर मिट्टी के तेल को कौन इस्तेमाल करता है । हमारे देश में जहां बिजली नहीं है, वहां के लोग या निर्धन जनता मिट्टी के तेल को इस्तेमाल करती है । उन्होंने कहा कि हम फारेन एक्सचेंज को बचाने के ख्याल से ऐसा कर रहे हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फारेन एक्सचेंज पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा । सरकार चाहे टैक्स बढ़ाये या कम करे, जिन लोगों ने अपने घरों में लाल्टेन जलानी है, जिन को मिट्टी के तेल से कार्य करना है, वे अनिवार्यत: ऐसा करेंगे । एक निर्धन परिवार बिना किसी कारण ही , जबर्दस्ती, मिट्टी के तेल की बोतल को नहीं फेंक देता है । वह जरूरत के लिए उस को इस्तेमाल करता है । इस लिए चाहे टैक्स बढ़ा कर ज्यादा मूल्य पर मिट्टी का तेल दिया जाये, या टैक्स कम कर के कम मूल्य पर जिन लोगों ने अपनी जरूरत के लिए उस को इस्तेमाल करना है, वे ऐसा करते ही रहेंगे । मैं नहीं समझ सकता कि इस से फारेन एक्सचेंज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

माननीय सदस्य, श्री वारियर, ने कल अपनी स्पीच में कहा कि वैल्थ टैक्स अधिक बढ़ाया जाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सिद्धांत रूप से उनकी बात को अमान्य करता हूं । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब तक कहीं पर धन एकत्रित होने का क्रम देश की आर्थिक व्यवस्था में नहीं रखा जायगा, तब तक नई इंडस्ट्रीज किस आधार पर लगेंगी । नई इंडस्ट्रीज़ तभी लग सकतीं हैं, जब कि कहीं पर धन एकत्र किया जाये और उस से नई इंडस्ट्रीज लगाई जायें ।

मैं वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि गोल्ड कंट्रोल रूल्ज़ के लागू होने के बाद से देश के स्वर्णकारों की जिस प्रकार की दयनीय स्थिति हो गई, ईश्वर के लिये उस पर गम्भीरता से विचार करें । दो तीन बातें बहुत ही दिक्कत की हैं, जो कि सारे समाज के लिए बड़ा महत्व पूर्ण प्रश्न बन गई हैं । यद्यपि सरकार की ओर से कुछ संशोधन किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी है, कई जगह पर उसको छोड़ने से वर्जित किया गया है । इस प्रकार की दिक्कतों पर सावधानी से विचार किया जाये, ताकि ऐसी परिस्थिति पैदा न हो कि जिन लोगों ने किसी के पास अपनी चीज़ गिरवीं रखी वह उसे छड़ा न सके ।

जहां तक सुनारों का संबंध है, उन के बारे में समाचारपत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं, जो बहुत ही दु:खद हैं । मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय को ऐसे विशेष आदेश देने चाहिएं कि जो लोग निर्धनता और काम न मिलने के कारण अपने जीवन से दु:खी हो गये हैं, उन के लिए तुरन्त ऐसी व्यवस्था की जाये कि कम से कम वे सामान्य जीवन निर्वाह तो कर सकें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के कार्यक्रम में जो कमी अंग्रेज के टाइम में नहीं थी, आज हमारे कार्यक्रम में वह अभी भी मौजूद है। एक कागज को एक मेज से दूसरे मेज तक जाने में हफ्ते और महीने लग जाते हैं। मैं आप के द्वारा बड़ी विनय के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इमर्जेंसी के समय में भी जब कि चीन का खतरा हमारे सामने मौजूद है, अगर हमारे कार्यक्रम में इतनी ढिलाई है, तो यह खेद का विषय है। अगर इस ढिलाई को दूर कर दिया जायगा, तो शासकीय खर्च भी घटेगा और उसके साथ ही हमारी एफिशेन्सी भी बढ़ेगी। इस स्थिति में लाल-फीताशाही को दूर करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद दे कर अपना आसन ग्रहण करता हूं।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : वित्त मन्त्री ने अपने वचन के अनुसार, अपने वक्तव्य में रियायत और राहत की घोषणा कर दी है। हम इस वक्तव्य का स्वागत करते हैं और मिट्टी के तेल, विदेशियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर आय-कर और अधिलाभ कर के मामले में जो रियायतें दी गई हैं, वे सब उचित हैं।

आय-व्ययक सत्र में सदस्यों को बहुत से प्रशासनिक प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं और उनमें से अधिकतर उत्साहवर्धक हैं। मैं १९६२-६३ के आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन से बहुत प्रभावित हुआ हूं। इसमें से तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला यह कि हमारे विदेशी व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा यह कि हमारी अर्थ-व्यवस्था अधिक लागत वाली है और तीसरा यह कि देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है।

जहां तक कीमतों के बढ़ने का प्रश्न है, सरकारी प्रतिवेदनों में कीमतों की वृद्धि के बारे में जो जानकारी लिखी रहती है वह अपर्याप्त और अपूर्ण होती है। वस्तुतः इन आंकड़ों का तात्पर्य क्या होता है, वस्तुतः हम यह जानना चाहते हैं कि इस बीच उपभोक्ता, विनियोजक तथा मजदूर की क्रयशक्ति में क्या परिवर्तन हुआ।

जहां तक क्रयशक्ति का प्रश्न है, मैं उपभोक्ता के क्रयशक्ति के देशनांकों को लेता हूं, यह देशनांक १९५५ में ९६ था, १९६२ में १३६ हो गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है।

अन्त में मेरा सुझाव यह है कि निर्यात उद्योगों के बारे में हमें अपनी विनियोग नीति में बुनियादी परिवर्तन करने चाहियें। हमारे व्यापारियों या निर्माताओं को स्वदेशी बाजार से जो दिलचस्पी है उसे दूर कर दिया जाये।

व्यापारियों को संरक्षित स्वदेशी बाजार से काफी सन्तोष है तथा वे प्रसन्न हैं अतः हमें चाहिये कि हम स्वदेशी बाजार में प्रतिबन्ध लगायें और यदि सम्भव हो तो थोड़ा प्रतिशत निर्यात के लिये सुरक्षित रखें।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कृपा करके समय दिया।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया और उसके बाद उसमें उन्होंने जो छूट दी है है उससे कृषकों का जो फायदा हुआ है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ५ रु० तक की मालगुजारी की छूट उन्होंने दी है वह काफी नहीं है। कम से कम १५ रु० की मालगुजारी तक की छूट होनी चाहिये। जो लोग १५ रु० से कम की मालगुजारी देते हैं उन पर कम्पलसरी सेविंग लागू नहीं होनी चाहिये। वैसे तो मेरा ख्याल है कि किसानों के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० ना० तिवारी]

में जो मालगुजारी का आधा कम्पलसरी सेविंग के लिये नियत किया गया है वह होना ही नहीं चाहिये था, इसलिये कि उनकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। इस सम्बन्ध में नेशनल सैम्पल सर्वे ने १९५५ में अपनी रिपोर्ट में बतलाया था कि :

"लगभग ५१.६ प्रतिशत किसानों का व्यय १०० रुपये महीने से भी कम है। कृषि मजदूर जांच समिति के सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि वास्तव में स्थिति इस से भी खराब है। कृषि में लगे हुए मजदूरों की संख्या कुल आबादी का १२ प्रतिशत है। उनकी औसत वार्षिक आमदनी १९५०-५१ में १०४ रु० थी जो १९५६-५७ में घट कर ९९.४ रुपये हो गयी। इसी अवधि में भारत में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी प्रति-वर्ष क्रमशः २६५.२ और २९१.५ रुपये रही है।"

इस आंकड़े से मालूम होता है कि किसानों की आमदनी जो है वह किसी भी तरह नहीं बढ़ी है। इसके अलावा देहात में रहने वाले जो हम लोग हैं उनका अपना अनुभव है कि किसानों को केवल इस कम्पलसरी सेविंग का रुपया ही नहीं देना होता है बल्कि शिक्षा के सम्बन्ध में उनका कर बढ़ा है जिसको एजुकेशन सेस कहते हैं, इसके अलावा हर एक प्राविंशल गवर्नमेंट जो है वह कहीं पर ५० प्रतिशत, कहीं पर ७५ प्रतिशत और कहीं पर शत प्रतिशत मालगुजारी बढ़ा रही है। इस के अलावा उनको ग्राम पंचायतों का कर और इसी तरह के अनेक कर देने होते हैं साथ ही पोस्ट कार्ड का दाम बढ़ गया, उनके बच्चों की स्कूल और कालेज की फीस बढ़ गई, मिट्टी के तेल का दाम बढ़ गया, जो लोग कल से खेती करते हैं उन पर डीजिल पैट्रोल का दाम बढ़ गया। रेलवे से जो माल आता जाता है उसका दाम बढ़ गया। इन सब चीजों का भार किसानों को वहन करना पड़ता है। चाहिये तो यह था कि उन पर यह कम्पलसरी सेविंग लागू ही न की जाती। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में हमारे वित्त मन्त्री जी को उसे लगाना पड़ रहा है तो कम से कम १५ या २० रु० तक की मालगुजारी पर छूट होनी चाहिये।

इसके साथ साथ हमारे वित्त मन्त्री को एक और बात पर ध्यान देना चाहिये। और प्रदेशों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहां, जहां पर कि परमनेन्ट सेटलमेंट है, वहां अच्छी किस्म की जमीनों की मालगुजारी जो पड़ती है वह लगभग २ या ३ रु० पर एकड़ होती है। डेढ़ एकड़ के करीब एक बीघा होता है, उसके हिसाब से मालगुजारी होती है। लेकिन खराब जमीन का जो अभी बन्दोबस्त है, उसकी मालगुजारी १२, १४ या १५ रु० पर एकड़ है। इस तरह से जो खराब जमीन हैं, जो कि खास तौर से हरिजनों और गरीबों आदि को दी गई हैं उनकी मालगुजारी इतनी ज्यादा है कि कोई भी गरीब आदमी देहात का ऐसा नहीं बचेगा जो कि इस छूट का लाभ उठा सके। इसलिये हमारे वित्त मन्त्री महोदय को इस बात पर फिर गौर करना चाहिये। चाहिये तो यह कि जो अच्छी जमीन है, जिस की मालगुजारी कम है, पहले उसकी मालगुजारी बढ़ा दी जाये और तब उसके बाद यह कानून लागू किया जाए, जिसमें कि जो लोग अच्छी जमीन लेने वाले हैं वे भी इस बोझ को उठाये।

आज जो कृषक हैं उनकी पैदावार की कीमत बहुत कम है। जैसे कि जूट की कीमत है। जूट की कलकत्ता प्राइस ३० रु० है, लेकिन दरअस्ल किसान के हाथ में जो जाता है वह है सिर्फ १२, १४ या १५ रु०। इसके लिये ऐसा प्रबन्ध किया जाये जिसमें कि किसानों को कम से कम २५ रु० मिले। उनके जो खाद्यान्न हैं उनकी कीमत भी इस तरह से तय की जाये कि जो उनकी लागत लगती है उससे अधिक उनको मिले। जो कंज्यूमर्स हैं खाली उनका ही खयाल न रखा जाय, जो लोग कलकत्ता या बड़े शहरों में रहते हैं उनका ख्याल करके ही उसका दाम निश्चित न किया जाये। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, जूट का दाम इस तरह से तय किया जाये कि कम से कम २५ रु० फी मन किसानों को मिले। यह उनको बड़ी आसानी से मिल सकता है क्योंकि बोरे का वजन ढाई मन का होता है। बाजार में वह ११२

रु० से लेकर ११४ रु० सैकड़ा तक बिकता है, बल्कि कभी कभी और भी महंगा हो जाता है जबकि किसानों से जूट १२, १४ या १५ रु० में खरीदा जाता है। किसानों से खरीदने के बाद ट्रांसपोर्ट की या मैनुफैक्चरिंग कास्ट इतनी नहीं पड़ जाता कि किसानों को इतना कम पैसा जूट का मिले। इस पर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके।

इसी तरह से गन्ने की कीमत का सवाल है। जो लेबरर हैं उनकी तनख्वाह ५० रु०, ७५ रु० और ८५ रु० के करीब है। मिल मालिकों को भी काफी छूट मिली है,लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, उनको काफी दाम नहीं मिलता है। आजकल चीनी की हाय हाय मची हुई है, लेकिन चीनी जिससे तैयार होती है उसको बोने का जो काम करते हैं उनके लिये इन्सेंटिव नहीं है। अगर उनको इन्सेन्टिव देना है तो उनको ईख की कीमत अच्छी मिलनी चाहिये। मेरा ख्याल है कि वह कम से कम २ रु० फी मन होनी चाहिये।

अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां चम्पारन में जूट काफी पैदा होता है और वह जूट कलकत्ता जाता है। एक तो ट्रांसपोर्ट की डिफिकल्टी की वजह से और उसके अलावा दूसरी डिफिकल्टीज की वजह से जूट समय पर वहां नहीं पहुंच पाता है और उसको कीमत कम मिलती है। इसलिए एक जूट फैक्टरी हमारे जिले में होनी चाहिए जहां लाखों मन जूट होता है और जहां उस फैक्टरी के लिए सबसे ज्यादा सुविधा है।

तीसरी बात यह है कि उत्तरी बिहार, बिहार का एग्रीकल्चरल पार्ट है। वहां शुगर फैक्टरीज के सिवा और कोई कारखाने नहीं हैं। उत्तर बिहार का इलाका नेपाल की सीमा के पास है इसलिए इसके विकास की बहुत आवश्यकता है। और इसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस इलाके को दक्षिण बिहार से न जोड़ा जाए। इसलिए पटना के पास एक पुल होना चाहिए जो कि उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़े। आजकल इमरजेंसी के समय में स्ट्रेटजी के लिहाज से भी इस पुल का होना नितान्त आवश्यक है।

†**डा० गायतोंडे** (गोआ, दमन और दीव) : यह कहा गया है कि वित्त मन्त्री के दो कार्य हैं पहिला जनता से अधिक से अधिक धन प्राप्त करना और दूसरे उसे उपयुक्त विकास कार्यों में लगाना। मन्त्री महोदय ने कहा है कि करों का भार जनता पर उनके कर वहन क्षमता के अनुसार समानता से वितरित किया जाये। तथापि अप्रत्यक्ष करों का भार सारी जनता पर पड़ेगा। यह स्मरण रखना चाहिये कि भारत की ३० प्रतिशत जनता की आय ५ व्यक्तियों के परिवार के लिये १०० रु० से भी कम है। इन परिस्थितियों में अतिरिक्त करों से उनके निर्वाह स्तर में और कमी होगी और हमें इस प्रकार राष्ट्र का स्वास्थ्य खराब होगा।

स्वास्थ्य की दृष्टि से तम्बाकू खाना धूम्रपान से भी खतरनाक है फिर भी सरकार ने खाने वाले तम्बाकू पर अन्य किस्म के तम्बाकू की अपेक्षा कम कर लगाया है।

वित्त मन्त्री ने सामाजिक सुधार का भी उल्लेख किया है। हम सभी चाहते हैं कि देश में सामाजिक सुधार हो परन्तु प्रश्न यह है कि क्या बजट रखने से यह सुधार होगा। पिछले महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन में आय के पुनर्वितरण और असैनिक खपत कम करने के लिये कई कदम उठाये गये थे यही कदम यहां भी उठाये जाने चाहियें।

यद्यपि वित्त मन्त्री ने यह कहा है कि इस धन का व्यय ठीक तरीके से किया जाना चाहिये तथापि जिस प्रकार इस धन का व्यय किया जाता है उससे मैं जरा भी सन्तुष्ट नहीं हूं। डा० राव ने 'इकाना-

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० गातोंडे]

मिस्ट' में एक लेख में यह लिखा था कि हम बिना कुशलता पर आघात किये हुए ५ वर्षों में ७५० करोड़ रुपये बचा सकते थे। आज मंत्रियों के बिजली पानी इत्यादि के बिलों की चर्चा है इनका जनता पर बुरा प्रभाव होता है अतः इस प्रकार के अपव्यय को रोका जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सभा को यह बताया था कि जो सदस्य स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में बोलना चाहें, उन्हें अपने भाषण के अनुवाद के साथ यह भी लिखना होगा कि वे हिन्दी या अंग्रेजी में बोलने में समर्थ नहीं हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): जहां तक मुझे स्मरण है पिछली बार अपने भाषण के पूर्व उन्होंने यह लिख कर दिया था कि वे हिन्दी या अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो क्या ऐसा हर बार लिखना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, वे जितनी बार बोलेंगे उतनी बार लिख कर देना होगा।

†**श्री सरकार मुरमू** (बुलूरघाट)* : सरकार पर संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह अनुसूचित आदिम जातियों के विकास में सहयोग देवे। किन्तु पिछले १२ वर्षों के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह इस संबंध में अपना कर्त्तव्य पूरा करने में विफल रही है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग द्वारा की गयी विविध सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। उनकी उन्नति के लिये आवंटित धनराशि का पूर्व उपयोग नहीं किया जा रहा। जिसका परिणाम यह होता है कि उनके जीवन स्तर की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

आवश्यकता इस बात की है कि आदिम जाति के लोगों को महाजनों, बनों के ठेकेदारों और जोतदारों द्वारा किये जाने वाले शोषण से बचाया जाये। भूमिहीन आदिम जाति के लोगों को खस भूमि के आवंटन तथा वितरण के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिये जैसा कि आयोग ने सिफारिश की है।

अनसूचित आदिम जाति के आयोग ने आदिम जाति के लोगों की शिक्षा के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं उन्हें पूरी तरह कार्यरूप दिया जाये।

मेरा सुझाव यह है कि आदिम जाति के क्षेत्रों में सिंचाई तथा पीने के जल की व्यवस्था की जाये।

परिवहन संबंधी समस्या को हल करने की दृष्टि से बुलूरघाट और माल्वा कस्बे के बीच एक रेलवे लाइन बनायी जानी चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने भाषण अपनी भाषा में दिया। मैं उसे नहीं समझ सका। मैं इस संबंध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो भाषण समझ में नहीं आते हैं उनके अनुवाद हो जाने चाहियें और अध्यक्ष महोदय को उन्हें पहिले देख लेना चाहिये जिससे अवांछनीय बातों को पहिले ही हटा दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा ही किया गया है। हमें उस भाषण का अनुवाद दिया जाता है और यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक बात होती है तो उसे हटा दिया जाता है। हम यह भी आशा करते हैं कि वे प्रेस को वही प्रति देंगे जो वे हमें देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*संथाली में दिये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद।

†**श्री परमशिवन्** (एरोड) : मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गयी रियायतों के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

इस समय देश में दो संकट आये हुये हैं एक राजनैतिक और दूसरा आर्थिक । हमें इन दोनों संकटों का सामना करना है ।

यदि हम तीनों योजनाओं के दौरान किये गये कार्यों पर विचार करें तो आपको ज्ञात होगा कि हम अपने लक्ष्य से काफी पीछे रहे हैं ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में हमारा कार्य सामान्य रहा । यद्यपि हमने राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा था तथापि केवल २॥ प्रतिशत वृद्धि हुई तथा पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति आय में भी कोई वृद्धि नहीं हुई । इसके ऊपर राष्ट्र को प्रतिरक्षा व्यय का बहुत भार वहन करना पड़ा । अतः हमें चाहिये कि हम योजना के लक्ष्य तथा प्रतिरक्षा संबंधी प्रयत्नों को पूरा करने के लिये अपनी राष्ट्रीय आय की प्रगति को प्रतिवर्ष ७ प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश करें ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि देश की उन्नति विशेषतः खेती के विकास पर निर्भर है । तथापि दुख का विषय है कि कृषि उत्पादन में कमी हो गयी है । उसका एक कारण यह भी है कि खेती से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है । सरकार ने धान के मामले में जो नीति अपनायी है वह वास्तविकता से काफी परे है । दुख का विषय है कि किसानों को सस्ते उर्वरक आसानी से ऋण तथा आवश्यक सुविधायें नहीं मिल रही हैं । जिससे वे कृषि का विकास कर सकें । सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह किसानों के लिये खेतिहर पदार्थों के अच्छे मूल्य की व्यवस्था करे ।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच खाई को पाटना चाहिये । यह बात राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के हित में है । प्रादेशिक विषमता दूर की जानी चाहिये ।

जहाँ तक देश की नदियों का प्रश्न है, इस बात के लिये भरसक प्रयत्न किये जायें कि नदियों के जल का अधिक से अधिक उपयोग हो । केरल की नदियों का बहाव पूर्व की ओर मोड़ा जाये जिससे कि मद्रास राज्य में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हो सकें ।

श्रीमती कमला चौधरी (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि देश में जो एक आर्थिक विषमता है, उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में भारी कर लगाये हैं और जनता ने इसी आशा से इन करों के बोझ को सहन किया है कि हमारे देश पर आज संकट है और एक शक्तिशाली शत्रु से हमारा मुकाबला है । मैं आशा करती हूं कि उस में हमें कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी । हमें अपने रक्षा साधनों में इतनी बढ़ोतरी कर लेनी है कि आगे से किसी को हमारे देश के ऊपर आसानी से आक्रमण करने का साहस न हो, कोई भी शत्रु हमारे देश पर अपनी निगाह डालने का साहस न कर सके ।

इसके साथ ही साथ मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं—जिम्मेदारी से तो मैं इस बात को नहीं कह सकती हूं लेकिन जनता में इस तरह की अफवाहें हैं—कि जैसे द्वितीय महायुद्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती कमला चौधरी]

हुआ था कि जो सेना की तरफ से रक्षा के लिये ठेके आदि दिये जाते हैं, उन में आज भी कुछ भ्रष्टाचार है और किफायतशारी नहीं बरती जा रही है। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों का खास ध्यान रखें। इस तरह की बातों से जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर बढ़ते जा रहे हैं और यदि ऐसे ही आगे होता रहा तो ये जनता के ऊपर इतने भारी पड़ जायेंगे कि वह सहन नहीं कर पायगी। मैं समझती हूं कि अगर मूल्यों को बढ़ने से रोकने में सरकार को सफलता न मिली, महंगाई को रोकने में सरकार को सफलता न मिली तो सरकार जनता का कोप भाजन बनेगी। उस वक्त जनता की जो कठिनाइयाँ हैं, वे और भी बढ़ जायेंगी और सरकार जनता के कोप का शिकार बन जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसका पूरा ध्यान रखा जाये और मूल्यों को बढ़ने न दिया जाये।

बजट को देखने से पता चलता है कि हमारी सरकार कृषि के लिये बहुत भारी धनराशि खर्च कर रही है लेकिन इतना होने पर भी अन्न की तथा गन्ने की पैदावार घटी ही है, बढ़ी नहीं है। चूंकि मेरे पास समय कम है, इसलिये मैं आँकड़े आपके सामने नहीं रखना चाहती हूं लेकिन सब आँकड़े मेरे पास मौजूद हैं। यह स्पष्ट है कि अन्न और गन्ने दोनों का उत्पादन कम हुआ है। यह बड़ी चिंता का विषय है। आज भी हमें अन्न के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, यह हमारे देश के लिये शोभनीय नहीं है।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में जो सब से ज्यादा क्रांतिकारी कदम उठाया है वह स्वर्ण के संबंध में है। मेरी पूरी इस में आस्था है कि समाज को बदलने के लिये, समाज की प्रवृत्तियों को बदलने के लिये यह नितांत आवश्यक था कि कोई इस तरह का क्रांतिकारी कदम उठाया जाता। हालाँकि हमारा इस से सीधा संबंध है, स्त्री जाति के पास ही सोना रहता है, लेकिन फिर भी हमने इसका स्वागत किया है। सोना वित्त मंत्री जी ने हम से छीना, उसकी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर रक्षा साधनों के लिये सोने की आवश्यकता है तो हम सब लोग उसका त्याग करने के लिये तैयार हैं। लेकिन यह देख कर हमें चिंता होती है कि आम जनता पर जो तो प्रतिबन्ध है इस विधेयक में, लेकिन जो पूंजीपति हैं, उनकी तिजौरियाँ क्यों नहीं खुल रही हैं, इसको देख कर, ग्रामीण महिलाओं और महिला समाज को दुख होता है। अगर आप, आज्ञा दें तो कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ कर सुनाती हूं :—

जो लिखी चम्पा ने पाती रजधानी दिल्ली पहुंचाई।
राम राम हम सब की वाँचो सुनो अरज मुरारजी भाई॥
माना कोष तुम्हारा खाली कंचन का भारी टोटा है।
लुक छिप सोना लाना रखना यह काम बडा ही खोटा है॥
तस्कर चोरी बन्द करो पर क्यों कंचन मान घटाते हो।
तुम सत्य अहिंसावादी हो क्यों खोटापन बढ़वाते हो॥
मनुज निकल कर पत्थर युग से कंचन के युग में आया है।
फिर ताम्र काल में ढलोगे, यह विकट तुम्हारी माया है॥
बीस बरस में जोड़ जाड़ के गुलशन पट्टी बनवाई थी।

खालिस सोना असली नग हैं बड़े जतन से जुड़वाई थीं ।।
टूट गई लटकन की कड़ियाँ, अब कैसे उनको जुड़वाऊं ।
असली सोने के गहने में क्या खोटा टाँका लगवाऊं ।।
अब सुनार तक छू न सोना बढ़िया कानून बनाया है ।
मखमली घावरे में गाढ़े का भोड़ा पेवन्द लगाया है ।।
सोने की दरकार तुम्हें हैं तो कुछ ऐसा दाँव लगाओ ।
पूंजीपति की स्वर्ग तिजौरी के भारी ताले खुलवाओ ।।
रात पड़ोसिन के हाथों इक बिल्ली का बलिदान हुआ है ।
तुरत स्वर्ग की बनी बिलैया पातक कर्म विदान हुआ है ।।
दान पुरोहित जी ने पाया कुछ गैरों का कल्याण हुआ है ।
मैं डर से चुप बैठी गुलशन पट्टी का नुक्सान हुआ है ।।
दो अधिकार बराबर सब को कुछ मन में सोच विचार करो ।
खोट खोट ही रह जायेगा खोटेपन का उपचार करो ।।

अध्यक्ष महोदय : आप तो निवेदन कर गई हैं। मुश्किल यह है कि इसका जवाब अब कविता में कौन देगा ?

श्री बृज राज सिंह (बरेली) : इसके जवाब में वित्त मंत्री जी चौदह केरट की कविता सुनायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : उप-वित्त मंत्री महोदया बैठी हैं, वह जवाब दे सकती हैं।

श्रीमती कमला चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि स्वर्ण अधिनियम लागू करने के लिये कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्हें पहले छूट दी थी कि स्वर्ण आभूषणों के ऊपर मुलम्मा चढाया जाये। इसका मतलब हुआ, एक तो खोट और दूसरे खोट पर मुलम्मा। इससे जनता और धोखे में पड़ेगी। मेरा यह भी निवेदन है कि चौदह कैरट के स्वर्ण आभूषण जो बाजार में बिकें, उन पर हमारी गवर्नमेंट की कोई मुहर होनी चाहिये। हालांकि खोटे पर मुहर लगाना कोई उचित बात नहीं है, लेकिन लगानी पड़ेगी।

अभी एक माननीय सदस्य ने चरित्र निर्माण की ओर ध्यान दिलाया है। बजट को देखा जाये तो यों उससे कुछ उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन आर्थिक विषमता से चरित्र निर्माण का बहुत संबंध है। एक माननीय सदस्य ने मांग की है वित्त मंत्री महोदय से कि खादी आयोग को समाप्त कर दिया जाये। मैं कहना चाहती हूं कि बापू के समय में गांधी जी ने जो स्वराज्य का नक्शा हमारे सामने रखा था जिस राम राज्य की उन्होंने कल्पना की थी, उस में भी कुछ हम नहीं कर पाये हैं। बापू की देन एक खादी ऐसी रह गई है जिस को हम अभी भी धारण करते हैं हालांकि खादी के प्रति कोई गौरवपूर्ण भावना नहीं रही हैं। लेकिन उस में हमें दरिद्र नारायण के दर्शन होते हैं। मेरा विचार है कि खादी और ग्रामोद्योगों को सरकार को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिये। वित्त मंत्री जी मुझ से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इन बातों को समझते हैं। हम ने जो जो कल्पनायें की थीं, उन में से कोई बात हम पूरी नहीं कर पाये हैं, कोई कल्पना पूरी नहीं हो पाई है। आज भी हम अंग्रेजी के गुलाम हैं। बापू ने जो भाषा हमें बताई थी, उस भाषा को हम ग्रहण नहीं कर पाये हैं, और वह समाज हम नहीं बना पाये हैं, जो बनाया जाना चाहिये था। मैं निवेदन करूंगी कि खादी व्यवसाय

[श्रीमती कमला चौधरी]

जिस में हमारी हजारों बहन, हमारे यहां के गरीब, हमारे यहां के निर्धन भाई लगे हुये हैं, उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिये। साथ ही हमारे वित्त मंत्री महोदय को कुटीर उद्योगों पर भी ध्यान देना चाहिये।

अब मैं भूमि कर के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। प्रांतीय सरकारें इस कर को लगाती हैं। हमारे यहां भी किसानों के ऊपर ऐसा कर है। इसका भार उन पर बहुत अधिक है। आज भी मेरी कांस्टीट्युएंसी के कोई पन्द्रह सौ के करीब काश्तकार यहां दिल्ली आये हुये हैं। वे प्रधान मंत्री जी से भी मिलना चाहते हैं। पहले भी वे मिल चुके हैं। देखा जाय तो सचमुच जो उनकी उपजाऊ जमीन हैं, जिन में एक एक वर्ष में चार चार फसलें हुआ करती थीं, उनको सरकार लेती है। यह ठीक है कि राष्ट्र के हित में यदि उन के लेने की आवश्यकता हो तो उनको लेना चाहिये। लेकिन साथ ही उन के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। अगर काश्तकार को जमीनें नहीं मिलेंगी, मुआवजे में कुछ रुपये मिल जायगे जिस को वे साल दो साल में खा कर बठ जायग, आखिर हमारी उपज का क्या होगा ?

मैं ने कविता में समय ले लिया इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय से यह प्रार्थना तो नहीं कर सकती कि मुझे वे और समय द। मैं उनकी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया। एक बार फिर मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंकी कि हमारे गाजियाबाद की मास्टर प्लैन के लिये जो भूमि हस्तगत कर ली गई है उस के ऊपर वे ध्यान देने की कृपा करें।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, चार लाख टन सीमेंट समुद्र के ऊपर गल गया, अमरीका ने हमारे लिये चार लाख टन सीमेंट भेजा और वह चार लाख टन सीमेंट पत्थर बन गया लेकिन किसी एक भी वजीर से जवाब तलब नहीं किया गया, एक चपरासी तक बर्खास्त नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अभी वह चीज मेरे सामने है। उससे यह साफ नहीं होता, मैं दर्याफ्त कर रहा हूं कि आया गलती हमारी है या उनकी, या समुद्र में हुआ। इसलिये पहले से नतीजा निकाल कर इस तरह की बात शुरू कर देना ठीक नहीं है। अखबार में जो खबर निकली है उससे यह साफ नहीं होता कि आया हमारा कोई कुसूर है या समुद्र में हुआ, या चलने पर हुआ। इस वास्ते पहले से अपनी जिम्मेदारी लेकर ऐसी बात शुरू कर देना ठीक नहीं है।

श्री बृज राज सिंह : बहरहाल हमारी जनता पर तो वार पड़ ही गया।

श्री यशपाल सिंह : हमारा बोझ ज्यों का त्यों है, बर्डन ज्यों का त्यों है। खून कोई पिये, पिया तो मेरा ही। मगर जैसा आप का हुक्म है, मैं आप के हुक्म की तामील करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ इसलिये कहना चाहता हूं कि हम पहले से अपने जिम्मे इस को लेकर अपने को कुसूरवार क्यों ठहराये ?

श्री यशपाल सिंह : इस के अलावा बापूजी ने वादा किया था कि गांवों को बसाया जायेगा। गांवों में स्वराज्य आयेगा। लेकिन गांवों को इस तरह से बसाया जा रहा है कि गाजियाबाद के शहर को आबाद करने के लिये चालिस गांवों को उजाड़ा जा रहा है। आज तक उनका कोई मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने उन से २ रु० गज जमीन खरीदी लेकिन आज उसको सरकार २८ रु० गज के हिसाब से बेच रही है। इतनी मुनाफेखोरी का काम तो शायद बिड़ला और टाटा भी नहीं करते होंगे जितना कि सरकार करती है।

इसके अलावा हरिजनों की समस्या सब से बड़ी समस्या है। कब तक लैंडलेस लेबरर को यह कह कर बहकाया जायेगा कि तुम्हारे लिये कोई सुनहरा टाइम आयेगा, तुम्हारे लिये कोई भूमिदान करेगा ? एक भी क्लाज इस बिल में नहीं है, एक भी रकम ऐसी नहीं है जिससे लैंडलेस लेबरर को कहीं भी राहत मिल सके। मैं अपने इलाके में गया। मैंने देखा कि हरिजन भाइयों को यह प्रलोभन दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे बगैर फीस पढ़ाये जाते हैं। मैंने उस गांव का जायजा लिया। हिसाब में हरिजनों के बच्चों के ऊपर फीस माफ थी ४० रु०। चार बच्चों की फीस ४० रु० माहवार माफ की गई। लेकिन वहां के हरिजन ५०० रु० टैक्स देते हैं। जहां से ५०० रु० टैक्स लिया जाता है वहां पर ४० रु० की खैरात देकर कहते हैं कि आप के लिये हम बहबूदी का सामना मुहैया कर रहे हैं। यह मसला जो है उसको हल करना पड़ेगा, बातों से यह मसला हल नहीं हो सकता है। इसके लिये कोई न कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जिस हलके से मैं आता हूं, मैं यह एलान करता हूं कि वहां के हरिजनों को कोई गुमराह नहीं कर सकता है, वहां कोई मिथ्या प्रचार नहीं कर सकता है। मेरा ताल्लुक जिला सहारनपुर और जिला मुजफ्फरपुर से है, वहां के मुताल्लिक मैं कह सकता हूं कि जितने कांग्रेस के एम० पी० हैं, जितने वहां पर किसानों के लीडर हैं, जितने नेता हैं, जितने वर्कर हैं, वह सब मिल कर जितनी जमीन हरिजनों को देंगे उन सब से ज्यादा मैं दूंगा। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं मुफलिस हूं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे यहां भेजा है वह गरीब और मुफलिस नहीं हैं। मैं कहता हूं कि यह मसला बातों से हल नहीं हो सकता है। इसके लिये कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जिस देश की १६ करोड़ जनता ऐसी है जिस के बोने के लिये एक इंच भूमि भी नहीं है, वह देश किस तरह खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। खाली समाजवाद का इंजेक्शन देकर जो लैंडलेस लेबरर हैं, जो सफरिंग मासेज हैं, जो एक्स्प्लायटेड मासेज हैं, वह जिन्दा नहीं रह सकती हैं। उनके लिये कोई ठोस कदम उठाना होगा। बिना ऐसा किये हुये हमारा काम नहीं चल सकता है। जो टैक्स लगाये जा रहे हैं वह ३३२ करोड़ रु० के हैं। लेकिन उस का २५ फी सदी अमीर आदमी देता है और ७५ फी सदी गरीब आदमी देता है। गरीबों का खून पीकर अमीर आदमी मालोमाल होता जा रहा है, उसका आप को कुछ इलाज करना होगा।

इसके साथ साथ सब से बड़ी बात यह है कि काम के घंटे बढ़ाये जायें। जितना बड़ा आदमी होता है उतना कम काम करता है, जितना बड़ा आदमी होता है उतना कम नेशनल डिफेंस फंड में देता है। महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी कि जब तक चित्तौड़ को वापस नहीं लूंगा तब तक मैं पेड़ के नीचे रहूंगा, मकान में नहीं रहूंगा, थाल में खाना नहीं खाऊंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा। मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी से भी यह आशा करता हूं कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा के लिये कसम खाई थी उसी तरह से भारत के इलाके में से जब तक चीन का एक एक मनुष्य वापस नहीं हो जाता, जब तक चीन का हमलावार वापस नहीं हो जाता, हमारी ४ लाख मुरब्बा मील भूमि उस चीन से छुड़ा नहीं ली जाती, तब तक हमारे वित्त मंत्री भी कसम खायें कि राज कोष को नहीं छूयेंगे, बिल्कुल महात्मा गांधी के आदेशों के अनुसार रहेंगे। मैं वित्त मंत्री जी के कदमों पर चलने को तैयार हूं, उन के चरण चिन्हों का अनसरण करने के लिये तैयार हूं, उनके फुट स्टेप्स का अनुगमन करने के लिये तैयार हूं। वह जितना त्याग करेंगे मैं गरीब आदमी भी उतना ही त्याग करूंगा। लेकिन जब तक अमीर आदमी त्याग नहीं करेंगे तब तक गरीब आदमी त्याग नहीं कर सकेंगे। यह काम बड़े आदमी का होता है कि वह आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाये।

वार का जो हौवा बना रक्खा गया है, चीन का जो हौवा बना लिया गया है उसको भी खत्म करना चाहिये। जनता जानना चाहती है कि इस मामले में क्या हो रहा है। कोई कितनी ही कोशिश करे इलाज की, लेकिन जो बदपरहेजी करता है उसका इलाज कोई डाक्टर नहीं कर सकता। कांग्रेस सरकार को पंचशील की बदपरहेजी हो गई है। जब तक पंचशील का नाम कांग्रेस लेगी तब तक इसका

[श्री यशपाल सिंह]

इलाज कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पंचशील इन्सान के साथ हो सकता है । अगर मेरे खेत में एक भैंसा घुस गया है और मेरी फसल को खा रहा है, और मैं उस के सामने हाथ जोड़ कर हजार दफे कहूं कि मैं पंचशील का अनुगमन करता हूं, पंचशील पर विश्वास करता हूं, तो हरगिज उस भैंसे की समझ में यह बात नहीं आयेगी । भैंसा यह चाहता है कि उस की कमर पर लट्ठ मार कर उसे बाहर निकाल दिया जाय। जों दरिन्दा आज हैवानियत पर उतरा हुआ हो, जिस ने हमारे पिता हिमालय को पादाक्रांत किया हुआ हो, उस के साथ किसी भी तरह से पंचशील की बात करना बदपरहेजी करना है, इस तरह से चीन का इलाज नहीं हो सकेगा । हमारे राजनीति के पंडित चाणक्य ने क्या लिखा है ? उन्होंने लिखा है :

"व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्
भवन्ति मायाविषु ये न मायिन :"

जो मायावियों के साथ माया नहीं करता है, जो टिट फार टेट नहीं करता है, जो बन्दूक का बदला बन्दूक से नहीं देता, जो खून का ददला खून से नहीं देता, जो लाश का बदला लाश से नहीं देता, वह कभी भी चीन के हमले का मुकाबला नहीं कर सकता । इसलिये आप बदपरहेजी छोड़ कर सारे देश को तैयार कीजिये ।

इसके साथ साथ जो सफरर है उसकी ओर ध्यान दीजिये । अगर खर्च उस पर करना है तो ठीक से खर्च कीजिये । हमारे यू० पी० में ७५ हजार राँग एन्ट्रीज हैं । यानी काश्त मैं करता हूं, लेकिन दर्ज किया हुआ है किसी और का नाम । जिसका नाम गलत तरीके से लिखा हुआ है वह तो मजे कर रहा है । मैं गरीब आदमी हूं इस लिये मेरे नाम से काश्त दर्ज नहीं है, दर्ज है मेरे पड़ोसी के नाम से और वह पड़ौसी मजे करता है, पटवारी मजे करता है । मेरे घर में गल्ला आता है लेकिन इस गलत इन्दराज को सही करने के लिये जब मैं जाता हूं तो मुझे सैंकड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं । जिस के घर में डाका पड़ता है उस से कहा जाता है कि तुम जुर्माना दो। आप देखिये कि मेरे सूबे में ७५ हजार राँग एन्ट्रीज हैं और जो हमारे यहाँ के किसान हैं, जो हरिजन हैं, जिन के पास पाँच बीघे की काश्त होती है, चार बीघे की काश्त होती है, उन पर यह वारे सुबूत पड़ता है । जिस के घर में डाका पड़ता है, उस पर इस का बारे सुबूत पड़ता है कि वह बतलाये कि यह चीज इंसाफ के खिलाफ है ।

अध्यक्ष महोदय : राँग एन्ट्रीज रेवेन्यू रेकार्ड्स में ?

श्री यशपाल सिंह : जी हाँ, रेवेन्यू रेकार्ड्स में ।

अध्यक्ष महोदय : तो वह तो स्टेट का मामला हो गया, हम क्या करें ?

श्री यशपाल सिंह : यह तो जनरल पालिसी का सवाल है, इसके मालिक तो आप ही हैं ।

इसके साथ साथ मैं यह देखता हूं कि बागात की सम्पत्ति खत्म हो चकी है । हमारे देहात में बागात नहीं रहे । हम अन्न के मोहताज हो गये क्योंकि बागात कट गये हैं । बागात के बिना देश में बारिश नहीं होती है । कभी एक दम बाढ़ आ जाती है और कभी एक दम सूखा पड़ जाता है । इस का इलाज होना चाहिये। बड़े आदमियों के काम के घंटे बढ़ने चाहिये । अगर ऐसा नहीं होगा तो हरगिज हरगिज यह स्टेट आगे नहीं चल सकती । आज जरूरत इस बात की थी कि ४४ करोड़ आदमी एक सूत्र में बंध कर आगे बढ़ सकते । लेकिन हिमालय में जो अपमान हुआ है उसको जनता भूल जाय इस लिये हिन्दी अंग्रेजी का झगड़ा खड़ा कर दिया गया । इस बिल को साल दो साल बाद भी लाया जा सकता था । आज इसको पेश करने का मकसद यही है कि हिमालय में जो बड़ा आक्रमण

और अपमान हुआ है उसकी तरफ से जनता अपनी आँखें मोड़ ले। लेकिन यह सब कुछ गलत है। आज सारे देश को लड़ाई के लिये तयार करना है क्योंकि :

"योद्धा ही राष्ट्र की रक्षा करता है।"

हर एक को वह तालीम देनी होगी जो गुरु गोविन्द सिंह की तालीम थी, यानी सच्ची अनिवार्य सैनिक शिक्षा। इसी से यह मसला हल हो सकता है। अगर आप चाहें कि स्पीचें देने से या तकरीर देने से या बिल लाने से यह मसला हल हो जायेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज चाइना हमारी भूमि पर बैठा हुआ है और उसके लिये कहा जा रहा है कि उसको हटाने के लिये कारखाने बनाओ, आरडनेंस फैक्टरियाँ बनाओ, राइफिल बनाओ और तब उससे लड़ों। यह तो ऐसा ही है जैसे कि आग लगने पर यह कहना कि ट्यूब वैल कायम करो और उससे पानी निकाल कर आग बुझाओ। तो यह एक दम दलील गलत है। आज हमको जहाँ से भी हथियार मिल सकते हैं उनको लेकर हमें चाइना को पीछे धकेलना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो जनता के साथ विश्वासघात करना होगा और आप फिर जनता को फतेहयाबी नहीं दे सकेंगे।

भारत अभी आज तक पदाक्रांत नहीं हुआ। बड़े बड़े फातेह यहाँ आये लेकिन इस भूमि पर आकर धूल धूसरित हो गये। अलग्जेंडर दी ग्रेट आया लेकिन यहाँ आकर समाप्त हो गया, सेल्यूकस आया लेकिन यहाँ आकर समाप्त हो गया, कोल किरात आये लेकिन वे भी यहाँ आकर समाप्त हो गये। यह पहला मौका है कि भारत की जनता को इस प्रकार अपमान सहना पड़ा जबकि उसकी सरकार सो रही थी। सरकार कहती है कि यह मसला आहिस्ता आहिस्ता हल हो जायेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यह मसला आहिस्ता आहिस्ता हल नहीं होगा। यह तो राइफिलों से हल होगा, लोहे से हल होगा, लड़ाई से हल होगा।

आज इस देश में स्थिति यह है कि गरीब आदमी ज्यादा टैक्स देता है और अमीर आदमी कम टैक्स देता है। मेरा सुझाव है कि जिनकी आमदनी ज्यादा है उनका चौथा रुपया लिया जाये। जिन्होंने ब्लैक मारकेटिंग किया है या जिनको बिजनैस से ज्यादा आमदनी होती है उनसे काफी रुपया लिया जाये और जिस गरीब आदमी की माहवारी आमदनी दस रुपया या उससे कम है उससे न लिया जाये। कम्पलसरी डिपाजिट से मजदूरों को, छोटे काश्तकारों को और छोटे सरकारी क्लर्कों को एग्जेम्प्ट किया जाये।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : चीन से खतरे को हमारे नेता को पहले देख लेना चाहिए था, परन्तु वे ऐसा नहीं कर पाए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

चीनी अतिक्रमण का बहुत अफसोस है, परन्तु इससे भी अधिकतर अफसोस इस बात का है कि हम उस का मुकाबला नहीं कर सके हैं।

युद्ध लड़ने के लिए धन की आवश्यकता है। भारत में ४,००० करोड़ रुपए का सोना है। हमें यह सब सरकार के प्रयोग के लिए दे देना चाहिए। लड़ाई लड़ने के लिए हमें विदेशों से हथियार आदि लेने हैं। वे सोने और विदेशी प्रति मूर्तियों द्वारा ऋण लिये जा सकते हैं। जो कोई स्वर्ण नियंत्रण आदेश की निन्दा करता है वह भारत को पराधीन बनाना चाहता है।

फौजी सिपाही को अच्छा प्रशिक्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा और अच्छे नागरिक का आत्म सम्मान दिया जाना चाहिए। चोर बाजारी करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

श्री मोरारं जी देसाई ने दो बहुत अच्छे काम किए हैं एक स्वर्ण नियंत्रण आदेश और दूसरा अनिवार्य बचत योजना। यह बहुत अच्छी योजना है और लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी।

सरकार को ये काम करने हैं : युद्ध काल में महत्व के अनुसार आर्थिक कार्यवाइयों का वर्गीकरण; सैनिक और आर्थिक कार्यवाइयों का समन्वय ; उत्पादन आदेशों का वितरण ; करों में वृद्धि, ऋण और नोट छापने आदि वित्तीय कार्यवाइयां ; प्राथमिकताएं ; विदेशी व्यापार नियंत्रण ; मूल्यों का नियंत्रण ; उपभोग्ता वस्तुओं का राशन ; उत्पादन के कारकों, मजदूरों और संयन्त्रों से जबरदस्ती काम लेना; सामान्य रूप से जबरदस्ती भर्ती की जानी चाहिए।

†**श्री मनेन** (दार्जिलिंग) : वित्त मंत्री ने जो करों में राहत दी है उस का स्वागत है। मिट्टी के तेल पर छूट का लोगों ने बहुत स्वागत किया है।

चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री के प्रस्तावों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें अपनी प्रतिरक्षा के लिए अपने पांवों पर खड़े होना है। किसी देश के आगे हाथ नहीं फैलाना है।

भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। फजूल खर्ची बन्द होनी चाहिए।

सेना में पहाड़ी डिवीजन बनाने के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री ने जो कहा है बहुत अच्छी बात है। इस डिवीजन में मैदानों के लोग नहीं लिये जाने चाहिएं, परन्तु पहाड़ी लोगों को लिया जाना चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। वे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। पहाड़ी जलवायु के अनुसार कायम हो सकने वाले उद्योग पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिएं।

कुछ उद्योग पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु में ही स्थापित किए जा सकते हैं। उन्हें वहीं स्थापित करना चाहिए। ऐसे उद्योग मैदानी क्षेत्रों में कृत्रिम जलवायु पैदा करके न स्थापित किए जाएं। दार्जिलिंग में शुद्ध मापक यन्त्रों का कारखाना स्थापित करना चाहिए।

दार्जिलिंग में टाइगर हिल बहुत सुन्दर स्थान है। सरकार ने इसे वेधशाला बनाया है। वेधशाला के लिये कोई अधिकतर शान्ति वाला पहाड़ी स्थान होना चाहिए।

दार्जिलिंग में खेती के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हो सकती है। पहाड़ी डिवीजन के पहाड़ियों की ऊंचाई पर लड़ना पड़ेगा। उनके लिए रसद का सामान दार्जिलिंग में पैदा किया जा सकता है। सरकार का इस ओर ध्यान देना चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को सतुष्ट रखना चाहिए। इस से प्रतिरक्षा के काम में काफी सहायता मिलेगी।

श्री दि० सिं० चौधरी (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के उपलक्ष्य में मैं आप को धन्यवाद देता हूं और साथ ही वित्त मंत्री जो को भी मिट्टी के तेल पर से कुछ कर कम करने और अनिवार्य बचत में पांच रुपये से कम लैंड रेवेन्यू देने वाले किसानों को सुविधा देने के उपलक्ष्य में धन्यवाद देता हूं।

मैं समझता हूं कि बजट में जो धनराशि देश की सुरक्षा के लिए रखी गई है, उस की वास्तव में आवश्यकता थी और वित्त मत्री महोदय ने उस धनराशि को एत्रित करने के लिए जो टैक्स लगाए हैं, वे आवश्यक नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में,

---

†मूल अंग्रेजी में

जब कि हमारे देश पर चीन ने हमला किया और उसने हमारी भूमि पर कब्ज़ा कर रखा है, हम यह आशा करते थे–बल्कि हम लोगों ने यह विचार भी किया था–कि हमारे देश में जो जागृति आई है, उस के अनुसार ही सरकार चलेगी। उस वक्त यह विचार किया गया था कि सरकार को देश को तीन भागों में विभक्त करना चाहिए, सैनिक, किसान और मजदूर और अगर कोई इसके अतिरिक्त हो, तो उन को इन तीनों वर्गों में ही सम्मिलित करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहने का साहस करूंगा कि जब तक हमारी भूमि से चीनी फ़ौजें नहीं हट जाती, तब तक जो व्यक्ति राष्ट्रीय आय को बैठ कर खाते हैं, उन को इस स्थिति में न रहने दिया जाये, बल्कि उन को राष्ट्र-द्रोही और देश-द्रोही करार दिया जाये। यही नहीं, हमारे शहरों में जो बड़े बड़े मकान हैं, उन को मजदूरों और सैनिकों के लिए ख़ाली करा लिया जाये और जो लोग उनमें रहते हैं, जो पूंजीपति हैं या जो बैठे बैठे राष्ट्रीय आय को खाते रहते हैं, उन को कहा जाये कि थोड़े दिन सैनिकों की तरह से झौंपड़ों में रह कर काम करो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब तक चीनी फ़ौजें हमारी भूमि से हट नहीं जाती, तब तक हमारी कारें, स्कूटर, साइकल, पैट्रोल और बिजली आदि अगर किसी काम में आयें तो केवल एक ही काम में अर्थात देश की सुरक्षा और देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए।

मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब हमारे सैनिक नेफ़ा और लद्दाख़ के बार्डर से वापस आते हैं, तो दिल्ली की शानो-शौकत, यहां के सिनेमाओं और यहां की चटक मटक सुन्दरियों को देख कर उन का दिल उस तरफ़ वापस जाने को नहीं चाहता। इस वक्त होना तो यह चाहिए था कि यहां की सब कम्यूनिटीज़ को फ़ौजी ड्रेस में लाया जाता, यहां के सब आदमियों को फ़ौजी बना दिया जाता, ताकि हमारे सैनिकों के दिल में यह देख कर उत्साह और जोश होता कि जब दिल्ली के रहने वाले झौंपड़ों में रह रहे हैं, तो यदि हम वर्फ़ में पड़े हुए तम्बुओं में रह कर इस देश के लिए लड़ रहे हैं, तो उस में कोई बुराई की बात नहीं है। अगर किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए और मजदूरों को काम करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे समय में यह भी ज़रूरी है कि हमारे उन साथियों को भी अपना रहने का तरीका बदलने के लिए कहा जाए, जो कि बैठे बैठे मौज करते रहते हैं। अगर वे खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम वे ऐसा करके देश की मदद करें। उस का असर हमारे किसानों, मजदूरों और सैनिकों पर पड़ेगा। अगर हमारे पूरे देश को सैनिक बना दिया जाये और किसान और मजदूर उत्पादन को बढ़ायें, तो मैं यहां तक कह सकता हूं कि चीन ही क्या, अगर संसार के सब देश मिल कर भी हमारे देश पर कब्ज़ा करना चाहें, तो भी नहीं कर सकते हैं।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम कब तक उस वक्त का इन्तजार करेंगे। आप हमारे पिछले इतिहास को देखें। हम को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अगर यह परिस्थिति नहीं आती है, तो मैं कह सकता हूं कि हम फिर जागृत नहीं हो सकेंगे। आज हमारे पास समय है, हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता हैं, जो न केवल इस देश में, बल्कि संसार भर में बहुत सर्वप्रिय नेता हैं। मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि सरकार पर और हमारी लोक सभा में विरोधी पार्टियों पर भी उन का इतना प्रभाव है कि अगर वह ऐसा प्रगतिशील कदम उठायेंगे, तो वे उन को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि इस के बाद हमारे देश की स्थिति नहीं सुधर सकती है। अगर उनके समय में, और उन नेताओं और देशभक्तों के समय में, जो कि सरकार में उनके साथी हैं, हम सारे देश को सैनिक बना कर दुनिया के सामने एक मज़बूत कौम के रूप में खड़ा नहीं कर देते, तो मैं समझता हूं कि इस से बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है।

सैनिकों के अलावा मैं कृषकों के सम्बंध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे देश के कृषकों की जो स्थिति है, उस से ज्यादा दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि उत्पादन बढ़ाने की बात करने से पहले किसानों की स्थिति सुधारने की बात करनी होगी। अगर

[श्री दि० सि० चौधरी]

किसानों को केवल उत्पादन करने वाले यंत्र मात्र समझा जाये, तो उस से उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। उत्पादन बढ़ाने का तरीका यह है कि पहले हम यह सोचें कि उन की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है। मुझे यह देख कर बड़ा दुख होता है कि जब बाहर से मोटर वगैरह सामान का आयात हो और उस पर आयात कर लगाया जाता है, तो उस की प्रतियोगिता में यहां के जो कारख़ाने वाले म ।र करते हैं, उन को उस की अच्छी कीमत प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से बाहर से जो अनाज मंगाया जाता है, उस को अधिक कीमत पर ख़रीद कर कम कीमत पर बेचा जाता है और इस प्रकार किसान के उत्पादन की कीमत गिरा दी जाती है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि हमारे उद्योग-धन्धों में काम करने वालों को सरकार जो सामान देती है, अगर वे उस सामान को बाजार में बेच दें और उत्पादन न करें, तो उन को भी मुनाफ़ा मिल जाता है लेकिन बेचारे किसानों को सरकार की तरफ़ से जो बीज या फ़र्टीलाइज़र वगैरह मिलते हैं, अगर वे उन को बाज़ार में बेचें तो उन को कम कीमत मिलती है। किसान के लिए हर तरफ़ दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य दिखाई देता है जब तक हम इन समस्याओं को हल करने पर विचार नहीं करेंगे, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है।

लोग कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए गांवों में प्रचार किया जाये। मैं कहता हूं कि प्रचार की आवश्यकता नहीं है। गांवों में एक भी किसान ऐसा नहीं है, जो उत्पादन को बढ़ाना न जानता हो। एक ही गांव में दो तरह के किसान हैं—एक दूना पैदा करता है और दूसरा उसका आधा पैदा करता है। अगर आधा पैदा करने वाले को पूछें, तो वह भी स्पष्ट रूप से बता सकेगा कि दूना अनाज कैसे पैदा किया जा सकता है। जब किसान दूना पैदा करना जानता है, तो वह जो तरीका जानता है, अगर सरकार उसमें सहयोग करे, तो मैं समझता हूं कि दूना अनाज पैदा हो सकता है। इस काम में हम उसके साथ सहयोग करें। वह भूखा रहता है, उसको भर पेट खाना नहीं मिलता है और इसके बावजूद भी जब उससे कहा जाता है कि दो रुपये का टानिक खरीद कर खा लो, तुम में ताकत आ जाएगी, तो इसको सुन कर वह हंसे बिना नहीं रह सकेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आसमान से उतर कर ज़मीन पर हम आयें, वास्तविक बातों पर विचार करें। आपने ब्लाक बना लिये हैं। उनके ज़रिये तरह तरह के प्रचार कार्य हो रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि वे उत्पादन बढ़ायें। जीपें सड़कों पर दौड़ती फिरती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे जनता में बड़ा असन्तोष पैदा होता है। गांव गांव में इस तरह का प्रचार करने के बजाय कि वे उत्पादन को बढ़ायें, यदि आप किसान के काम में उसको सहायता दें तो ज्यादा अच्छा होगा। गांव में आपके आदमी जाकर किसानों से पूछें कि उनको किन किन चीजों की आवश्यकता है। उनको अगर ईंट के परमिट की आवश्यकता हो, या सिमेंट के परमिट की आवश्यकता हो तो उसको लाकर उनको दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो। अगर उनको कर्ज की आवश्यकता हो और सोसायटी से उसके लिए आप कर्ज का प्रबन्ध कर दें, तो ज्यादा उपयुक्त हो। उसको आज यह समझाने की जरूरत नहीं है कि वह उत्पादन बढ़ाये। समय आ गया है जबकि वास्तविक जो बातें हैं, उन पर हम विचार करें।

सारे देश में किसानों के लिए उत्पादन योजनायें तैयार की गई हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप पूरे देश के अन्दर घूम लें आपको एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी उत्पादन योजना ठीक हो। इसकी आप जांच कर सकते हैं। सब काम फर्जी हैं। ग्राम सेवक या सुपरवाइज़र बैठ कर योजना बना कर बी० डी० ओ० को भेज देता है और वह ऊपर चली जाती है। इसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। हमें वास्तविक स्थिति पर आना चाहिये और विचार करना चाहिये कि किस तरह से उत्पादन बढ़ सकता है।

आप किसान पर टैक्स लगाते हैं और उसको अनिवार्य बचत के लिए कहते हैं। किसान का जो बजट है, उसमें किसी तरह की कोई कमी होने की गुंजाइश नहीं है। उसको मुश्किल से भर पेट खाना

मिलता है और कहीं कहीं तो मिलता भी नहीं है, उसको कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, मकान उसका टूटा फूटा हुआ है। अगर उसको आप बचत करने के लिए कहेंगे तो वह उत्पादन में जो पैसा लगाता है, उसमें ही कमी करके बचत कर सकेगा जिसका परिणाम उत्पादन पर ही प्रतिकूल पड़ेगा और उत्पादन घटेगा जो कि देश के हित में नहीं होगा। इस वासते इस पहलू पर भी आपको विचार करना चाहिये।

हमारे कृषि मन्त्री जी ने यहां खड़े होकर कहा था कि अमरीका की अर्थ नीति का संचालन वहां का किसान करता है। दुर्भाग्य से यहां पर हमारे देश में उस नीति का संचालन कोई भी नहीं करता है। ८० परसेंट हमारे देश में किसान हैं। मुझे कहते हुए शर्म महसूस होती है कि प्रजातन्त्र में इस हाउस में जब यह मांग की जाती है कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों की तरफ से तथा विरोधी सदस्यों की तरफ से भी कि किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिये, तो भी वह उसको नहीं दिया जाता है। बहुमत की आवाज़ होने पर भी अभी तक यह सुनने का मुझे अवसर नहीं मिला है कि सरकार ने कोई कदम इस दिशा में उठाया है। मैं चाहता हूं कि किसानों की भलाई के लिए आपको चाहिये कि आप कोई मजबूत कदम उठायें।

अब मैं सुनारों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। उन बेचारों की बड़ी समस्या हो गई है। मैं इस नीति की आलोचना करना नहीं चाहता। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि उन बेचारों के लिए कुछ न कुछ तो किया जाना चाहिये, उद्योग धंधे खोलने के लिए उनकी सहायता तो की जानी चाहिये, उनको कुछ कर्ज़े दिये जाने चाहिये तथा कोटे वगैरह जो मिलते हैं, उनमें उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अब मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश देट इज़ भारत जो एक समय कहा जाता था, वह बात आज नहीं है। आज वह स्थिति बदल गई है। आज उत्तर प्रदेश पिछड़ चुका है शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको उसकी सहायता करनी चाहिये और अगर ऐसा न किया गया तो इसका प्रभाव सारे देश पर पड़ेगा।

एक निवेदन मैं हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में भी कर देना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस वक्त इस विधेयक को नहीं लाया जाना चाहिये और इसको रोक लेना चाहिये। यह सही है लेकिन देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि हिन्दी को आगे बढ़ाने में अगर कोई रुकावट है तो वह रुकावट वे लोग ही खड़ी कर रहे हैं जो कि अंग्रेज़ी पढ़े लिखे हैं और वे ही बाधा डालते हैं। जहां तक आम जनता का सम्बन्ध है, वह इसका विरोध नहीं करती है यहां दिल्ली में आकर हमारे मन्त्रियों, लोक सभा के सदस्यों, आई० ए० एस० अफसरों के नौकर तथा उनके बच्चे तो हिन्दी सीख रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिन्दी सीखने की कोशिश नहीं की है। अगर इन्होंने कोशिश की होती तो यह स्थिति उत्पन्न न होती।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र मथुरा के बारे में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : तीन लोक से मथुरा न्यारी।

श्री वि० सिं० चौधरी: जिस श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, उसको लड़ने के लिए तैयार किया था, वह यहां ही पैदा हुए थे। उसी श्रीकृष्ण

[श्री दि० सि० चौधरी]

ने गोवर्धन पहाड़ को यहां उंगली पर उठाया था। उस क्षेत्र में जहां पीने के पानी की कमी है, उसको दूर किया जाना चाहिये। इस क्षेत्र में जहां कोई कारखाना नहीं है, अगर कारखाना खोल दिया जाए और हथियार वगैरह वहां बनाये जायें या कोई और दूसरी फैक्टरी बना दी जाए, तो यहां के चौबे, यहां की जनता यहां के किसान चीनियों को अपने देश की धरती से निकाल बाहर कर सकते हैं।

†**श्री क० गो० सेज** (पूर्निया) : उद्योगपतियों को कोई एक मिल सहकारी क्षेत्र में दे देना, चाहिए। यह राष्ट्र के लिए एक उपहार होगा। चीनी अतिक्रमण के उपलक्ष में भी ऐसा करना उचित है।

माननीय मन्त्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे अंशों द्वारा अथवा कृषि सहकारी संस्थाओं के नाम पर पांच पांच हजार रुपए के इनामी बांडों की व्यवस्था करके एक करोड़ रुपए का प्रबन्ध करें। इस तरह से ग्रामीण सहकारी समितियों को धन मिल जाएगा। इस धन में से ५० प्रतिशत पिछड़े हुए लोगों पर खर्च किया जाना चाहिए।

जो लोग ५ रुपए से कम प्रतिवर्ष भूराजस्व देते हैं उन्हें अनिवार्य बचत योजना से छूट दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिये। ये गरीब लोग वैसे तो धन नहीं बना सकते। इस तरह से इनको बचत करने का साधन मिल जाता है। इनको भविष्य निधि का लाभ भी मिलना चाहिए था।

श्रीमती डालमिया ने कई सदस्यों को तार भेजा है। इस मामले पर दयापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान के चोरी छिपे पशु लिये जाते हैं। इसे बन्द करना चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देती हूं और वित्त मन्त्री जी को भी हार्दिक बधाई देती हूं। उन्होंने वेल्थ टैक्स पर जो एग्जेम्प्शन था उसको निकाल दिया यह बहुत अच्छा किया आजकल बहुत सी बहनें जो हैं जिनके पास जेवरात हैं, वह अपने सोने को छिपा नहीं सकती हैं। या तो उसको बेच कर या बांड्स खरीद कर उसका पैसा बैंक्स में उनको रखना होगा। इससे उनको फायदा भी हो सकता है क्योंकि उनको उसका सूद भी मिलेगा। इसके लिये मैं वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देती हूं। वित्त मन्त्री जी महात्मा गांधी में बड़ी श्रद्धा रखने वाले हैं, बापू जी के फालोअर हैं। उनसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वे खुद ही सब कुछ ठीक से कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है।

संकट के समय पर जो बजट उन्होंने पेश किया है वह बिल्कुल ठीक है। किसी भी देश की मोतबिरी तभी होती है जबकि देश की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। इसी से दुनिया में हमारी इज्जत आज बहुत बढ़ी हुई है। चूंकि उन्होंने हमारी फाइनेन्शल पोजीशन अच्छी बनाने की कोशिश की है इसी लिये हमारी स्थिति दुनिया में अच्छी है। हम कर्जा भी लेते हैं, उस पर सूद भी देते हैं लेकिन चूंकि हमारी फाइनेन्शल पोजीशन वित्त मन्त्री जी के हाथ में है इसलिये इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि हमारी पोजीशन अच्छी होगी। समुद्र में कोई गड़बड़ी हो सकती है, हमारा सामान वहां खराब हो सकता है, लेकिन ४४ करोड़ लोगों का भविष्य वित्त मन्त्री जी के हाथ में है। हमें केवल टैक्स लगा कर, पैसा कमाना ही नहीं है, पैसा कमाना है तो उसका ठीक तरह से खर्च करना भी बड़ी भारी चीज है। टैक्स लगा कर जबर्दस्ती करके पैसा तो कमाया जा सकता है लेकिन उसको कमाने के बाद सहूलियत से,

†मूल अंग्रेजी में

बचा बचा कर उसको खर्च करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है । हमारे मन्त्री महोदय ने ऐडीशनल सरचार्ज लगा कर पैसा कमाने की कोशिश की है इस साल, लेकिन हमारा दुश्मन जो है वह बहुत तगड़ा है, वह छः महीने में, एक साल में या दो साल में जाने वाला नहीं है । हमें बहुत दिनों के लिये तैयार रहना चाहिये । इसलिये डिफेन्स पर खर्च करना हमारे लिये लाजिमी है । लेकिन अगर आप इस के लिये ऐडीशनल टैक्स ही लगाते रहे तो कहां तक काम चलेगा । इस साल में ६५ करोड़ रु० लेकर वित्त मन्त्री ने उसको बराबर करने की कोशिश की हैं लेकिन अगले साल आखिर कैसे काम चलेगा ? गाय को जितना खाने को मिलता है उतना ही दूध तो उससे मिल सकता है । अगर चारा बन्द करके ही आप दूध निकालेंगे तो कितने समय तक दूध मिल सकता है ? आखिर गाय मर जायेगी । इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि जनता जितना दे सकती है उतना ही तो आप को लेना चाहिये । लेकिन कम्पलसरी सेविंग्स आपने लगा दी है । मैं इसके खिलाफ हूं । इस चीज को फौरन बन्द करना चाहिये इसको निकाल देना चाहिये क्योंकि इससे लोगों को बहुत तकलीफ मिलेगी । एग्रीकल्चर के बारे में जो कम्पलसरी डिपाजिट रक्खा गया है उसके लिये मैंने अमेंडमेंट दिया है । अगर वित्त मन्त्री महोदय उसको कबूल कर लें तो बड़ा अच्छा है । आपके पास पैसे का ज्यादा खर्च है, यह मैं मानती हूं और आपको वह खर्च करना लाजिमी भी है क्योंकि हमारे देश में संकट का समय है । लेकिन इसको भी तो सोचना चाहिये कि किससे उसको लेना है और कहां पर खर्च करना है । आप बहुत अच्छे सोचने वाले हैं और इन सब बातों को सोच सकते हैं । लेकिन जो आप के ऐडवाइजर्स हैं, उनकी गड़बड़ी से सारी चीजें खराब हो रही हैं । जो देश के बड़े बड़े लोग हैं, जो कि अपने फायदे में इंटरेस्टेड हैं, उनकी वजह से सारी गड़बड़ी होती है । इसको आपको समझ लेना चाहिये ।

फाइनेन्स बिल के पेज २० पर आपने कहा है कि जिसकी आमदनी ६,००० तक होगी उस पर ऐडीशनल सरचार्ज होगा ४ परसेन्ट । मतलब यह है कि जिसकी तनख्वाह ४०० मासिक होगी उसको पहले तो ४ रु० ८ आ० टैक्स देना होता था लेकिन अगर यह सुझाव मान लिया जाय तो उसको २० रु० देना होगा । जिस आदमी की आमदनी ४०० रु० मासिक है उसको महीने में २० रु० देना होगा लेकिन जिसकी आदनी साल में २५,००० रु० है उसका कितना होगा ? इस में सारा हिसाब दिया गया है उसके आंकड़े के अनुसार मैं बतला सकती हूं कि जिस की आमदनी १५,००० रु० है उसको देना पड़ेगा १८८१ रु० । जिनकी तनख्वाह पांच हजार है उनको २४१ रुपया देना पड़ता है यानी ६ टाइम्स ज्यादा देना पड़ता है । जिनकी तनख्वाह १५ हजार है उनको डेढ़ परसेंट देना पड़ता है । तो मेरा कहना है कि यह कानून आपने दिल खोल कर नहीं बनाया । जिसको दिल्ली में ३०० रुपया महीना मिलता है उसका गुजारा कठिनाई से होता है क्योंकि यहां पर खाने कपड़े, शिक्षा आदि का खर्चा बहुत ज्यादा है । लेकिन जो दस हजार या उससे ज्यादा खर्चा करता है वह तो लग्जरी में खर्च करता है, मजे उड़ाता है । जिसकी तनख्वाह ५०० रुपए है उसके लिए आपने ६ टाइम्स ज्यादा कर दिया यानी ४ परसेंट कर दिया और जिसकी तनख्वाह २५,००० सालाना है उसके लिए डेढ़ परसेंट रखा है । यह बिल्कुल गलत है । मेरी प्रार्थना है कि इसको आप बदल दें । मेरा अमेंडमेंट है कि जिनका ४ परसेंट है उनका २ परसेंट कर दिया जाए और जिनका आपने ६ परसेंट रखा है उनका ३ परसेंट कर दिया जाए । मुझे आशा है कि आप मेरा अमेंडमेंट कबूल कर लेंगे ।

मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहती हूं । केवल सिपाही भरती करने से ही आपका काम नहीं चलेगा । आपको लड़ाई जीतने के लिए देश में एक वातावरण भी बनाना चाहिए । आज हमारे इंडिपेंडेंस पर हमला हुआ है । इस अवस्था में लाखों भाई बहनों को देश के लिए सेवा करने को तैयार होना चाहिए लेकिन आज हम ऐसा नहीं देख रहे हैं । इसके अलावा देश में यह अवस्था है कि हम जो कहते हैं उसका विरोध विरोधी दल वाले करते हैं और जो वह सही भी बात कहते हैं उसका हम विरोध करते हैं, इससे देश को नुकसान होता है । इसके अलावा हम देखते हैं कि जहां हम उत्पादन बढ़ाने का

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

प्रयत्न करते हैं वहां अपोजीशन वाले उसको कम करते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि उनको ऐसा इस संकट के समय में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे काम बिगड़ता है। आज तो सब को मिल कर काम करना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारी आमदनी सन् १९५७–५८ में ७०० करोड़ थी जोकि अब १८०० करोड़ हो गयी है, लेकिन जितनी आमदनी बढ़ रही है उतना खर्चा भी बढ़ता चला जाता है। एक एक ओहदेदार के वास्ते एक एक डिपार्टमेंट खोल दिया जाता है। यह बन्द होना चाहिए। इस वक्त संकट का समय है। हमारी जितनी आमदनी होती है उसको हमें बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कम करना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोजैक्ट बनता है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका ७० प्रतिशत रुपया खर्च हो जाता है। इस ओर ध्यान देकर इस खर्च को कम करना चाहिए।

इसके अलावा आपका प्लानिंग विभाग बहुत खर्चीला होता जा रहा है। उसने पहले प्लान में तो कुछ अच्छा काम किया था, लेकिन दूसरे और तीसरे प्लान में हम देखते हैं कि उतना उपयोगी काम नहीं होता। बार बार प्लान्स को बदला जाता है और इसमें बहुत सा खर्चा व्यर्थ हो जाता है। मैं अपने इलाके का आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। हमारे यहां के लिए पहले ५० मैगावाट का एक बिजली घर का प्लान तैं किया गया। उस पर काम होने लगा। बीच में ही उस प्लान को बदल कर १०० मैगावाट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कोई प्लान नहीं कामयाब हो पाया। तो इस तरह से प्लान बदलने से ज्यादा खर्चा होना चाहिए। इसको बन्द करना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि प्लानिंग पर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कम कर दीजिए।

आपका जो ओ० एण्ड एम० डिपार्टमेंट है उसकी आज कोई जरूरत नहीं है। इसको बन्द करना चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन लोगों को निकाल दिया जाए, पर उनको दूसरा काम देना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि आपको यह देखना चाहिए कि जो आज यह अवस्था है कि बिला जरूरत आदमी दफ्तरों में हैं उनको कम किया जाए। जहां एक आदमी की जरूरत है वहां दस दस आदमी लगे हैं। उनको कोई अच्छा काम देना चाहिए और जहां ज्यादा आदमी हैं उनको कम किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : बहिनों को ज्यादा बोलने की आदत नहीं होती, उनको तो काम करने की आदत होती है। हम दो दो तीन तीन दिन तक अपनी स्पीच तैयार करके बैठे रहते हैं, पर हमको समय नहीं मिलता इसलिए उसमें से बहुत कुछ भूल जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप भूल गयी हैं तो अब बैठ जाएं।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सामान्यतया बजट और वित्तीय प्रस्थापनाओं को समर्थन प्राप्त हुआ है। वित्त विधेयक की भी बहुत बुरी आलोचना नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कुछ कटौतियों के सम्बन्ध में घोषणा कर दी थी।

वित्त विधेयक की चर्चा में कई विषयों का जिक्र किया गया है। आर्थिक नीति, स्वर्ण नियन्त्रण आदेश, खर्च में बचत, किसानों की हालत, सरकारी मामलों में अनियमतताएं, सरकारी क्षेत्र

की योजनाएं, अधिलाभ कर, अनिवार्य योजना और कई मामलों का जिक्र हुआ है। चूंकि अधिलाभ कर और अनिवार्य बचत योजना विधेयक पर अलग से चर्चा होगी, अतः उनके सम्बन्ध में आलोचना के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा।

श्री वारियार ने कहा कि आयकर आयुक्त, कलकत्ता ने फरवरी और मार्च, १९६३ में आयकर इकट्ठा करने या न करने के बारे में अधिकारियों को एक पत्र लिखा। पता नहीं किसने उन्हें ऐसी गलत जामकारी दे दी है। पर इससे स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल में जनवरी तक ६९ करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे और फरवरी और मार्च में ३४ करोड़ रुपए। श्री वारियार को बिल्कुल उलट जानकारी दी गई है।

श्री केप्पनर ने कहा कि उत्पाद-शुल्क पर अधिभार अनुच्छेद २७१ के कारण संवैधानिक नहीं हैं। अनुच्छेद २६९ और २७० में कुछ उन करों का जिक्र है जोकि यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं परन्तु एकत्र की गई राशि राज्य सरकारों को मिलती है। अनुच्छेद २७० आयकर और उस में राज्यों के भाग के बारे में है। परन्तु वे भूल गए कि अनुच्छेद में केवल यही व्यवस्था है कि सरकार उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकती है। इस का मतलब यह है कि अन्य अनुच्छेदों के अन्तर्गत संगृहीत कर तो राज्यों को मिलेंगे परन्तु उन करों पर अधिभार द्वारा प्राप्त की गई राशि राज्य सरकारों को देना आवश्यक नहीं। इस से सरकार की जब वे उचित समझे शुल्क बढ़ाने की शक्ति छीनी नहीं जाती। अतः माननीय सदस्य ने इस अनुच्छेद को गलत समझा।

मिट्टी के तेल पर बढ़ाए गए शुल्क में दी गई कटौती से मेरे द्वारा शुल्क बढ़ाने के बारे में दिए गए तर्क गलत नहीं सिद्ध हुए हैं। यदि हर बात जो मैं करता हूं उसे गलत समझा जाए तो मेरे लिए कोई काम करना कठिन है। जब मैं किसी बात को ठीक समझता हूं तो मैं उसे करता हूं। यह उसी मामले की तरह है कि चूंकि शुल्कों में कुछ संशोधन लाने की अनुमति राष्ट्रपति जी ने दे दी है; अतः उनका उन संशोधनों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्ण रवैय्या है। इस मामले को इस तरह से समझना गलत है। सरकार ने इन संशोधनों की अनुमति देने की राष्ट्रपति को इस लिए सलाह दी कि इन पर सभा में चर्चा हो सके। इस तरह से लोकतन्त्र को सहायता मिलेगी और आखिर में निर्णय तो सभा के हाथ में है। यह तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की तरह से है हम उन्हें पुरःस्थापित होने देते हैं, परन्तु बाद में उनका विरोध करते हैं। इसी तरह से इन संशोधनों की बात है। अतः मिट्टी के तेल पर शुल्क में कटौती करने से यह शुल्क बढ़ाने के बारे में दिए गए मेरे तरक के विरुद्ध नहीं है। यद्यपि इस कटौती से विदेशी मुद्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा, परन्तु जब अधिकांश सदस्य एसा चाहते हैं तो मैंने यह कदम उठाया है। मिट्टी का तेल फिर भी कम प्रयोग किया जाना चाहिए। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि विदेशी मुद्रा के लिये अधिकतर मूल्य वाला ईंधन प्रयोग में भी लाना पड़े तो लाया जाना चाहिये। विदेशी मुद्रा देश की दौलत और ससांधन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जानी चाहिए।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : कितने प्रतिशत लोग इसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और कितने प्रतिशत इस का प्रयोग रोशनी के लिये करते हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह जानकारी मालूम करना कठिन है। मिट्टी के तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग अधिक होता जा रहा है जबकि बिजली का संभरण बढ़ने के कारण इस का रोशनी के लिये प्रयोग कम होता जा रहा है। इस प्रकार के प्रयोग को कम करने के लिये इस की लागत

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

बढ़ा कर रुकावट पैदा की जानी चाहिए। इससे गरीबों को असुविधा होगी, परन्तु वे कुछ कम तेल का प्रयोग करें अथवा उनको यही संतोष हो कि वे देश की प्रतिरक्षा के लिए और शक्तिशाली देश बनाने के लिए अंशदान दे रहे हैं।

श्री मुरारका ने मशीनों पर आयात शुल्क का ज़िक्र किया। वह इस बात पर विचार करें कि संयंत्र और मशीनें बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है। यद्यपि इस से कुछ अधिक लागत आए। यदि हम ऐसा न करें तो हम शुरू करने की स्थिति तक शीघ्र नहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा करने के लिये हमें बाहर से आसानी से मशीनों के मंगवाने को अधिकतर कठिन बनाना है। इस बात को भी देखना है कि जो लोग यहां मशीनें बनाते हैं वे अधिक से अधिक मुकाबले के मूल्यों पर मशीनें बनाएं। इस को प्रोत्साहन देने के लिये आयात की गई मशीनों पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उन उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं दी जाएं जिन को अधिक सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अब मैं प्रत्यक्ष करों का जिक्र करता हूं।

खान और ईंधन मंत्री ने कोयला उद्योगों में विनियोजन बढ़ाने की ओर मेरा ध्यान दिलाया है क्योंकि कोयला अन्य उद्योगों के विकास और इस्पात की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। अतः मेरा विचार कोयला उद्योग के लिए विकास छूट २० प्रतिशत से बढ़ा कर ३५ प्रतिशत करना है। यह रियायत निर्धारण वर्ष १९६३–६४ से निर्धारण वर्ष १९६५–६६ तक लागू रहेगी। इसके लिए अलग से विधेयक लाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विनियोजन की गति तेज करने का मेरा इरादा है। अतः सीमित समय के लिए विशेष रियायत दी जा रही है।

कोयला और उर्वरक उद्योगों में विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये इन उद्योगों में प्रयोग में लाई जाने वाली कुछ मशीनों तथा अन्य कुछ सामान पर आयात शुल्क कम करने का मेरा विचार है। इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना राजपत्र में जारी की जा रही है।

अब मैं उन सामान्य बातों पर आता हूं जो चर्चा में उठाई गई हैं। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे माननीय मित्र श्री अ० क० गोपालन ने आय-व्ययक को कुछ पसन्द किया परन्तु साथ ही इसकी पूर्ण निन्दा भी की जैसाकि वह सदैव ही करते हैं। वह छूट से सन्तुष्ट न थे। मैं यह समझ सकता हूं कि परन्तु योजना का परित्याग किये बिना चीनी आक्रमण को रोकने की सरकार की नीति की पूर्ण पुष्टि करने के बाद, वह कहते हैं कि मुझे करों में अवश्य कमी करनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि यह कैसे किया जाये। फिर वह कहते कि आर्थिक नीति गलत है। हां, उन्होंने मुझ से भी दिल में महसूस करने के लिए कहा था। मैं तभी से अपना दिल टटोल रहा हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं उनसे कहूं कि वह अपना दिल टटोलें कि क्या यह बात गलत नहीं है।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : शायद श्री गोपालन का कहना गलत है। आपके दिल है ही नहीं। आपका दिल तो मशीनी है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह अच्छी बात है कि मुझे दिल दिया ही नहीं गया है परन्तु मैं फिर भी जीवित हूं। अतः मेरे माननीय मित्र कितनी गलती कर रहे हैं, यह बात उनके वक्तव्य से विदित होती है। परन्तु वह यह नहीं देखते जब वह यह कहते हैं कि हम उचित प्रतिरक्षा

---

†मूल अंग्रेजी में

नाये रखें और उचित विकास रखें इसके लिए संसाधन की आवश्यकता है। ये संसाधन कहां से आयें ? यही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अन्य देशों से व्यापार में वे हथियार और गोला-बारूद खरीदा जाए जिनकी हमें आवश्यकता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : मैंने अपने भाषण के अन्तिम भाग में बताया है कि संसाधन कैसे प्राप्त किये जायें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं उस पर अभी आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें ये वस्तुएं खरीदनी चाहियें; कहां से और किस धन से और इस के लिए विदेशी मुद्रा कहां है ? वह यह नहीं कहते। फिर भी, वह कहते हैं कि हमें यह दोनों विकास अवश्य हों। क्या यह बात देश के प्रति उनके प्रेम के अनुसार है ? क्या संसाधन जादू के डंडे से बनेंगे ? उन्होंने कहा संसाधन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से प्राप्त हो सकते हैं। यह उनके तथा उनके मित्रों के लिए सतत विषय है। उन्होंने सामान्य बीमा कम्पनियों तथा खाद्यान्न व्यापार या इसी तरह की वस्तु के राष्ट्रीयकरण की भी बात कही थी। क्या वह महसूस करते हैं कि इन वस्तुओं के राष्ट्रीयकरण के लिए, यदि यह मान भी लिया जाये, उचित प्रतिकर देना होगा ? हां, शायद उनके विचार में इसे कोई धन दिये बिना ही किया जा सकता है। परन्तु हम अभी उन के उस देश में नहीं हैं। हम इस देश में हैं जहां लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : हम प्रतिकर दे सकते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि हमें प्रतिकर देना है, तो वह धन कहां से प्राप्त हो ?

†**श्री दाजी** : स्वर्ण बांडों से।

†**श्री मोरारजी देसाई** : फिर भी, वह मुझ से यही कहते हैं कि मैं देश का ऋण बढ़ा रहा हूं। अब, वह मुझे देश का ऋण बढ़ाने का एक और मार्ग बताते हैं। वह ऋण कैसे वापस दिया जायेगा ? यदि इन वस्तुओं से ऋण लिया जाता है तो वह ऋण के भुगतान में दिया जायेगा। मुझे इससे क्या मिलेगा ? अतः गलत क्या है ? मैं इस बात को माननीय सदस्यों पर विचार किये जाने के लिए छोड़ता हूं। मैं निर्णय देना नहीं चाहता।

मैंने प्रायः कहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से हमें इस देश में कोई लाभ नहीं होगा। इस सभा में एक संकल्प पर विचार हो रहा है और इसलिए मैं इस पर इस समय अधिक नहीं बोलूंगा। शायद अगले शुक्रवार को इस पर फिर अन्तिम विचार किया जायेगा, और मेरे सहयोगी उसका उत्तर देंगे।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : वह आप के अपने दल के एक सदस्य हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस से केवल यह विदित होता है कि हमारे दल के सदस्य विचार करने में और विचार प्रकट करने में कितने स्वतंत्र हैं।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** (राजमपेट) : परन्तु कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : वे बहुत ही उचित हैं। वे यह भी देखते हैं कि जब उन के सामने उचित तर्क रखे जायें तो वे उनसे सन्तुष्ट हो जायें। वे कभी-कभी अन्य व्यक्तियों की संगति से अपने जोश में आ कर बहक जाते हैं, परन्तु जैसे ही हम उन्हें बताते हैं कि क्या सही है, वे तुरन्त सही बात पर आ जाते हैं और मेरा समर्थन करते हैं। वे यही करते हैं। इस में कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र इस से भी उत्तम रूप में लागू हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे प्रस्ताव बहुत बड़े बड़े हैं । मैं नहीं जानता कि यह कहां से आती हैं । फिर भी, यह कहना कि हम ऐसी स्थिति में आ गये हैं कि जब कोई भी और अधिक कर नहीं दे सकता, मेरा ख्याल है कि यह वह विचारधारा नहीं है जिस में वह विश्वास करते हैं । मैं नहीं समझता कि हमारे देश में वह स्थिति आ गई है, हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि हमारा देश धनाढ्य है या समृद्ध है । देश निर्धन है । गरीब देश को मालदार बनना है । यदि उसे धनी बनना है तो इसे धन की व्यवस्था करनी होगी जिससे यह विनियोजन कर सकेगा । अतः इसे भुगतान करना है । यह भुगतान करेगा और कर रहा है ।

हर जगह कहा जाता है कि हम भुगतान नहीं कर सकते और फिर भी करों से हमारी आय प्रति वर्ष बढ़ रही है । यदि यह देश नहीं आगे बढ़ रहा है तो यह कैसे होता है ? फिर भी देश में हम ने आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है, तथापि मैं भली भांति जानता हूं कि इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । यह कुछ समय तक अपर्याप्त रहेगी और हमारे सुदृढ़ होने के साथ ही यह और भी अधिक अपर्याप्त प्रतीत हो सकती है और फिर हमारी भूख ज्यादा से ज्यादा शान्त होगी । जब तक कि प्राप्ति की कोई आशा न हो, तब तक वह अपनी दुःखद स्थिति में पड़ा रहता है । परन्तु जैसे ही वह अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करता है और उसके सुधारने की आशा होती है, तो वह तुरन्त उससे असन्तुष्ट हो जाता है जो उसे मिलता है और उसकी मांग अधिकाधिक बढ़ती है । यह बुरा चिह्न नहीं है, परन्तु यदि इसे उत्तम, उचित तथा सामान्य विवेक संहिता समझा जाये ।

परन्तु मेरे माननीय मित्र व्यक्तियों को सन्तुलित स्थिति में रखना ही नहीं चाहते । वे चाहते हैं कि वे उन्हें सदैव प्रोत्साहित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे प्रोत्साहित हो कर कुछ पागलपन करें ताकि देश की सत्ता उन के हाथ में आ जाये । मैं उन्हें विश्वास दिला दूं कि यह नहीं होगा । हमारी जनसंख्या काफी समझदार है वे इस में फंसने वाली नहीं हैं । यह बात आसानी से देखी जा सकती है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र मि० बकर अली मिर्ज़ा ने ठीक ही कहा था । उन्होंने कहा था कि हम अपनी जनसंख्या के बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किये हैं और जो प्रतिरक्षा का भार उठाने को तैयार हैं; यहां तक कि चाहे अन्य लोग उन्हें उकसायें, वे वैसा करने को तैयार नहीं हैं । देश के उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद जो गरीब हैं पर देश आगे बढ़ रहा है और अपना लोकतंत्र बनाये हुए हैं तथा उसे सुदृढ़ बना रहे हैं ।

मेरे माननीय मित्र भूल जाते हैं कि हमें इन मामलों के बारे में कोई लालच नहीं है । हमने राज्य बैंक तथा जीवन का, अनेक स्थानों पर परिवहन का और रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है । हमारा राज्य व्यापार निगम है । इस्पात, उर्वरक, मशीन बनाने, बिजली के सरकारी क्षेत्र में अनेक कारखाने हैं और सभी क्षेत्रों में प्रति वर्ष आगे बढ़ रहे हैं । हम ऐसी अर्थ व्यवस्था में रह रहे हैं जो मिश्रित है, क्योंकि हमें यह अवश्य महसूस करना चाहिये कि हम इस देश को सभी मान्यताओं, मनुष्य की स्वतंत्रता, उसकी वास्तविक प्रसन्नता की मान्यतायें, के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन के अनुसार हम देश की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं । अतः कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि प्रगति बहुत तेज़ नहीं है । परन्तु प्रगति हो रही है और हम इस से अधिकाधिक प्रगति करने योग्य हो रहे हैं ताकि हम अन्त में विश्वस्त आधार पर आ जायें, जहां से हमें कोई भी हटा न सके । परन्तु इन मान्यताओं का बनाये रखना ही महत्वपूर्ण है और यह एक अनुठा प्रयोग है जो इस देश में हो रहा है, जो शायद पहिले किसी भी देश में नहीं किया गया है ।

यह देखा गया है कि सामान्यतया संसार के इतिहास में जिन देशों ने उद्योग तथा अर्थ-व्यवस्था में प्रगति की है उन्होंने ऐसी प्रगति आरम्भ में अपने कृषकों का शोषण करके किया है । वे सदैव

ही उनकी बचत लेते रहे हैं। उन्हें अधिकाधिक बचाने को कहते रहे हैं और कम से कम देते रहे हैं। उन्होंने उन वस्तुओं का उद्योग में विनियोजन किया है और देश की समृद्धता बढ़ाई है। उन्होंने फिर कृषकों तथा अन्य लोगों की ओर ध्यान दिया। हम इस देश में, जब से भी हमने आयोजित विकास आरम्भ किया है, पहिले कृषकों की ओर ध्यान दे रहे हैं। हम पहिले श्रमिकों की ओर ध्यान दे रहे हैं। हम उन सब की ओर ध्यान दे रहे हैं जिहें सहायता की पहिले जरूरत है। सम्भव है कि यह उतनी न हो जितनी कि प्रत्येक चाहता है, परन्तु हम उनकी ओर अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं और हम देश की स्मृद्धता तथा संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोकतंत्र तथा संसार के इतिहास में अनोखा प्रयोग है। यहां तक कि साम्यवादी देशों के इतिहास में भी, यह हुआ है कि उन्होंने भी स्तर ऊंचा उठाने से पहिले कृषकों तथा निर्धनों का शोषण किया है, क्योंकि उसके बिना वह कोई राशि विनियोजित न कर सकते थे। आप केवल थोड़े से व्यक्तियों से ही धन ले कर आप किसी देश की स्मृद्धता नहीं बढ़ा सकते। जब तक कि देश का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सभी व्यक्ति हाथ नहीं बटाते, वह स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। यह थोड़े से व्यक्तियों से ऊंचा नहीं हो सकता। अतः हमें यह देखना है कि कराधान समान रूप से सभी पर लागू हो और यही किया जा रहा है।

हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भार अधिकतर उन पर हो जो अधिक दे सकते हैं और उन पर कम हो जो कम दे सकते हैं। मैं इस से सहमत हूं कि जो कम दे रहे हैं वे, यदि हम उनके अंशदान के बिना काम चला सकें तो, बिल्कुल न दें। कर न देकर वे निश्चय ही अपना जीवन सुधार सकते हैं। फिर भी, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए और स्वयं अपने लिए यह उत्तम है कि वे इस में भाग लें। अन्यथा वे इसका परिणाम ठीक से न भोग सकेंगे। जो भी प्रसन्न होना चाहता है, उसे इसके लिए परिश्रम अवश्य करना चाहिये और भुगतान करना चाहिये। अन्यथा, वह गुलाम बन जायेगा और कभी भी प्रसन्न तथा स्वतंत्र न बन सकेगा। देश में प्रत्येक को यही करना है। यह भी कारण है कि हम संसार में सभी मित्र देशों से सहायता लेते समय जिनके हम बड़े आभारी हैं, हम अपने ही संसाधनों पर अधिक निर्भर करते हैं क्योंकि हम स्वाभिमान वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो अपने ही श्रम से, मित्रों की सहायता के साथ आगे बढ़ना चाहता है, परन्तु सदैव उन से सहायता लेना नहीं चाहता, ताकि वे अपना समय आने पर अपने ही श्रम से स्वयं प्रसन्न हो सकें और संसार के अन्य देशों की भी सहायता कर सकें। इसे मान कर कि उनकी किसी ने सहायता की है, उन्हें भी स्मर्थ होने पर ऐसे व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिये। हम, हमारी सरकार और दल इसी आदश का अनुकरण कर रहे हैं। हम इस समूची अवधि में यही करते रहे हैं।

इस का यह अर्थ नहीं है कि हम गलतियां नहीं करते और कोई भी हम से अच्छा प्रयास नहीं कर सकता। मैं तो सरकार और अपने दल की ओर से यह कहता हूं कि हम अपनी क्षमतानुसार सर्वश्रेष्ठ उपाय करते रहे हैं और हम ने यह कभी नहीं कहा कि दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते। अतः हम उन सभी के लिए खुला मैदान छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि हम ने देश में लोकतंत्रात्मक सरकार को बनाये रखा है और सदैव ही निर्वाचन होते हैं। फिर भी, मेरे माननीय मित्र ने मुझे इस एकमात्र सफलता का स्मरण कराया जो उनके दल को संसद् के उप-चुनावों में मिली। परन्तु वह यह भूल गये कि ८ निर्वाचनों में से ६ स्थान कांग्रेस ने जीते हैं और केवल दो स्थान अन्य दलों को गये हैं। यदि आप जनसाधारण को इस प्रकार बहकायें, तो मैं नहीं समझता कि वे उनके बहकाये में आयेंगे।

मैं सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का राष्ट्रीय करण का उल्लेख करूंगा। विरोधी दल के कुछ लोग सब चीजों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। हमारी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि यह

[श्री मोरार जी देसाई]

न तो साम्यवाद के पक्ष में है और न ही इस के विरुद्ध । हम कोई गलत बात नहीं चाहते । हम सब अच्छी बातें स्वीकार करते हैं । यदि किसी चीज का राष्ट्रीयकरण देश के लिये उपयोगी होता है, तो हम चाहते हैं कि और उसे बिना झिझक के कर लेते हैं । हम मानते हैं कि हम बड़े कठिन काम को कर रहे हैं । इस देश के आर्थिक स्तर को उठाना सरल कार्य नहीं । ४४ करोड़ लोगों में, जहां ४०—५० लाख लोगों की ही आय तीन हजार रुपये से अधिक है और शेष सब की आय कम से कम, तो हम निर्धनता का अनुमान लगा सकते हैं । किन्तु फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यथाशीघ्र हम संसार के अन्य देशों के समान समृद्ध हो सकें, अपना प्रजातंत्रात्मक आदर्श कायम रखते हुए जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं । और यदि हम ऐसा करते हैं, तो इसका यह अर्थ होता है कि हमें कई क्रांतिकारी विधान बनाने होंगे । हम उस में नहीं झिझकते किंतु जब हम कोई क्रांतिकारी विधान लाते हैं तो साम्यवादी दल के लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमें सुधारवादी न हो कर क्रांतिकारी होना चाहिये । और वे उस विधान का विरोध आरंभ कर देते हैं और लोगों को भड़काते हैं ।

सोना नियंत्रण आदेश के संबंध में श्री प्रभातकार ने स्वीकार किया है कि यह क्रांतिकारी विधान है । किंतु वह केवल शब्दों की सहानुभूति है जैसी उन्होंने बजट के लिये मुझे प्रदर्शित की है । क्योंकि तुरन्त वे लोगों को भड़काने और सरकार के विरुद्ध खड़ा करने के लिये अपना काम करने लगे और कहने लगे कि यह हानि कारक है, और इसे बदल कर १८ कैरट का कर दो । वे लोगों को सोने को मेरा नाम देने के लिये भी कहते हैं । मुझे समझ में नहीं आता कि वे क्या चाहते हैं । मुझे निर्दय भी कहा गया है । या तो वह विचित्र व्यक्ति हैं या मैं हूं । शायद सभी व्यक्ति विचित्र होते हैं ।

हम एकाधिकारवादी राज्य में विश्वास नहीं रखते । हम पूंजीवादी सरकार या समाज में विश्वास रखते हैं । हम तो स्वतंत्र समाज, स्वाधीन व्यक्ति में विश्वास करते हैं । जहां प्रत्येक को अपना मन विकसित करने और अपनी क्षमता तथा शरीर को बढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । यह तभी किया जा सकता है जब लोगों को अपनी क्षमता का काम करने दिया जाए, अतः हमने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया है । किंतु जब हम स्वतंत्र समाज में विश्वास रखते हैं, तो हम ऐसी स्वतंत्रता में यकीन नहीं करते जो पूर्णतया निर्बाध्र हो ताकि लोग गलत मार्ग पर न चलने लगें । हम देश के आर्थिक जीवन का नियंत्रण करने में विश्वास रखते हैं ।, हालांकि हम इसे स्वयं चलाना नहीं चाहते । अतः हमें नियंत्रण के सभी उपाय करने पड़ते हैं । ताकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण न कर सके । किंतु यह स्थिति केवल विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती । शोषण तभी समाप्त होगा, जब साधारण व्यक्ति के पास पर्याप्त ज्ञान, शक्ति तथा निडरता होगी, कि वह किसी व्यक्ति द्वारा शोषण सहन नहीं करे । हम शिक्षा, व्यवसाय के साधनों तथा अन्य प्रकार के लाभ और श्रम क्षेत्र, या खेती के क्षेत्र में उसे कई प्रकार से बचाने की विधियों की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह केन्द्र या राज्यों की पन्द्रह वर्षों की सरकारों का इतिहास है । किंतु जब प्रजातंत्र में कुछ लोग उन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर के यह कहते हैं कि प्रगति सुचारू या समान नहीं, तो दोष किस का है ? लोग महंगाई की बात करते हैं और कीमतें गिरने पर फिर चिल्लाते हैं । और मजदूरों को अधिक मजदूरी मांगने को कहते हैं । वे सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिये भी कहते हैं । जब सरकारी कर्मचारी अपनी गलती अनुभव करते हैं तो वही लोग उन के लिये क्षमा याचना मांगते हैं । और दण्ड हटवाने के लिये कोशिश करते हैं । ताकि वे अपना मान बचा सकें ।

इतनी स्वाधीनता उन को प्रजातंत्रीय देश में ही मिल सकती है । यह प्रजातंत्रात्मक देश को शक्ति होती है और इसी से बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता है । हम इसे कायम रखने का

प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे विरुद्ध चाहे जो भी गलत बातें फैलाई जाएं या आरोप लगाये जाएं, हम उनकी लपेट में नहीं आ सकते।

मैंने जो कुछ कहा है बजट के संबंध में कहा है और अब कीमतों को लूंगा। यहां कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि १५ से २० प्रतिशत तक दाम बढ़ गये हैं। श्री गोपालन ने आंकड़े दिये हैं। मुझे इनकी सत्यता पर संदेह है। सरकारी सांख्यिकी के अनुसार थोक कीमत सूचनांक बजट से पहले सप्ताह में १२६.१ था, और २३ मार्च, को १२६.८ हुआ, ६ अप्रैल, को १२७.९ हुआ। फिर यह १५ या २० प्रतिशत वृद्धि कहां से हो गई ?

†**श्री अ० क० गोपालन** : यथार्थ कीमतें तथा सूचनांक में बड़ा अंतर होता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : या तो सूचनांक गलत रखे जाते हैं या कुछ स्थानों पर किसी समय दाम बढ़ जाते हैं। किंतु वे कायम नहीं रहते। जब दाम बढ़े तो उसकी सूचना तुरन्त सरकार को दी जानी चाहिये। अतः हमने इस वर्ष इन कामों के लिये भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग किया है और जहां कहीं ऐसी बात होती है हम कार्रवाई करने में नहीं झिझकते।

चीनी के दाम जरूर बढ़े और कुछ अन्य मामलों में भी दाम बढ़े। किंतु मा० सदस्य मेरे सहयोगी का वक्तव्य पढ़ें। हम इसका नियंत्रण कर रहे हैं। हम कार्रवाई कर रहे हैं किंतु ये आय भी विधि के अनुसार, उचित ढंग से करने पड़ते हैं। और संभव है कैंट्रोल भी किये जाएं। किन्तु यहां हमें और बातें भी सोचनी हैं। चीनी ऐसी चीज है जो पिछले तथा क्रममें पहले वर्ष में हमें अधिक मिली। किंतु स्थिति भिन्न है। हमें इसे आधी दामों पर बेचना तथा निर्यात करना पड़ा। अतः हमें यह प्रयत्न करना पड़ा कि अधिक उत्पादन न करें। परन्तु अब संसार में दाम तिगुने हो गये हैं। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह नीति गलत नहीं, विरोधी लोगों के प्रयत्नों के कारण ऐसा हो रहा है। हम प्रयत्न कर रहे हैं किसी ने भी हमें नहीं बताया। बल्कि वे कहते रहे कि यह स्टाक में पड़ी है। मैंने बाजार के भावों को देखा है जिन पर कर लगाये गये हैं और मैं कह सकता हूं कि किसी भी स्थान पर दाम लगाये गये करों से अधिक नहीं बढ़े। इस वर्ष दाम बने रहे हैं, यद्यपि यह सच है कि किन्हीं दूर के स्थानों पर किसी समय कुछ दाम बढ़ गये होंगे। किन्तु जब उनका पता लगा और कार्रवाई की गई तो दाम तुरन्त नीचे आ गये। अतः यह उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। इसे सर्वथा समाप्त नहीं किया जा सकता। किंतु इस के कारण आन्दोलन नहीं कर देना चाहिये। मा० मित्र ने यहां तक कहा है कि बजट के पास होने पर जनता में बड़ा रोष फैल जाएगा। वह ऐसा ही करना चाहते हैं किन्तु वह रोष उन के विरुद्ध ही पलट जाएगा। हमारे विरुद्ध नहीं आएगा। वे आन्दोलन खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और बड़े देश भक्त होने का दावा करते हैं। देश की इस कठिन अवस्था में, जब हमें प्रतिरक्षा के लिये साधन चाहियें वह करों के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करना चाहते हैं। इस से शत्रु को सहायता मिलती है। यदि उनका यह रवैया है तो उन्हें सरकार के विरुद्ध शिकायत करने की जरूरत नहीं है। क्या यह देश भक्ति है ?

†**श्री प्रभात कार** : वह देश भक्ति का ठेका कैसे ले सकते हैं। यदि जनता ने इतने करों को स्वीकार न किया तो ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम प्रयत्न कर रहे हैं कि दाम न बढ़ने पायें, इसीलिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था को घटा रहे हैं। हम जितना इसे घटा सकते हैं, हमने घटाया है, और हम इस मामले में विश्राम नहीं ले रहे। अतः भारी कर लगाना आवश्यक हो गया है। यदि ऐसा न किया जाए तो क्या किया जाए। मा० मित्र औद्योगिक विकास पर अधिक से अधिक खर्च करना तो चाहते

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

हैं, परन्तु और हम प्रतिरक्षा पर अधिकाधिक खर्च करें, और अन्य देशों की सहायता भी न लें, किन्तु व्यय को अपने साधनों से पूरा करते रहें और चाहते हैं कि कर भी न लगाये जाएं और वह आन्दोलन भी करना चाहते हैं। मुझे यह उनकी सब नीति समझ में नहीं आती।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैंने यह नहीं कहा कि कर नहीं लगाये जाने चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। परन्तु इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाय कि इस देश की अपेक्षा अन्य देशों में मूल्य अधिक बढ़े हैं। मैं ने अभी अभी अन्य देशों सम्बन्धी आंकड़े देखे हैं। इस में संदेह नहीं कि हमारे देश में, वर्ष १९५०की दशावधि में, वार्षिक समाहित खुदरा मूल्य औसतन २.१ प्रतिशत की दर से बढ़े, परन्तु पाकिस्तान में इन की वार्षिक वृद्धि २.९ प्रतिशत हुई, सूडान में ४ प्रतिशत, थाईलैंड में ४.८ प्रतिशत वृद्धि हुई। निसंदेह कुछ ऐसे देश भी हैं जहां वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई प्रतीत होती, परन्तु ऐसे देश छोटे-छोटे हैं। कई एक विकसित देशों में मूल्य काफी दर से बढ़े हैं। इंग्लैंड में उनकी वार्षिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुई, जापान में ४ प्रतिशत, फ्रांस में ५.७ प्रतिशत, इटली में २.९ प्रतिशत और अमरीका में २.१ प्रतिशत वृद्धि हुई। केवल पश्चिम जर्मनी में १.४ प्रतिशत वृद्धि हुई। लेटिन अमरीकन देश, जो हमारे समान विकासशील हैं, वहां विकास तीव्र गति से हो रहा है और वहां मूल्य प्रत्येक क्षेत्र में बढ़े हैं। ब्राजील में प्रतिवर्ष २१ प्रतिशत और चाइल में ३६ प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसलिये हमारे देश में स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी कि चित्रित की जाती है।

मुझे केवल यह आग्रह करना है कि इस मामले पर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय। यदि मूल्य न बढ़े तो निश्चय ही मुझे प्रसन्नता होगी परन्तु मूल्यों को बनाये रखने में हमारे मित्रों द्वारा हमारी सहायता की जानी चाहिये। जब मूल्य गिर जायें तो आप को बहाने बना कर उन को ऊपर लाने के लिये नहीं कहा जाना चाहिए। स्वयं इसी वाद-विवाद में सभी पक्षों की ओर से विचार व्यक्त किया गया है कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाना चाहिए।

†**एक माननीय सदस्य** : यह देश द्रोह है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : हर बात देश द्रोह नहीं हो सकती, परन्तु देशद्रोह उद्देश्य की बिना पर कहा जाना चाहिये।

†**श्री दाजी** : यह आध्यात्मवाद है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे माननीय मित्र आध्यात्मवाद का अर्थ नहीं समझते। जो आप के क्षेत्र की बात नहीं है उस में आप क्यों उलझते हैं।

†**श्री दाजी** : मैं आप से सीखना चाहता हूं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : आप नहीं सीख सकते। जब तक आप उस गुट में हैं आप सीखने योग्य नहीं हो सकते। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। व्यक्तिगत बातों में न उलझ कर हमें वाद-विवाद की ओर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्री रंगा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में चूंकि बहुत क्षति हो रही है इसलिये या तो उसे समाप्त करना चाहिये या इस का विस्तार नहीं होना चाहिये।

†**श्री रंगा** : (चित्तूर) : मैंने तो नहीं कहा कि इसे समाप्त कर देना चाहिये। आप मेरी बात को ठीक रूप में पेश नहीं कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** आप कृपया उत्तेजित न हों । यदि मैंने गलत बात कही है तो मैं अपने कथन को ठीक कर लूंगा । निश्चय ही मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि उस सार्वजनिक क्षेत्र में क्षति हो रही है और यह लाभदायक नहीं है ।

†**श्री रंगा :** परन्तु मैं ने यह तो नहीं कहा कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए । आप को नाप तौल कर बात करनी चाहिए ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं इस कद्र नापतोल कर बात करता हूं कि जितनी आप कभी नहीं कर सकते । मैं आपके समान उत्तेजित नहीं हो जाता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

†**श्री रंगा :** आप उस पक्ष में होने के नाते अपने अधिकार का अनुचित प्रयोग नहीं कर सकते । क्या मैं ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त किया जाय ?

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने उन्हें धैर्यपूर्ण सुना था इस लिये उन्हें भी अब धैर्य से हमारी बातों को सुनना चाहिए ।

†**श्री रंगा :** आप को औचित्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । मैं ने यह बात नहीं कही थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । आप अब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए । माननीय मंत्री ने कह दिया है कि यदि उन्होंने गलत बात कह दी है तो वह उसे ठीक कर लेंगे ।

†**श्री रंगा :** वह ठीक बात कहने के लिये तैयार नहीं हैं और अन्य सदस्य उन का समर्थन कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें । जब वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मुझे अन्तर्बाधाओं के बारे में आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय को शांतिपूर्वक सुना जायेगा । उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है ।

†**श्री रंगा :** मैं ने कभी नहीं कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त कर देना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है । यदि कोई गलत बात कही गई है तो उसे शांतिपूर्वक ढंग से बताया जा सकता है ।

†**श्री रंगा :** परन्तु वह जैसा कहना चाहते थे कह चुके हैं । वह एक उत्तरदायी पद पर आसीन हैं अतः उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मुझे खेद है कि मेरे कारण इतनी उत्तेजना उत्पन्न हुई । मेरे ऐसी मंशा नहीं थी । यदि मैं ने गलत निर्णय निकाला है तो मेरे माननीय मित्र कह सकते हैं कि यह गलत है परन्तु उत्तेजित नहीं हो जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** आप अपने मूल पाठ तक सीमित रहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरे मेरे पास कोई लिखित बात नहीं है ।

†**श्री रंगा :** तो बेहतर है आप बैठ जायें ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** अध्यक्ष महोदय मैं इस का अर्थ नहीं समझ पाया । मैं अपने माननीय मित्र के समान किसी पत्र से पढ़ कर नहीं बोल रहा हूं ।

†**श्री रंगा :** आप अपने उपमंत्री को बोलने दीजिए । वह अच्छा बोलेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** मुझ में उस ओर के माननीय मित्र से अधिक संतुलन-योग्यता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

†**श्री रंगा :** सत्यभामा उन के बचाव के लिये आ गये हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** जैसा कि मैं ने कहा, उन का तर्क यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों में काफी घाटा हो रहा है और कि वह सभी पूर्ण रुप से अक्षम है । अब क्या मैं इस का यह अर्थ किालने में ठीक नहीं हूं कि उनके कहने का तात्पर्य यह था कि इन कारखानों का विस्तार नहीं होना चाहिये । उन्होंने कई बार कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ठीक काम नहीं कर रहे हैं और इसलिये उन्हें नहीं होना चाहिए । उन का दल भी इस नीति में विश्वास रखता ह ।

†**श्री रंगा :** क्या वह इन कारखानों को उपहार के रुप में देना चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । क्या हम अपनी कार्यवाही में आगे बढ़ सकते हैं अथवा नहीं ?

†**श्री भागवत झा आजाद :** आप कृपया उन्हें व्यवस्था बनायें रखने के लिये कहें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं सभी माननीय सदस्यों को ऐसा कह रहा हूं । मेरा अनुरोध है कि वाद-विवाद को शांतिपूर्वक सुना जाये । यदि वह इस तरह बार बार उत्तेजित होते रहे तो कार्य आगे नहीं बढ़ सकता ।

†**श्री दाजी :** अध्यक्ष महोदय, दो देशभक्तों में मुठभेड़ हो गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य शांतिपूर्वक बैठ जायें तो वह भी इस का आनन्द ले सकते हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** माननीय सदस्य श्री दाजी यदि अपने आप को देश भक्त नहीं समझते तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है । मुझे उनके शब्दों पर विश्वास करना होगा ।

†**श्री दाजी :** मैं तो आप के शब्दों का उद्धरण दे रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं ने कब कहा कि आप देशभक्त नहीं हैं। मैं ने तो कहा था कि क्या यह देश भक्ति है।

†**श्री दाजी** : इसका क्या अर्थ निकलता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने इस प्रकार नहीं कहा जिस प्रकार आप कह रहे हैं। मैं इस प्रकार नहीं कह सकता। इस प्रकार उत्तेजित होने का क्या लाभ है।

यदि मेरे माननीय मित्र मेरे साथ सहमत होते हुए कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ज्यों का त्यों रहना चाहिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा इस बारे में कोई मतभेद नहीं है।

†**श्री रंगा** : आप उन की सहायता कीजिये ताकि वह कुछ लाभ दिखा सकें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं तो उन्हें समझने के लिये आप की सहायता करना चाहता हूं।

†**श्री रंगा** : मैं आप की सहायता नहीं चाहता।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। इस प्रकार टीका-टिप्पणी क्या चलती रहे?

†**श्री रंगा** : अध्यक्ष महोदय, अभी ३ वर्ष पूर्व मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि अर्थ-शास्त्र का क, ख भी उन्हें नहीं आता। इस के बावजूद भी उन्हें यहां वित्त मंत्री बनाया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति, यह अलग बात है। प्रो० रंगा यह महसूस करेंगे कि यह मेरा काम नहीं है। अन्तर्बाधाओं की कुछ सीमा होनी चाहिये।

†**श्री रंगा** : परन्तु एक मंत्री सभा में इस प्रकार के आचरण का प्रदर्शन नहीं करता। यह इस प्रकार का पहला अवसर नहीं है। इस प्रकार की नासमझी नहीं होनी चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्रियों को नियुक्त करना और उन्हें हटाना मेरा काम नहीं है वरन यह काम सभा का है।

†**श्री रंगा** : इन्हें हटा देना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा चाहे तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। इस प्रकार नहीं हटाया जा सकता।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे बहुत खेद है। मैं ने यह कह कर कौनसा अपराध किया है कि मैं उनकी सहायता करूंगा।

†**श्री रंगा** : आप मेरी सहायता करने योग्य नहीं हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं केवल तथ्य का उल्लेख कर उनकी सहायता कर रहा हूं परन्तु वह मुझे तथ्यों को पेश ही करने नहीं देते।

†**श्री रंगा** : आपको इतना हठी नहीं होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं हठी नहीं हूं। मैं तो केवल अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं। वह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को एक समान समझते हैं। वह यह देखने का प्रयत्न नहीं करते कि सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न कारखानें हैं। वह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों पर लगाये गये धन को ले कर उन के कुल लाभ को ले लेते हैं और इस प्रकार दिखाते हैं कि इन कारखानों ने लाभ नहीं दिखाया इस लिये यह ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रहे। आर्थिक दृष्टि से किसी परिणाम तक पहुंचने का यह उचित तरीका नहीं है। वह प्रोफैसर हैं, उन्हें अर्थशास्त्र का मुझ से अधिक ज्ञान है मुझे यह स्वीकार करने में हिचक नहीं है। परन्तु उन की तुलना में तथ्यों का ज्ञान मुझे अधिक है। क्योंकि तथा मेरे पास हैं उन के पास नहीं। मुझे आशा है वह मुझे तथ्यों को पेश करने देंगे और इन तथ्यों को स्वीकार करेंगे। वह उन कारखानों को अलग अलग नहीं लेते जिन में पहले ही पूरा उत्पादन हो रहा है और जिन में पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है वह दोनों को मिला देते हैं और फिर बताते हैं कि विनियोजन अलाभकारी रहा है।

यदि आप उन कारखानों को लें जो पहले ही अच्छी प्रकार कार्य कर रहे हैं तो आप को ज्ञात होगा कि वह सभी अच्छा लाभ काम रहे हैं। परन्तु यदि आप इस्पात के तीन कारखानों को लें जिन पर अधिकतर धन लगा हुआ है, लगभग ६०० से ७०० करोड़ रुपये, तो वर्ष १९६१-६२ में उन में १९ करोड़ का घाटा हुआ है। परन्तु ऐसा घाटा किसी भी कारखाने को उठाना पड़ेगा। टाटाज को भी १९२४ से १९४७ तक संरक्षण देना पड़ा और उन्होंने पहले १२ से १५ वर्षों में किसी लाभांश की घोषणा नहीं की। यह निजी क्षेत्र के कारखानों की स्थिति है। इस के बावजूद भी माननीय मित्र कहते हैं कि इन कारखानों ने कोई लाभ नहीं दिखाया। इन कारखानों में पूरा उत्पादन होने दीजिये, इन में कुछ समय काम होने दीजिये तो माननीय मित्र देखेंगे कि सब क्षति समाप्त हो जायेगी और यह अच्छा लाभ दिखायेंगे।

इस प्रसंग में मैं उन्हें रेलवे का उदारहण दूगा। उन पर अधिकतम विनियोजन होता है। और रेलवे से न केवल हमें ४½ प्रतिशत ही प्राप्त होता है, परन्तु वह काफी मात्रा में अवमूल्यन और विकास अवहार भी ले रहे हैं जो वह अपनी क्रियाओं के विस्तार में लगा रहे हैं। उस देश में रेलवे इस प्रकार विकास कर रही है जबकि इंगलैंड में प्रति वर्ष १,५०० लाख पौंड घाटा उठाना पड़ता है। संसार के बहुत से देशों में रेलवेज घाटे पर चलती हैं जबकि हमारे देश में वह लाभ पर चलती हैं। या आप एयर इंडिया इंटरनेशनल को ले लीजिये जो कि एक सार्वजनिक उपक्रम है। उससे लाभ हो रहा है। इसी प्रकार इंडियन एयरलाइंस निगम भी लाभ दिखा रहा है यद्यपि यह कम है परन्तु निजी समवाय घाटे पर भी चल रहे हैं। इसलिये यह कहना कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने अथवा उपक्रम लाभ नहीं दिखा रहे गलत है। राज्य व्यापार निगम ने २२ प्रतिशत लाभ दिखाया है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने १७ प्रतिशत लाभ दिखाया है और इस कारखाने का विस्तार किया गया है। यह अब तक एक तीसरा कारखाना स्थापित कर रहा है। इसलिये यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी कथन सर्वथा गलत है। इसीलिये मैं कह रहा था कि इन तथ्यों को ले कर ही वह आलोचना करें। इस पर भी यदि वह आलोचना करते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है। उन के निर्वाचन भिन्न हो सकते हैं। जब वह एक के बाद दूसरा आरोप मुझ पर लगा रहे थे तो मैं मौन बैठा था, परन्तु अब वह उत्तेजित हो रहे हैं। यह उन का स्वभाव है, परन्तु इस से उन का हित नहीं होगा। वह यदि चाहें तो मुझे हटा

†मूल अंग्रेजी में

सकते हैं परन्तु वह इस में सक्षम नहीं है । उन्हें मेरी बात को कहना पड़ेगा। मैं उन का आदर करता हूं। भले ही उन से मेरा मतभेद हो परन्तु इस के बावजूद भी मैं उन का सम्मान करता हूं। उन्हें मुझ से घृणा है परन्तु फिर भी मैं उन का सम्मान करता हूं क्योंकि गाली जिसको दी जाती है उससे अधिक उस का प्रभाव गाली देने वाले पर होता है ।

एक बात यह कही गई है कि करारोपण का क्रमवार कार्यक्रम होना चाहिए। इस क्रमवार कार्यक्रम को समझने की आवश्यकता है । मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि चीनियों को यथासम्भव शीघ्र खदेड़ देना चाहिए। वह चाहते हैं कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा इस से अधिक शक्ति से करें जितनी शक्ति आज हमारे पास है । इसलिये वह हमारे प्रतिरक्षा व्यय का समर्थन करते हैं। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि विकास होना चाहिए। इन सब के लिये साधनों की आवश्यकता है परन्तु इस पर भी वह करारोपण का क्रमवार कार्यक्रम चाहते हैं। इस का अर्थ यह है कि कुछ कर आज लगाये जायें कुछ अगले वर्ष और फिर कुछ कर उस से अगले वर्ष। परन्तु क्या व्यय इस प्रकार क्रमवार किया जा सकता है ? क्या सेना को वेतन इस प्रकार क्रमवार दिये जा सकते हैं ? क्या आयुद्ध कारखानों के बारे में भी ऐसा ही किया जा सकता है ? क्या कच्चा माल इस प्रकार क्रय किया जा सकता है ? मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्रमवार कार्यक्रम कैसे लागू हो सकता है । मेरे माननीय मित्र अर्थ शास्त्र के ज्ञाता हैं परन्तु यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत मेरी समझ में नहीं आया ।

इस के पश्चात् उन्होंने कहा कि हमें इस्पात का निर्माण इतनी तेजी से नहीं करना चाहिए। वह पूछते हैं कि हम इतना उत्पादन क्यों बढ़ाना चाहते हैं। क्या वह महसूस करते हैं कि आज भी, जब हम ४० लाख टन इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं, हमें १० लाख टन इस्पात का आयात करना पड़ता है जिस की लागत १०० करोड़ रुपये होती है । यदि हम इतनी तेजी से उत्पादन न करते तो और इस्पात आयात करना पड़ता । हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमारा विकास कार्य रुक जाता। इसलिये यह आवश्यक है कि हम उत्पादन बढ़ायें और अधिक धन को विनियोजन करें। हम ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु हमारे मित्र हमें हटाने के लिये तत्पर हैं। यदि उन का दल यह प्रयास करे तो मुझे आपत्ति नहीं है । यह उन का अधिकार है । परन्तु उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है। वह अपनी विचारधारा रख सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं परन्तु वह मुझे ऐसा करने से क्यों रोकते हैं, यह मैं नहीं समझ पाया.... (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री रंगा** : यह आप सराजुद्दीन से पूछिये। देश इस के लिये आप के साथ सहनशील नहीं है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : देश आप के साथ सहनशील नहीं है जो कि आप नहीं जानते। मुझ खेद है कि आप इस कदर असहनशील हैं। गत कई वर्षों से हम एक साथ हैं फिर भी वह मित्रता को स्वीकार नहीं करते। भिन्न पक्षों के होने के कारण मित्रता को आघात नहीं पहुंचना चाहिए।

†**श्री रंगा** : मित्रता परस्पर होनी चाहिए।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं तो अपने आचरण में इस मित्रकता का प्रदर्शन कर रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि हमें यह चर्चा उचित तथा मित्रतापूर्ण रीति से करनी चाहिए और हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब मैं उन की बात सुनता हूं और उत्तर देना आरम्भ करता हूं तो मुझे भय रहता है कि नहीं मालूम कौन से उपनाम मुझे दिये जायेंगे। मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और केवल यह आशा करता हुं कि मेरे माननीय मित्र अगले बार अधिक सहिष्णुता दिखायेंगे ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्री हरवानी ने माननीय वित्त मंत्री को अपने उस पत्र को सभा पटल पर रखने के लिये दो बार लिखा है जो पत्र कि उन्होंने सराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के विरूद्ध मामले को समाप्त करने के बारे लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि उस के बारे में अब क्या स्थिति है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं ने कहा था कि यदि वह चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं ने उसकी एक प्रति माननीय अध्यक्ष को भेज दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दाजी द्वारा मांग की गई थी। मैं ने उन्हें कहा था कि वह मुझे लिखें परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार श्री हरवानी ने कहा था कि इसे सभा पटल पर रखा जाये, मैं ने उन्हें भी कहा परन्तु उन्होंने भी मुझे नहीं लिखा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : यदि ऐसी मांग की जा चुकी है, भले ही वह मौखिक रूप में हो अथवा लिखित रूप में, तो उसे सभा पटल पर रखने में क्या आपत्ति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नियमों के अन्तर्गत कुछ आपत्ति है । यदि कोई व्यक्ति अथवा मंत्री मेरी आज्ञा चाहते हैं तो मुझे सोचना होता है कि आज्ञा दी जाये अथवा नहीं। यदि उसमें से कुछ उद्धृत किया गया था तो उस के लिये उसी समय मांग की जानी चाहिये थी, क्योंकि इस का एक भाग उद्धृत किया गया है, कि इस को समूचे तौर पर सभा पटल पर रखा जाय तो यह देखना मेरा कर्तव्य था कि यह सभा पटल पर रखा जाता।

†**एक माननीय सदस्य** : उस का निर्देश किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय वित्त मंत्री ने इस में से उद्धृत नहीं किया था। उन्होंने केवल इस तथ्य का उल्लेख किया था कि श्री हरवानी द्वारा उन्हें एक पत्र लिखा गया था और न्होंने उस का उत्तर दे दिया था ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : यदि एक मंत्री द्वारा सार दे दिया जाता है तो वह उद्धरण के समान नहीं होता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उद्धरण के समान नहीं होता। कुछ भी हो, श्री द्विवदी ने मुझे लिखा है और अब मैं इस का निरीक्षण कर रहा हूं। परन्तु जहां तक मेरी प्रतिक्रिया का सम्बन्ध था मैंने कह दिया है कि दो माननीय सदस्य इस प्रकार चाहते थे, जिन्हें मुझे लिखने के लिये कहा गया था परन्तु उन में से किसी ने नहीं लिखा ।

†**श्री रंगा** : क्या यह आवश्यक है कि एक विशेष माननीय सदस्य आप को लिखें ? क्या सभा का कोई भी माननीय सदस्य आप को नहीं लिख सकता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह मैं कह चुका हूं। प्रोफेसर रंगा को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि यदि मंत्री महोदय ने इसमें से कोई उद्धरण दिया होता तो सभा का कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता था कि इस को सभा पटल पर रखा जाये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : यह सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है। जब माननीय मंत्री ने किसी सदस्य पर कुछ आक्षेप लगाये हैं, तब, चाहे उन्होंने किसी पत्र में से कोई उद्धरण नहीं सुनाये हों, अपितु यही कहा हो कि ऐसा एक पत्र है, यदि सदस्य उसे सभा पटल पर रखने की मांग करे तो मंत्री महोदय उसे अस्वीकार किस प्रकार कर सकते हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** श्रीमान् मैं इसे सभा पटल पर रखे देता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—११७९/६३]**

†**डा० ब० ना० सिंह :** इसका परिचालन किया जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरे पास इसकी २१ प्रतियां हैं।

†**डा० ब० ना० सिंह :** इसकी २०० अथवा अधिक प्रतियां तैयार करवा लीजिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक सदस्य के लिए पृथक प्रति उपलब्ध करवाना व्यावहारिक नहीं है।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : यह नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां, इसके अतिरिक्त ५ प्रतियां पुस्तकालय में रखवा दी जायें।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जो इसके पक्ष में हों, वह कृपया "हां" कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य :** हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो इसके विरोध में हों वह कृपया "न" कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य :** "ना"।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : इस पर मत विभाजन किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में १०८ : विपक्ष में १९

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अब विधेयक पर खंडवार चर्चा आरम्भ होगी।

खंड २—

खण्ड २—(आय-कर और अधि-कर)

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २३,—

"deduction of tax with which he is chargeable" [उस पर लगाये जाने वाले कर को घटाना]" के स्थान पर "deduction from the amount of tax which he is chargeable" ["उस पर लगाये जाने वाले कर की राशि में से घटाना"] रख दिया जाये (२)।

यह संशोधन वित्त विधेयक के खंड २ (५) के उपखंड (ख) के सम्बन्ध में है। जिसके अधीन कुछ विशेष वस्तुओं के निर्माताओं की उन वस्तुओं के सीधे निर्यात पर, ऐसे निर्यात अथवा बिक्री पर, आय-कर और अधि-कर में, २ प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उस पर लगाये जाने वाले आय-कर और अधि-कर की राशि में से घटाना शब्दों का संकेत इसी छूट के प्रति है। प्रस्तावित संशोधन पूर्णतया वाक्य रचना सम्बन्धी है।

मेरा दूसरा संशोधन भी है।

मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २६,—

"received by him on" [" को उसके द्वारा प्राप्त "] के स्थान पर "in respect of" [" के सम्बन्ध में"] रख दिया जाये (३)।

यह संशोधन भी उसी उप-खण्ड के सम्बन्ध में है। इस खंड के अधीन, इसकी प्रस्तुत शब्द-रचना के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं के निर्माताओं को, उन वस्तुओं के सीधे निर्यात पर, ऐसे निर्यात अथवा बिक्री से प्राप्त राशि के २ प्रतिशत के बराबर आय कर की छट मिलेगी। तथापि, एक कर दाता अपना माल उधार भी बेच सकता है। इस संशोधन द्वारा ऐसे कर दाता को भी छूट दी जा सकेगी।

तीसरा संशोधन यह है; मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३२,—

"during the previous year" [" गत वर्ष के दौरान]" को निकाल दिया जाये (४)।

यह संशोधन भी उसी उप-खंड से सम्बन्धित है। इसके अधीन, प्रस्तुत शब्द रचना के अनुसार, यदि निर्माता ने किसी निर्यात करने वाले व्यापारी को माल बेचा हो, तो उस निर्माता को छूट उसी हालत में मिल सकेगी, यदि उस व्यापयरी ने उस माल का निर्यात पिछले वर्ष ही कर दिया हो। किन्तु निर्माता द्वारा वस्तु के बेचने और व्यापारी द्वारा उसके निर्यात करने में कुछ समय लग सकता है। इसलिये इस संशोधन द्वारा "गत वर्ष के दौरान" शब्दों

†मूल अंग्रेजी में

को हटाया जा रहा है जिससे ऐसे निर्माता भी छूट प्राप्त कर सकें। उन्हें केवल निर्धारण समाप्त करने के पूर्व इस बात का साक्ष्य देना होगा कि उसके द्वारा अन्य व्यापारी को बेचा गया माल वास्तव में ही बाहर भेजा जा चुका है।

इसके बाद एक संशोधन और है। मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३९,—

"proceeds received in respect of such articles by the manufacturer" ("निर्माता द्वारा इन वस्तुओं के सम्बन्ध में प्राप्त राशि") के स्थान पर "proceeds receivable by him in respect of such article" "(उसके द्वारा इन वस्तुओं के सम्बन्ध में प्राप्य राशि") रख दिया जाये (५)।

यह उसी उप-खंड के सम्बन्ध में एक और संशोधन है। इसके अधीन कुछ विशेष वस्तुओं के निर्माता को, किसी निर्यात करने वाले व्यापारी को उन वस्तुओं की बिक्री करने पर, उन निर्माताओं द्वारा निर्यात कर्ताओं से प्राप्त बिक्री की राशि के २ प्रतिशत के बराबर कर की छूट दी जायेगी। प्रस्तुत शब्द-रचना के अनुसार यदि निर्माता ने माल उधार बेचा और यदि राशि की वसूली उसी वर्ष के अन्तर्गत नहीं हो सकी, जब बिक्री की गई थी, तो उसे छूट नहीं दी जा सकेगी। इस संशोधन द्वारा उसे भी छूट प्राप्त हो सकेगी।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति २३,—

"deduction of tax with which he is chargeable" ("उस पर लगाये जाने वाले कर को घटाना") के स्थान पर "deduction from the amount of tax with which he is chargeable" ("उस पर लगाये जाने वाले कर की राशि में से घटाना") रख दिया जाये (२)।

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति २६,—

"received by him on" ("को उसके द्वारा प्राप्त") स्थान पर "in respect of" ("के सम्बन्ध में") रख दिया जाये। (३)।

(३) पृष्ठ ३, पंक्ति ३२,—

"during the previous year" ("गत वर्ष के दौरान") को निकाल दिया जाये (४)।

(४) पृष्ठ ३, पंक्ति ३९,—

"proceeds received in respcet of such articles by the manufacturer" ["निर्माता द्वारा इन वस्तुओं के संबंध में प्राप्त राशि") के स्थान पर "उसके द्वारा इन वस्तुओं के संबंध में प्राप्य राशि") रख दिया जाये (५)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३––(कटौती आदि के प्रयोजन के लिये अतिरिक्त अधिभार को सम्मिलित न किया जाये ।)

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ ५, खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :––

"3. Notwithstanding anything contained in the provisions of Chapter VII or Chapter VIII-A or section 110 of the Income Tax Act or sub-section (5) of section 2 of this Act, in calculating any relief, rebate or deductions in respect of income-tax payable on the total income of an assessee which includes any income on which no income-tax is payable or in respect of which a deduction of income-tax in admissible under any of the aforesaid provisions, no account shall be taken of the additional surcharge."

("३. अध्याय ७ अथवा अध्याय ८–क अथवा आय-कर अधिनियम की धारा ११० अथवा इस अधिनियम की धारा ११० अथवा इस अधिनियम की धारा २ की उप-धारा (५) के उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी करदाता की कुल आय पर, जिसमें ऐसी आय भी जिस पर आय कर देय नहीं सम्मिलित है अथवा जिसके संबंध में उपर्युक्त उपबन्धों में से किसी के अधीन आयकर में कटौती की जाती है, देय आय-कर के संबंध में, राहत, छूट अथवा कटौती की गणना करते समय अतिरिक्त अधिभार को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।" (६)

मैं इस उपबन्ध की व्याख्या करना चाहती हूं। आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ मदों पर छूट अथवा राहत दी जाती है। अध्याय ७ के अधीन नये औद्योगिक उपक्रमों के लाभांश आदि पर और अध्याय ८–क के अधीन भविष्य निधि के अंशदानों आदि पर राहत दी गई है।

उसी प्रकार विचाराधीन वित्त विधेयक के खंड २ के उपखंड ५ में निर्यात के संबंध में राहत दी गई है। अभिप्राय यह है कि इस बात के होते हुये भी कि इन मदों पर आय-कर के संबंध में छूट अथवा राहत दी जाती है, इन पर अतिरिक्त अधिभार के संबंध में छूट नहीं दी जायेगी।

इस संशोधन के परिणाम स्वरुप यद्यपि उपर्युक्त उपबन्धों में विशेष रुप से दी गई राहत अतिरिक्त अधिभार के संबंध में लागू नहीं होगी, तथापि आय-कर अधिनियम के अन्य अध्यायों में दी गई राहत, जैसे अध्याय ८–ख जिसमें एक मुश्त प्राप्त वेतन के बकाया के विषय में उपबन्ध है और अध्याय ९ जिसमें आय-कर की दोहरी राहत के विषय में दिया हुआ है, अतिरिक्त अधिभार के विषय में भी लागू होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, खण्ड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"3. Notwithstanding anything contained in the provisions of Chapter VII or Chapter VIII-A or sections 110 of the Income

†मूल अंग्रेजी में

Tax Act or sub-sections (5) of section 2 of this Act, in calculating any releif, rebate or deduction in respect of income-tax payable on the total income of an assessee which includes any income on which no income-tax is payable or in respect of which a deduction of income-tax is admissible under any of aforesaid provisions, no account shall be taken of the additional surcharge."

("३. अध्याय ७ अथवा अध्याय ८-क अथवा आय-कर अधिनियम की धारा ११० अथवा इस अधिनियम की धारा २ की उप-धारा (५) के उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी करदाता की कुल आय पर, जिसमें ऐसी आय भी जिस पर आयकर देय नहीं है सम्मिलित है अथवा जिस के संबंध में उपर्युक्त उपबन्धों में से किसी के अधीन आय कर में कटौती की जाती है। देय आय कर के संबंध में, राहत, छूट अथवा कटौती की गणना करते समय, अतिरिक्त अधिभार को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।") (६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ और ५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ६--(धारा ४० का संशोधन)

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ ५ पंक्ति संख्या २७ से ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :--

"6. In section 40 of the Income-tax Act, in clause (c),

(1) before the *Explanation*, the following sub-clause shall be inserted, namely :—

(iii) any expenditure which results directly or indirectly in the provision of any remuneration or benefit or amenity to an employee who is a citizen of India, to the extent such expenditure exceeds the amonnt calculated at the rate of five thousand rupees per month for any period his employment after the 28th day of February, 1963:"

["६. आय-कर अधिनियम की धारा ४० के खंड (ग) में,—

(१) व्याख्या के पहले निम्नलिखित उप-खंड जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"(३) कोई भी व्यय जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से किसी भी कर्मचारी के, जो भारत का नागरिक है, पारिश्रमिक अथवा लाभ अथवा सुविधा के लिये किया गया हो, जिस सीमा तक यह व्यय उस राशि से, जो २८ फरवरी, १९६३ के बाद में उसके किसी भी नियोजन काल के संबंध में ५००० रुपये प्रतिमाह की दर से गणना करने पर आती हो।" (७)।]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक को विचार करने के लिये प्रस्तुत करते समय और इसके भी पूर्व वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुये वाद-विवाद का उत्तर देते समय इस उपबन्ध पर काफी प्रकाश डाला था।

यह संशोधन वित्त विधेयक के खंड ६ के संबंध में है, जिसके अधीन समवायों द्वारा व्यक्तिगत कर्मचारियों के पारिश्रमिक और परिलब्धियों के संबंध में ५००० रुपये प्रतिमाह से अधिक किया गया व्यय उनकी कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित संशोधन द्वारा, जैसा कि सभा को ज्ञात होगा, यह उपबन्ध केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त कर्मचारियों को ५००० रुपये प्रतिमाह से अधिक दिये गये पारिश्रमिक पर ही लागू होगा। इस प्रकार समवायों द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त कर्मचारियों को ५००० रुपये प्रति माह से अधिक दिया गया पारिश्रमिक इस उपबन्ध की परिधि में सम्मिलित नहीं होगा। इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत स्थित समवाय विदेशी तकनीकियों और विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करते रहें।

इस खंड के संबंध में मेरा एक और संशोधन है। मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ ५, पंक्ति ३९ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:—

"(2) In the *Explanation* after the words, and figure "referred to in sub-clause (i)", the words, brackets and figures "or in sub-clause (iii)" shall be inserted."

("(२) व्याख्या में "उप-खंड (१) में निर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के बाद "अथवा उप-खंड (३) में " शब्द , कोष्ठक और अंक जोड़ दिये जायें।" (८)

आय-कर अधिनियम की धारा ४० (ग) का संशोधन करने वाले वित्त विधेयक के खंड ६ में यह उपबन्ध है कि समवायों द्वारा अपने व्यक्तिगत कर्मचारियों के पारिश्रमिक और परिलब्धियों के संबंध में ५००० रुपये प्रतिमाह से अधिक किया गया व्यय उनकी कुल आय की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह संशोधन एक नया खंड जोड़ कर किया गया है जिसका मैंने पहले आय-कर अधिनियम की धारा ४० (ग) में उल्लेख किया था। आय-कर अधिनियम की धारा ४० (ग) की व्याख्या में यह उपबन्ध किया गया है कि समवायों द्वारा किये गये अतिशय पारिश्रमिक के भुगतान को निर्धारण करते समय सम्मिलित न किया जाये, यद्यपि प्राप्तिकर्ता की ओर से ऐसे भुगतानों पर कर निर्धारण किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन द्वारा इस व्याख्या में एक नये उपखंड के प्रति जो जो उपरिलिखित ५००० रुपये से अधिक के वेतन को छोड़ देने के उपबन्ध के विषय में है, निर्देश सम्मिलित कर दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या ७ और ८ और खंड ६ अब चर्चा के लिये सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं ?

†**श्री मुरारका :** मैं संशोधन संख्या ७ के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या यह उपबन्ध उन मामलों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जहां कोई व्यक्ति एक समवाय से ५००० रुपये लेता है और दूसरे समवाय से भी ५००० रुपये लेता है ? इस विधेयक का ध्येय

†मूल अंग्रेजी में

यह है कि कोई निगम किसी एक व्यक्ति को ५००० रुपये मासिक से अधिक न दे। किन्तु यहां कई प्रबन्ध ऐसे हैं जिनके अधीन एक से अधिक समवाय हैं। इसलिये यदि वह किसी व्यक्ति को १००० रुपये देना चाहे तो वह अपने अधीन २ विभिन्न समवायों से पांच-पांच हजार रुपये दिलवा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय का स्पष्टीकरण किया जाये।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : श्री मुरारका ने जो प्रश्न रखा उसके सम्बन्ध में समवाय अधिनियम में उपबन्ध किया जाना चाहिये। वित्त विधेयक में तो यही उपबन्ध है कि एक विशेष करदाता के सम्बन्ध में कितनी राशि व्यय की जा सकती है। इसलिये यदि सरकार यह चाहती है कि विभिन्न समवाय किसी एक व्यक्ति को ५००० रुपये से अधिक न दें तो इसके लिये समवाय अधिनियम में ही उपबन्ध किया जाये।

'मेरा दूसरा तर्क यह है कि कुछ कर्मचारी ५००० रुपये मासिक पर उपलब्ध नहीं होंगे। उनके लिये अधिक रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : मैं इस खंड का विरोध करता हूं क्योंकि यह व्यापार के लिये बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। यदि यहां के उपयुक्त तकनीकी कर्मचारियों को अच्छा वेतन नहीं दिया गया तो वह विदेशों में चले जायेंगे। पहले ही बहुत से व्यक्ति अमरीका आदि में कार्य कर रहे हैं।

यह सिद्धान्त का प्रश्न है और सरकार को किसी समवाय की इस विषय में बाधा नहीं करनी चाहिये कि वह अपने कर्मचारियों को सीमित वेतन दें।

इसके अतिरिक्त यह विदेशी कर्मचारी और यहां के कर्मचारियों के बीच विभेद उत्पन्न करता है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : भारतीयों के प्रति विभेद का कोई प्रश्न नहीं है। इस संशोधन का प्रयोजन ही यह है कि ऐसी सुविधायें प्रदान करे जो इस देश के औद्योगिक विकास की प्रगति के लिये हितकर सिद्ध हो। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेगा कि औद्योगिक विकास से सम्बन्धित किसी समस्या पर परामर्श प्राप्त करने के लिये यहां बुलाये जाने वाले विदेशी विशेषज्ञों के सम्बन्ध में पूरी तरह छान-बीन की जाये। उन्होंने कहा था कि अनपेक्षित और निरुपयोगी व्यक्तियों को परामर्श देने के लिये यहां नहीं बुलाया जायेगा। यह राष्ट्र के हित में ही किया गया है। पता नहीं माननीय सदस्य इस पूर्णतया हानि रहित उपबन्ध का ही विरोध क्यों कर रहे हैं? इससे वास्तव में ही किसी के प्रति विभेद नहीं होता।

श्री मुरारका ने एक प्रश्न उठाया था जिसका पहले भी उल्लेख हो चुका था। मैं समझती हूं इस विषय में श्री हिम्मतसिंहका ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। इस विधेयक में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो कुछ रुपये यहां से और कुछ वहां से लेकर कुल ५००० रुपये से अधिक लेता है, कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। मैं इस बात पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि समवाय अधिनियम में संशोधन करना समवाय विधि प्राधिकार का ही कार्य है। मैं नहीं जानती कि वह ऐसा किस प्रकार करेंगे। मैं समझती हूं यह विषय भी प्रश्नास्पद है?

किन्तु इस विधेयक में यह संभव नहीं है कि श्री मुरारका के कथनानुसार किसी व्यक्ति के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वेतन को जोड़ा जाये और ५००० रुपये की कसौटी लागू की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

इस विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया था। किन्तु निष्कर्ष यह निकला कि इस प्रयोजन के लिये वेतन प्राप्त आय की गणना करना विधि के अनुसार संभव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ ५—पंक्ति, २७ से ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

"6. In section 49 of the Income-tax Act, in clause (c)

(i) before the *Explanation*, the following sub-clause shall be inserted, namely :--

(iii) any expenditure which refults directly or indirectly in the provision of any remuneration or benefit or amenity to an employee who is a children of India, to the extent expenditure exceeds the amount calculated at the rate of five thousand rupees per month for any period of his employment after the 28th day of February, 1963.'

["६., आय-कर अधिनियम की धारा ४० के खंड (ग) में.—(१) व्याख्या के पहिले निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"(३) कोई भी व्यय जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किन्ही कर्मचारी के, जो भारत का नागरिक है, पारिश्रमिक अथवा लाभ अथवा सुविधा के लिये किया गया हो, जिस सीमा तक यह व्यय उस राशि से, जो २८ फरवरी, १९६३ के बाद के उसके किसी भी नियोजन काल के सम्बन्ध में ५००० रुपये प्रति माह की दर से गणना करने पर आती हो।" (७)।

(२) पृष्ठ ५—पंक्ति ३९ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये। —

"(2)In the *Explanation* after the words, brackets, and figures "referred to in sub-clause (i)", the words, brackets and figures "or in sub-clause (iii) shall be inserted.

["(२) व्याख्या में "उप-खंड (१) में निर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के बाद "अथवा उप-खण्ड (३) में" शब्द कोष्ठक और अंक जोड़ दिये जायें।" (८)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७ से २१ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २२—(१९३४ के अधिनियम ३२ का संशोधन)

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

पृष्ठ ११, पंक्ति १६ और १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(i) the value of the imported article determined under sub-section (1) of the said section 14 or the tariff value of such article fixed under sub-section (2) of that section, as the case may be."

---

†मूल अंग्रेजी में

["(१) यथा स्थिति उक्त धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन निर्धारित आयात किये हुये पदार्थ का मूल्य अथवा उस धारा की उपधारा (२) के अधीन निश्चित ऐसे पदार्थ का प्रशुल्क मूल्य ; "] (९)

यह संशोधन स्पष्टीकरण के रूप में है वित्त विधेयक का खंड २२ भारत प्रशुल्क अधिनियम की धारा २क का संशोधन करके यह उपबन्ध करता है कि किसी आयात किये हुए पदार्थ पर यथामूल्य प्रतिशुल्क की गणना करते समय मूल्य सीमा शुल्क, अधिभार आदि को भी निर्धारित निर्धारणीय मूल्य में सम्मिलित कर लिया जाये , और इसके पश्चात् जब मूल शुल्क लगाने के लिये किसी पदार्थ के लिये प्रशुल्क मूल्य निश्चित कर दिया जाये, तब अभिप्राय यह है कि प्रतिशुल्क की गणना करते समय भी प्रशुल्क मूल्य को सम्मिलित कर लिया जाये। प्रस्तावित संशोधन इसी उद्देश्य को स्पष्ट करने के अभिप्राय से लाया गया है।

जैसा कि सभा को विदित है विभिन्न पदार्थों पर औसत के अनुसार प्रशुल्क लगाया जाता है। जहां पर बीजकों से मूल मूल्यों का निर्देश नहीं होता, जहां पदार्थों की किस्म में विभिन्नता है, जहां पर पदार्थों के साथ उनके अवयव भी हैं। जहां प्रत्येक अवयव की पृथक-पृथक् शुल्क है, जहां पदार्थों का स्वरूप बहुत जटिल हो। वहां औसत मूल्य के रूप में प्रशुल्क मूल्य जोड़ दिया जाता है। इसलिये अभिप्राय यह है कि प्रति शुल्क की गणना करते समय ऐसे मूल्यों को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११—पंक्ति १६ और १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(1) the value of the imported article determined under sub-section (1) of the said section 14 or the tariff value of such article fixed under sub-section (2) of that section, as the case may be."

["(१) यथा स्थिति उप धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन निर्धारित आयात विधि किये हुये पदार्थ का मूल्य अथवा उस धारा की उप-धारा (२) के अधीन निश्चित ऐसे पदार्थ का प्रशुल्क मूल्य, "] (९)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २३ से २५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २६—(१९४४ के अधिनियम १ का संशोधन)

†**श्री अ० क० गोपालन :** मैं अपने संशोधन संख्या १४, १५ और १७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री पु० र० पटेल :** (पाटन) : मैं अपनी संशोधन संख्या १६ और १८ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दे० शि० पाटिल :** मैं अपनी संशोधन संख्या २५ प्रस्तुत करता हूं।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, दो संशोधन मैंने भेजे थे।

अध्यक्ष महोदय : उनके नम्बर क्या हैं ?

श्री बाल्मीकी : मैंने थोड़ा लेट भेजे थे।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खड़े भी लेट हो रहे हैं।

अब खंड २६ और उसके संशोधन संख्या १४, १५, १६, १७, १८, और २५ सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन :** केरल में लगभग ६००० परिवार तम्बाकू की खेती पर निर्वाह करते हैं। यह केरल से बाहर नहीं भेजी जाती।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसका उपयोग कासरगोड और दूसरे स्थानों पर ही किया जाता है। अभ्यावेदन के अनुसार उन्हें इसकी पौध को सींचने और प्लेटफार्म आदि पर ८०० रुपये व्यय करने पड़ते हैं। यदि अतिरिक्त अधिभार लगा दिया गया तो उनके लिये तम्बाकू की खेती करना असम्भव हो जायेगा। यह तम्बाकू कुछ निम्न कोटि की होने के कारण कुछ आदिवासी लोगों द्वारा चबाने के ही काम में आती है। इसलिये इन परिवारों का रोजगार छिन जायेगा।

राज्य सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि तम्बाकू में कुछ सुधार किया जा सकता है अथवा नहीं एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है किन्तु, अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः अनिर्मित तम्बाकू को कुछ छूट दी जाये।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं श्री गोपालन का समर्थन करता हूं। कर बढ़ जाने से गरीब किसान बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे।

दूसरा संशोधन जटिल समस्या है। बड़े बड़े नगरों में बहुत से लोग ऐसे छोटे छोटे कमरों में रहते हैं कि वहां लकड़ी का कोयला जला कर खाना पकाया ही नहीं जा सकता। दक्षिण में कोयले का भाव वैसे ही अत्यधिक है और वह औद्योगिक प्रयोजनों के लिये भी उपलब्ध नहीं होता। अतः इस कर को कम करने का प्रश्न मानवीय आधार पर भी सोचना चाहिये। गांवों में अभी बिजली नहीं पहुंची और वे मिट्टी के तेल का ही प्रयोग करते हैं। उन लोगों के लिए इस में कुछ रियायत करनी चाहिये। बिजली और भोजन लोगों के लिए अत्यावश्यक वस्तुएं हैं। मंत्री महोदय ने कुछ रियायत तो दी है किन्तु इस पर और अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

अधिकांश लोग आजकल सामान के परिवहन के लिए डीजल का प्रयोग करते हैं। डीजल पर कर लगने से सामान्य वस्तुओं का मूल्य बढ़ जायेगा। वास्तव में यहां की अर्थ-व्यवस्था ऐसी है कि जिस वस्तु पर कर लगाया जाता है केवल उसका ही नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है।

डीजल पर लगाये गये कर से कृषकों को बहुत हानि होगी। वित्त मंत्री ने इस से जन साधारण के कष्टों को बढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों करों को वापस ले लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : तम्बाकू के संबंध में सहारनपुर, कानपुर और आंध्र तथा अन्य राज्यों से वित्त मंत्री को कई अभ्यावेदन आये हैं। १९५७ में भी जब अनिर्मित तम्बाकू पर कर लगाया गया था तो गरीब किसानों की खातिर उसमें छूट दी गई थी। मेरा उनसे बिनम्र निवेदन है कि वे अब भी इस में छूट दे दें।

मिट्टी के तेल पर कर में जो छूट दी गई है वह अच्छी है किन्तु कर में और कमी करने के विरुद्ध जो यह तर्क दिया जाता है कि लोग इसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते ह उस के बारे में मेरा निवेदन है कि विकास के साथ साथ नगरों में जनसंख्या बढ़ी है और समयाभाव और बचत दोनों कारणों से लोग मिट्टी का तेल इधन के लिए प्रयोग करते हैं। यदि सस्ती गैस उपलब्ध की जाये तो यह समस्या हल हो सकती है। मध्यवर्ग के लोगों के लिए मिट्टी के तेल पर कर कम करना चाहिये।

देश में कोयले की कमी के कारण हम चाहते हैं कि हमारे परिवहन के साधनों में डीजल का प्रयोग किया जाये। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि श्री पु० र० पटेल का संशोधन स्वीकार किया जाये और कर में कमी की जाये।

†**श्री पु० र० पटेल** : मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि कृषि को हानि न हो क्यों कि जहां बिजली या गैस नहीं है वहां डीजल के इंजन और पम्प खेती बाड़ी के लिए प्रयोग किये जाते हैं।

आज कल ३०–४० लाख टन गेहूं विदेश से मंगाया जाता है और सरकार द्वारा अर्थिक सहायता से उसका मूल्य घटा कर लोगों को दिया जाता है, जिससे बहुत हानि होती है।

१९५१ की तुलना में गेहूं का मूल्य १२ प्रतिशत कम हो गया है। ऐसी स्थिति में डीजल पर कर लगाने पर लोग अन्य फसलों को बोना पसन्द करेंगे। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे इस पर पुनर्विचार करें। यदि वे मेरा संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ २६ पर मैं अपने संशोधन नम्बर २४ और २५ मूव कर रहा हूं। मेरे से पहले श्री पु० र० पटेल ने इन के बारे में अच्छे ढंग से कहा है और बतलाया है कि यह क्यों आवश्यक है। उन के अलावा श्री स० मो० बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में कहा है। इसलिये मुझे इन के बारे में कुछ विशेष कहना नहीं है।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इमरजेंसी के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रोग्राम बढ़ा है और उन्होंने माइनर इर्रीगेशन का प्रोग्राम ५० परसेंट बढ़ा दिया है। अब जाहिर है कि इस के लिए डीज़ल आयल की सख्त जरूरत है। सरकार ने डीजल आयल पर ड्यूटी बढ़ा दी है। एक ओर तो किसानों से यह अपील की जाती है कि वे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ायें और दूसरी ओर सरकार डीजल आयल पर टैक्स बढ़ा देती है। फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टरी के बीच कोआपरेशन दिखाई नहीं देता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं यह अमेंडमेंट लाया हूं। मैं खुद एक काश्तकार हूं और मैं जानता हूं कि डिजेल आयल पर जो टैक्स बढ़ाया गया है उस के कारण पर एकड़ प्रोड्यूस पैदा करने के लिए किसान को ३०० रुपये से ज्यादा खर्चा पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री दे० शि० पाटिल]

दूसरा अमेंडमेंट नम्बर १९ किरोसीन आयल के बारे में है। इस पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने के पक्ष में सरकार की ओर से यह दलील दी जाती है कि यह फौरेन ऐक्सचेन्ज जोकि तेल बाहर से मंगाने में खर्च होता है, उसको बचाने के लिए लगाई जाती है और सरकार नहीं चाहती है कि लोग किरोसीन को फ्यूल की तौर पर इस्तेमाल करें। अब किरोसीन पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने के लिए सरकार की ओर जो यह दलील दी जाती है तो उस संबंध में मुझे एक मराठी कहावत याद आ जाती है :—

"चोराला सोडुन सन्याशाला शिक्षा"। गरीब किसानों को इस किरोसीन आयल का उपयोग अपनी अंधेरी झोंपड़ियों को उजियाला करने के लिए करना पड़ता है इसलिए इसका भार उन गरीबों पर जाकर पड़ता है। अलबत्ता जैसा कि यह ड्यूटी लगाने के लिए दलील दी जा रही है अगर यह शहर वालों पर लगाई जाती जोकि किरोसीन आयल का उपयोग बतौर फ्यूल के करते हैं क्योंकि रोशनी के लिए तो उनके पास बिजली होती है, अगर उन पर ही यह भार डाला गया होता तो बात समझ में आ सकती थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय पुनः इन चीजों के बारे में विचार करें।

श्री बुजराज सिंह (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फाइनेंस बिल की फर्स्ट स्टेज पर बोलने का समय नहीं मिल सका इसलिए मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस समय बोलने का अवसर दिया . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को केवल २, ३ मिनट में अपनी बात कह देनी है। ज्यादा समय उन्हें नहीं मिल सकता है।

श्री बुजराज सिंह :आभार इसीलिए मैं मान रहा हूं कि मुझे कुछ अधिक समय देने की कृपा करेंगे। यह गांव वालों की समस्या है और इसे इन्हें सुनना ही चाहिए।

निवेदन यह है कि हर वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो जहां सरमायेदार अपनी तिजोरियों को सीने से लगा कर बैठते हैं इस डर से कि इस में से कुछ निकल न जाय, हमारे काश्तकार बंधु अपनी रोटियों को सीने से लगा कर बैठते हैं कि हमारी इन रोटियों में से कितनी छिनने वाली हैं? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं और हमारी सरकार भी इस को मानती है और हमारे वित्त मंत्री भी इस को मानते हैं कि जब तक हमारे काश्तकारों का स्तर बढ़ेगा नहीं तब तक इस भारतवर्ष में समाजवादी समाज की स्थापना जैसे जल्दी होनी चाहिये वैसे जल्दी हो नहीं सकेगी। इतना होने के बावजूद भी आज जो टैक्सेज लगाये जाते हैं वह सीधे तौर पर और इनडाइरेक्ट तौर पर भी ज्यादातर काश्तकारों के सिर पर गुजरते हैं।

जहां तक किरोसीन आयल पर ड्यूटी बढ़ाने की बात है, जहां गांवों में डेवलपमेंट ब्लाक्स बनाये गये हैं, गांवों का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, खेती को डेवलप करने जा रहे हैं और इस के लिए वहां किसानों को यह सिखाया जाता है कि गोबर को फेंको मत और गोबर को जलाओ मत बल्कि गोबर की खाद बनाओ और इस के अनुसार हम देखते हैं कि गाँवों में जो प्रोग्रेसिव काश्तकार हैं वह थोड़ा स्टोव इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, विक लैम्प्स और जनता लैम्प्स इस्तेमाल करने लगे हैं जो कि मिट्टी के तेल से जलते हैं, उस मिट्टी के तेल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से किसानों ने छोटी छोटी माइनर इर्रीगेशन स्कीम ५ हार्स पावर

की, ४ हार्स पावर के डिजेल इंजन लगाकर अपना इर्रीगेशन करना शुरू कर दिया है, उस डिजेल आयल के ऊपर भी टैक्स सरकार ने लगा दिया है। अब शहर वालों को तो अपनी ऐय्याशी के लिए मिट्टी का तेल चाहिये परन्तु काश्तकारों को तो अपनी झोंपड़ियों में रोशनी करने के लिए मिट्टी का तेल चाहिए तो उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। फिर हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि काश्तकारों की तरक्की हो। लेकिन देखने में यह आता है कि दुनिया में भले ही हर चीज का दाम चाहे कितना ही बढ़ जाय, कोई परेशानी नही, लेकिन गल्ले का दाम अगर एक पैसा भी बढ़ जाय तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। २०, २५ फीसदी लोगों के लिए जोकि शहरों में रहते हैं उनकी चिन्ता सरकार को बहुत रहती है क्योंकि वे ज्यादा वोकल होते हैं। लेकिन ८० फीसदी देहाती जनता जोकि गांवों में बसती है, उनकी ओर सरकार एक उपेक्षा की नीति बरतती है।

मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं। वहां पर इसी इमरजेंसी के नाम पर जनता एक कत्लेआम का सा शिकार हो रही है। जिधर जाइये, जिस सैक्शन में जाइये, हर आदमी से इस इमरजेंसी के नाम पर चन्दा वसूला जा रहा है।

इस के अलावा जो हमारा लैंड रैवेन्यू है, जिसे लगान कहते हैं, उस के ऊपर इमरजेंसी टैक्स के नाम पर २५ फीसदी की वृद्धि कर दी गई है। ४० एकड़ की सीलिंग लगाई गई है। उस वक्त जो हमारा लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स था उस को हमारी सरकार ने बन्द कर दिया था परन्तु अब फिर वह टैक्स लगा रहे हैं और वह भी टैक्स काश्तकारों को देना पड़ेगा। इस के अलावा कम्पलसरी सेविंग्स स्कीम के अन्तर्गत भी उसको पैसा देना पड़ेगा। मैं एक क्लैरिफिकेशन . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री बृजराज सिंह : दो मिनट और लूंगा। मैं वित्त मंत्री जी से इस का क्लैरिफिकेशन चाहूंगा आप ने लिखा है कि शहरी सम्पत्ति के मालिक पहले ही अपनी आय पर जिसमें शहरी सम्पत्ति की आय शामिल है कर देते हैं। तो उन्हें अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा करवाने की आवश्रकता नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उसके लिए अलग विधेयक आ रहा है। अब यदि खण्ड २६ के संशोधनों के बारे में कहना है तो कहें।

श्री बृजराज सिंह : क्या उस वक्त मुझे चांस दिया जायगा ? वैसे मैं आधे सैकण्ड में वित्त मंत्री महोदय से यह क्लैरिफिकेशन मांगना चाहूंगा और वह यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि यह जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स हमारी सरकार जिन काश्तकारों से ले रही है तो क्या वे काश्तकार आप की इस कम्पलसरी सेविंग्स डिपाजिट स्कीम से ऐग्जम्ट होंगे या नहीं। इस से उनको रिलीफ मिलेगी या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसके लिये तो अलग बिल आ रहा है।

†**श्री कृष्णपाल सिंह :** मैं इस खण्ड के रखने का विरोध करता हूं। एक ओर तो सरकार चाहती है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और दूसरी ओर ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया जाता है जिनसे कृषि उत्पादन में रुकावट पैदा होती है। डीजल आयल गाँवों में पम्प से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्णपाल सिंह]

पानी निकालने और ट्रैक्टरों आदि में प्रयोग किया जाता है। आशा है सभा वित्त मंत्री के यह खण्ड रखने की अनुमति नहीं देगी।

†श्री ब० रा० भगत : ये संशोधन तम्बाकू, मिट्टी के तेल, डीजल तेल के बारे में जिन्हें कृषि में प्रयोग किया जाता है इस खंड से सम्बन्धित हैं। वित्त मंत्री ने अनेक बार इन करों के बारे मे बताया है। अनिर्मित तम्बाकू के सम्बन्ध में सदस्यों को पता है कि बढ़िया तम्बाकू के स्थान पर घटिया तम्बाकू का प्रयोग रोकने की समस्या सदा जटिल रही है। इनके मूल्यों में बहुत अन्तर होने के कारण हाल ही के वर्षों में घटिया के स्थान पर बढ़िया का प्रयोग अत्यधिक होता रहा है और सरकार को शुल्क की बहुत हानि हुई है। संशोधन को मान लेने से ६.२ करोड़ रुपये की हानि होगी। वित्त मंत्री ने सभा की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए पहले ही १६ करोड़ रुपये की छूट दे दी है। संशोधन मानने पर तो दस वर्ष की परियोजनाओं का खर्च कैसे पूरा होगा। दूसरे सुझाव यह है कि दोनों प्रकार के तम्बाकू के मूल्यों में अन्तर कम हो। यह अन्तर अभी प्रति किलोग्राम १.४५ रुपये है। १९५७ में १.१० रुपये था। अब इस विधान से यह अन्तर १.१६ रुपये का रह जायेगा। मेरा विचार है कि सभा यह अनुभव करेगी कि प्रशासन की दृष्टि से और सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की जो हानि होती है उसकी दृष्टि से यह विधान बहुत आवश्यक है।

वित्त मंत्री ने आय-व्ययक भाषण में और अन्य अवसरों पर भी मिट्टी के तेल पर कर के बारे में भली प्रकार स्थिति स्पष्ट की है। मुख्य बात यह है कि गत कुछ वर्षों से मिट्टी के तेल का घरेलू ईंधन के रूप में अत्यधिक प्रयोग होने लगा है अब यह आवश्यक हो गया है कि तेल को कोयले की तुलना में महंगा बना दिया जाये ताकि लोग इसे घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग करना छोड़ दें। सभा को विदित है कि वित्त मंत्री ने घटिया तेल पर .५४ रुपये प्रति किलोमिटर और बढ़िया तेल पर .२७ रुपये प्रति किलोमिटर की छूट दे दी है जिससे गाँवों के लोगों की कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी जिनका पक्ष सदस्यों ने लिया है और जिनके प्रति सरकार को भी सहानुभूति है। यह कर इस लिए लगाया गया है कि विदेशी मुद्रा की बचत हो जो मिट्टी के तेल के आयात पर खर्च की जाती है और तेल का घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग न हो। सदस्यों द्वारा बताई गई कठिनाई, कर में छट देने से दूर हो चुकी है।

अब मैं अन्तिम बात को लेता हूं जिसे श्री पटेल और अन्य सदस्यों ने संशोधन संख्या १६ और १८ के बारे में उठाया था। इस बारे में समय समय पर विचार किया गया है कि कृषि ट्रैक्टरों आदि में प्रयोग के लिए विशेष प्रकार के ईंधन पर कितनी छूट दी जाय। किन्तु यह विचार छोड़ दिया गया क्योंकि राज्य सरकारों के साथ जहाँ लोकतंत्रात्मक प्रभाव अधिक होता है और उनका इसमें अधिक हाथ होता है— परमर्श के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऐसा कोई तरीका जिसे प्रशासन लागू कर सके नहीं बनाया जा सकता जिससे ईंधन के प्रयोग का निरीक्षण किया जा सके और राजस्व बचाया जा सके। अधिकांश राज्य सरकारों का जिनसे परामर्श किया गया था यही विचार है।

अधिक धनी कृषिकार ही डीजल का प्रयोग करते है। माननीय सदस्य का यह तर्क गलत है कि यदि कर न लगाया जाये तो उत्पादन लागत काम हो जायगा। आर्थिक दृष्टि से विचार किया जाये तो ऐसी भूमि बहुत ही कम है जहाँ पम्पों आदि द्वारा कृषि

†मूल अंग्रेजी में

होती है। कर से लागत में अधिकाधिक २, ३ या ४ प्रतिशत वृद्धि होगी अतः उनका उत्पादन लागत में कमी वाला तर्क मिथ्या है।

अगले सूत्र में यह कहा गया है कि मूल कर मूल्य को प्रभावित करता है और अतिरिक्त कर तेल कम्पनियों को लाभ में से देना पड़ता है। अतः उनका तथ्यों सम्बंधी तर्क भी गलत है।

कृषि को सुधारने, लाभदायक बनाने अधिक उत्पादन में कृषकों को सहायता देने में हम सब माननीय सदस्य के साथ हैं। किन्तु जैसा मैंने कहा ईंधन के प्रयोग की जाँच संभव नहीं और दूसरे राजस्व की काफी हानि होगी।

इन सब कारणों से मैं संशोधनों का विरोध करता हूं।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : मैं उपमंत्री का ध्यान एक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। संभवतः उन्होंने कहा था कि नहर द्वारा सिंचाई में डीजल का प्रयोग नहीं होता किन्तु जब लिफ्ट द्वारा सिंचाई होती है तो नहर की सिंचाई में भी डीजल का प्रयोग किया जाता है।

†**श्री पु० र० पटेल** : मैं अपने संशोधन १६ और १८ वापस लेना चाहता हूं।

†**श्री बारियर** : नहीं श्रीमान सभा अनुमति नहीं देती।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इन्हें मतदान के लिए रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४ और १५ सभा के मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

संशोधन संख्या १६ सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १३,

"पंक्तियों २७ से २९ का लोप किया जाये।" (१७)

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

पक्ष में २७ : विपक्ष में ८१

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १८ सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

संशोधन संख्या २५ सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खण्ड २६ विधेयक का अंग बने।

सभा में मत-विभाजन हुआ

पक्ष में ८९ : विपक्ष में २९

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २७--(कतिपय वस्तुओं पर विशेष उत्पादन शुल्क)

†**श्री ब० रा० भगत** : . मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४ पंक्ति ४२--

"No 34 and 37" (संख्या ३४ और ३७) के स्थान पर "No 34 and item No 37" ("संख्या ३४ और मद संख्या ३७") रखा जाये। (१०)

यह संशोधन केवल प्रारूप सम्बन्धी है। इससे यह स्पष्ट किया गया है कि पंक्ति ४१ की उपमदें (१) और (४) केवल मद संख्या ३४ से सम्बन्धित है मद संख्या ३७ से नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है।

पृष्ठ ३४ पंक्ति ४२--

"No 34 and 37" (संख्या ३४ और ३७) के स्थान पर "No 34 and item No 37" ("संख्या ३४ और मद संख्या ३७") रखा जाये। (१०)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २७, संशोधित रूप में, विधेयक, का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २८ और २९ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २८ और २९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ३०--(१९५५ के अधिनियम १६ का संशोधन)

†**श्री स०चं० सामन्त** : औषधीय तथा प्रसाधान सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १९५५ में आयुर्वेदिक दवाई मृत संजीवनी पर भी एलोपेथिक दवाइयों की तरह दवाइयों में प्रयुक्त लंदन प्रूफ स्पिरिट पर ३.८५ रुपये प्रति मिटर के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगाया गया था । अब १९६३ के विधेयक के खण्ड ३० (ग) (२क) के अनुसार आयुर्वेदिक दवाइयों पर ३.८५ रुपये की बजाय १५.५ रुपये प्रति मिटर के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगाया गया है जबकि अंग्रेजी दवाइयों पर वही पहले की दर ३.८५ रुपये प्रति

†मूल अंग्रेजी में

मिटर लागू है। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे इस भेदभाव को दूर करें मद ३(२क) का लोप किया जाये।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं श्री स० चं० सामन्त का समर्थन करता हूं। आयुर्वेदिक की तीन दवाइयों अर्थात् मृतसंजीवनी, मृतसंजीवनी सुधा और मृतसंजीवनी सुरा पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया है। यह आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं श्री स० चं० सामन्त और श्री च० का० भट्टाचार्य का समर्थन करता हूं। यदि आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रति यह भेदभाव दिखलाया गया और उन्हें वह रियायत न दी गई जो अंग्रेजी दवाइयों को प्राप्त है तो आयुर्वेदिक औषधि व्यवसाय समाप्त हो जायगा। अंग्रेजी दवाइओं में तो अल्कोहल १० से १२ प्रतिशत तक प्रयुक्त होती है अतः माननीय मंत्री इस पर विचार करें और आयुर्वेदिक दवाइयों को भी बड़ी रियायत प्रदान करें।

†**श्री ब० रा० भगत** : इस सम्बन्ध में भय नहीं होना चाहिये क्योंकि जहां तक खण्ड ३० के उपखण्ड (क) का सम्बन्ध है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सम्मान में शुल्क कम करने का उपबन्ध किया गया है। कतिपय दवाइयों को आयुर्वेदिक घोषित किया गया था। अतः उनका शुल्क कम कर के १·१० प्रति लिटर कर दिया गया है जैसाकि सब आयुर्वेदिक दवाइयों के ससबन्ध में है ना कि सब का शुल्क समान हो।

खण्ड ५१ में उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ग) को आपस में मिलाना नहीं चाहिये। खण्ड ३१ के टिप्पण में कहा गया है कि जो दवाइयां अल्कोहल के पेय के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं उनके सम्बन्ध में सीमांतिक सम्मेलन किया गया है और इन्हीं का उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : खेद की बात है कि माननीय सदस्य सुझाव को मानना नहीं चाहते। एलोपेथी की भी ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें अल्कोहलक पेय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

पहली अनुसूची

†**श्री यशपाल सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वारियर** : मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"पृष्ठ २२ में पंक्ति ३६ से ३८ के स्थान पर, निम्न रख दिया जाये :—

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

'The amount of income-tax computed at the rates hereinbefore specified shall be increased by a surcharge for purposes of the Union equal to the sum of--

(i) twenty per cent of the amount of income-tax payable by the firm on its income from any business carried on by it calculated at the rate of income-tax applicable to its total income; and

(ii) ten per cent of the amount of income-tax payable by it on its income from all sources other than from any business carried on by it calculated at the rate of income-tax applicable to its total income'."

("आय-कर की दर जैसा कि अब से पूर्व गिना जाता था, संघ के कार्यों के लिए अधिभार के रूप में बढ़ा दिया जायेगा और निम्न की राशि के बराबर होगा —

(१) फर्म द्वारा अपने किसी व्यापार पर होने वाली जांच पर दिये जाने वाले आय-कर की राशि का २० प्रतिशत, जो आय-कर इस फर्म की कुल आय पर लागू होगा. तथा ।

(२) इसके द्वारा अपने किसी व्यापर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों पर होने वाली आय पर दिये जाने वाले आय कर की राशि का १० प्रतिशत जो आय-कर इस की कुल आय पर लागू होगा ।") (११)

प्रस्तावित संशोधन आय-कर पर उस अधिभार के बारे में है, जो संघ के प्रयोजनों के लिए वित्त विधेयक द्वारा पंजीकृत फर्मों पर लगाया गया है । वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत, इस अधिकार की दर पंजीकृत फर्म के लिए २० प्रतिशत है । तथापि यह अनुभव किया गया कि वृत्तियों—लेखापालों, वादेशकों, इंजीनियरों आदि—द्वारा प्राप्त की गई आय पर रियायती दर से अधिभार लगाया जाये । इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि व्यापार आय पर अधिभार की दर आय कर का २० प्रतिशत होगा और अन्य जरियों से प्राप्त की गई आय पर १० प्रतिशत होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** पहली अनुसूची और संशोधन सदन के सामने हैं ।

†**श्री हिम्मतसिंहका :** मैं यह नहीं समझ सका कि यह सुविधा उन वृत्तियों को क्यों दी जा रही है, जो, अपना व्यापार कोई धन लगाये बिना करते हैं । जो धन लगाते हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई । यह रियायत सभी को दी जानी चाहिये, क्योंकि भागीदारों पर अलग अलग आय कर लगता है । इस लिए श्री काशीराम गुप्त का संशोधन संख्या २३ स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** माननीय सदस्य का तर्क सही नहीं है । उन को ज्ञात है कि पंजीकृत फर्म पहले ही फायदे की स्थिति में हैं, क्योंकि उन की बकाया आय पर अतिरिक्त अधिभार नहीं लगता और उन पर अधिलाभ कर भी नहीं लगता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और १२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"पृष्ठ २२, पंक्ति ३६ से ३८ के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :—

†मूल अंग्रेजी में ।

'The amount of income-tax computed at the the rate herein before specified shall be increased by a surcharge for purpose of the Union equal to the sum of---

(i) twenty percent of the amount of income-tax payble to the firm on its income from are business carried on any its by calculated at the rate of income-tax applicable to its total income; and

(ii) ten percent of the amount of incometax payable by it on its income from all sources other than from any bu iness carri d on by it calculated at the rate of income-tax appilcable to its total income.'

("आय कर की दर जैसा कि अब से पूर्व गिना जाता था, संघ के कार्यों के लिये अधिभार के रूप में बढ़ा दिया जायेगा और निम्न की राशि के बराबर होगा —

(१) फर्म द्वारा अपने किसी व्यापार पर होने वाली आय पर दिये जाने वाले आय-कर की राशि का २० प्रतिशत जो आय-कर इस फर्म की कुल आय पर लागू होगा ; तथा

(१) इसके द्वारा अपने किसी व्यापार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों पर होने वाली आय पर दिये जाने वाले आय-कर की राशि का १० प्रतिशत जो आय-कर इसकी कुल आय पर लागू होगा "।" (११)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोतित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** अब यह विधेयक पारित किया जाने लगा है । हम ने कुछ करारोपण प्रस्तावों का समर्थन किया है । और कुछ का विरोध । वित्त मंत्री अब इन्हें और घटाने के लिए तैयार नहीं है ।

मैं इस विचारधारा को नहीं मानता कि प्रतिरक्षा के लिए करारोपण होना ही नहीं चाहिये । यह तो आवश्यक है । किन्तु कोई अपव्यय नहीं होना चाहिये ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** मैंने यह नहीं कहा था कि करारोपण होना ही नहीं चाहिये । मैंने यह कहा था कि हम सरकार की नीति का विरोध करते हैं क्योंकि इस के द्वारा धनी लोगों को रियातें मिल रही हैं और गरीबों पर बोझ पड़ रहा है ।

मैं ने यह भी कहा था कि हम प्रतिरक्षा और विकास के पक्ष में हैं । किन्तु हम वित्त विधेयक में दी हुई नीति से सहमत नहीं हैं और इस का विरोध करते हैं क्योंकि यह वृद्धि पुरानी नीती है; जिसका अनुकरण किया जा रहा है ।

†**श्री रंगा :** जब हम इस विधेयक का विरोध करते हैं तो इस का अर्थ यह है कि इस सरकार को जिसमें हमें विश्वास नहीं है, कोई धन नहीं देना चाहते । यह एक विख्यात संसदीय प्रथा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

हम सोना नियन्त्रंण नीति का विरोध करते हैं, मिट्टी के तेल पर कर का विरोध करते हैं; डीजल तेल पर शुल्क का विरोध करते हैं, अधिभार का विरोध करते हैं, क्योंकि इस से मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक बुराइयां पैदा होती हैं। इस नीति से हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

माननीय मंत्री ने मेरे गम्भीर सुझवों को हंसी में टाल दिया है कि अतिरिक्त कर धीरे धीरे लगाने चाहियें। यह प्रथा सारे प्रजातंत्रात्मक देशों में है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** श्री रंगा को हक है कि वह सरकार को धन न देकर सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करें। मेरा इस बारे में उन से कोई झगड़ा नहीं। किन्तु उन्होंने यह ठीक नहीं कहा कि मैंने उन के सुझावों को हंसी में टाल दिया है। गम्भीर विचार के बाद यदि में उन्हें समझ नहीं सका तो मुझे ऐसा कहना ही पड़ेगा।

जहां तक श्री गोपालन का सम्बन्ध है, उन का कहना है कि वे प्रतिरक्षा और विकास दोनों के पक्ष में हैं, किन्तु वे चाहते हैं कि कर कम लगाये जायें यही उन के दल के काम करने का तरीका है—एक चीज के लिए हां कहना और फिर उसको क्रियान्वित करने का समय आये, तो न कहना। वे हमेशा ही ऐसा करते रहे हैं, किन्तु इस से हमें कोई हानि नहीं होगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

सभा में मतविभाजन हुआ।

पक्ष में ८९ : विपक्ष में १४

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधि-लाभ कर विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ कम्पनियों पर विशेष कर लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक सात सप्ताहों से सदन के सामने है और आय व्ययक पर चर्चा के समय इस के उपबन्धों की विशाल और बड़ी जांच की गई थी। वास्तव में तीन विधेयकों में से इस विधेयक ने सब से अधिक ध्यान आकर्षित किया है। इस के बारे में मुझे बहुत से सुझाव और प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैं इनके लिए आभारी हूं। इन पर विचार करके मैंने १६ तारीख के वक्तव्य में रियायतों की घोषणा की है। मैं उन को दोहराना नहीं चाहता।

इन रियायतों को लागू करने के लिये मैं एक सरकारी संशोधन प्रस्तुत करूगा। चूंकि इससे विभिन्न उपबन्धों में कई परिवर्तन करने पड़ेंगे, इस लिए बहुत से मौलिक और आनुषंगिक संशोधन भी करेंगे। कुछ प्रारूप सम्बन्धी संशोधन भी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिकांश मौलिक संशोधन विधेयक की पहली अनुसूची के बारे में हैं। इन को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले के अन्तर्गत आय-कर की उन मदों को जिन्हें आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत छूट मिल सकती है, अधि-लाभ कर से मुक्त किया जाये, इसके उदाहरण हैं ; नये औद्योगिक उपक्रमों और होटलों को आय-कर मुक्त केन्द्रीय राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में अंशदान तथा अन्य पूर्त दान। उन राशियों को वर्जित किया जायेगा, जिन पर आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत छूट मिल सकती है।

दूसरा संशोधन समूह उन मदों के बारे में है, जिनका सम्बन्ध देश के औद्योगिक विकास से है। इन का आशय यह है कि भारतीय लाभों में से उन लाभांशों को निकाल दिया जाये, जो कम्पनियों को भारतीय कम्पनी या किसी ऐसी कम्पनी से जो अपने लाभार्थ भारत में घोषित करती है प्राप्त होते हों और वह आज भी, जो सरकार या स्थानीय प्राधिकार या भारतीय समवाय से आधार-शुल्क के राज्य में प्राप्त हों। इस के आगे अनिवासी कम्पनियों के मामले में उन के द्वारा प्राप्त किये गये सूद को और प्रविधिक सेवाओं की फीस को, जो सरकार या स्थानीय प्राधिकार या भारतीय समवाय से प्राप्त हुई है, मुक्त किया जाये।

विदेशी ऋण और सूद की दर, सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती है और अनुमोदन के बाद सूद आय-कर और अधिभार से मुक्त होगा।

तीसरे संशोधन समूह के अन्तर्गत कुछ कटौतियों और भत्तों के उपबन्ध में हैं, जिनका आशय यह है कि कम्पनियों के पास भावी विकास के लिए पर्याप्त धन हो ताकि वे अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि बैंकिंग कम्पनियों को उन की कुल आय के १० प्रतिशत की कटौती का अधिकार होगा। १९६३-६४ के निर्धारण वर्ष के लिए जिसके लिए लेखे बन्द कर दिये गये हैं और लाभांश भी वितरित कर दिये गये हैं, इस कटौती के लिए कोई शर्तें नहीं लगाई गईं। तथापि १९६४-६५ के बाद के निर्धारण वर्षों से शर्तें लगाई जा रही हैं ताकि जितनी कटौती की जायेगी उसके बराबर की राशि निधि में जमा की जाये, जिसे कम्पनी भारत में पूंजीगत आस्तियों को उपलब्ध करने में लगायेगी या उधार के भुगतान के लिए अथवा ६ प्रतिशत से अधिक अधिमान अंशपूंजी पर व्यय के लिए खर्च करेगी, जो कि ५ वर्ष की अवधि होगी। ये शर्तें बिजली संभरण कम्पनियों पर लागू नहीं होंगी।

बैंकिंग कम्पनियों के लिए एक भिन्न उपबन्ध करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत उन्हें भारतीय लाभों में से संगत वर्ष में जमा की हुई निधियां उनकी निर्धार्य आय से काटी जा सकती है, जो कि पिछले तीन वर्षों की अधिकतम निधि से अधिक न हो। इस कटौती के लिए बैंकिंग कम्पनियों को भारत के रिजर्व बैंक से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ेगा कि निधि की राशि उचित है।

वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत अधिलाभकर के लिए भारतीय लाभों की गणना के लिए कुल आय से कटौती की जा सकती है। किन्तु अब जबकि आप और भुगतान की मदों को जिन पर कम्पनियों की कर की छूट मिल सकती है, भारतीय लाभों से वर्जित किया जायेगा, यह व्यवस्था की गई है कि कुल आय पर देय कर की शुद्ध राशि को काटने दिया गायेगा यह व्यवस्था भी की जा रही है कि जहां तक निकासी कम्पनी की विदेशी आय पर दोहरा कर लगाया गया है। भारत में भी और विदेश में भी, दो विदेशी कर की शुद्ध राशियें भी काटने दी जायेंगी।

[श्री मोरारजी देसाई]

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, वित्त विधेयक में व्यवस्था है कि उन निर्यातकों या निर्माताओं को, जो कुछ वस्तुयों को दूसरे व्यक्ति को निर्यात के लिए 'बेचते हैं,' आय कर और अधिकर की छूट दी जाये । इस छूट की राशि को भी अन्य करों के साथ कटौती के रूप में माना जायेगा ।

जिस पूंजी की राशि में से मानव कटौती का हिसाब लगाया जाता है, उसकी संगणना की सम्बन्ध में यह स्पष्ट करने के लिए उपबन्ध किया जा रहा है कि विकास छूट रक्षित निधि के पास में जो रुपया होगा, वह पूंजी का अंश माना जायेगा । अब चूंकि अन्तर्निगमित लाभांश और आय-कर प्रत्याभूतियों के ब्याज को कर लगाये जाने वाले लाभों से पृथक किया जा रहा है यह उपबन्ध किया जा रहा है कि उन में जो धन लगाया गया है, वह पूंजी से अलग होगा ।

कहा गया है कि उन कम्पनियों को थोड़ी मानक कटौती का हक होना चाहिये जिन की पूंजी थोड़ी है और जो नई हैं या जिन के पास रक्षित निधि कम है । इसलिये यह उपबन्ध किया जा रहा है कि मानक कटौती किसी समवाय की पूंजी या आरक्षित धन का ६ प्रतिशत होगी जिसकी पूंजी या आरक्षित धन ५० हजार रुपया है ।

इन रियायतों के अतिरिक्त मैं और रियायत देता हूं कि जहां अधिलाभ कर के लिए लाभ कम हो या कोई लाभ न हो, वहां राहत दी जायेगी और किसी वर्ष के लाभ का घाटा अगले ३ वर्षों के लिए गिना जायेगा । शेष संशोधन केवल स्पष्टीकरण के लिए है या प्राख्य सम्बन्धी है जिनके लिए मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं पहिली अनुसूची के नियम संख्या ३ का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके अधीन यह व्यवस्था की गयी है कि उपलब्धि, कमीशन, मनोरंजन तथा विज्ञापन के कारण हुए व्यय की उस सीमा तक अनुमति नहीं दी जाये जिस हद तक किसी मामले की परिस्थिति को विचार में रखते हुए (अर्थात् व्यय को) अधिक समझ जाये। यह उपबन्ध नया नहीं है। अधिलाभ कर और वाणिज्य लाभ कर अधिनियम में भी इस बात का उपबन्ध है । इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि वास्तविक व्यापार के प्रयोजनों से असम्बद्ध व्यय की वृद्धि को दबाया जाये क्योंकि ऐसा व्यव अंशधारियों पर पड़ेगा तथा इससे राजस्व में हानि होगी। आयकर अधिकारी इस रियायत को तभी दे सकता है जबकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से इसका आदेश ले लेवे। इस अनुमति के न दिये जाने के विरूद्ध अपील हो सकेगी ।

मैं आशा करता हूं कि प्रस्ताविक परिवर्तनों के पश्चात् अधिलाभ कर को सभा की सहमति प्राप्त हो सकेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री मोरारका** (झुंझनू) : इस विधेयक तथा अनिवार्य बचत योजना विधेयक के लिये ६ घंटों का समय दिया गया है मेरे विचार से इन दोनों के लिये पृथक समय दिया जाये।

मेरा अनुरोध यह है कि इस विधेयक के महत्व को देखते हुए इस पर चर्चा सोमवार को आरम्भ की जाये । इस पर मैं ने कुछ संशोधन भी दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वे अपने संशोधनों की सूचना सोमवार को दे सकते हैं। मैं इसके लिये विलम्ब की छूट दे दूंगा। तथा दूसरे माननीय सदस्य बोलने को इच्छुक हैं अतः इस पर चर्चा जारी रखी जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : बजट प्रस्तुत करते समय यही एक ऐसा कर था जिसको करोड़ों व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ था। उस समय श्री रेणुचक्रवर्ती ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या वे बड़े उद्योगपतियों के दबाव के आगे तो नहीं झुकेंग ? उस समय उन्होंन कहा था कि वे किसी के दवाब में नहीं आयेंगे।

अब सरकार ने जो संशोधन रखे हैं उनमें से नये उद्योगपतियों पर लगाये कर में जो छूट दी गयी है उसका मैं स्वागत करता हूं।

तथापि कम्पनियों के घाटे पर जो राहत दिये जाने का उपबन्ध किया गया है, मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण किया जाये।

मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि चीनी, लोहा, कपड़ा जूट तथा इस्पात इत्यादि उद्योगों में बहुत अधिक लाभ हो रहा है। यह लाभ कभी कभी करोड़ों तक पहुंचता है तथापि इस कर के विरुद्ध इतना शोर किया जाता है जैसे कि इस कर के लगने से ये कम्पनियां बन्द हो जायेंगी।

प्रो० हजारी ने योजना आयोग के आदेश पर देश के कई वाणिज्यिक फर्मों के कार्य के बारे में जांच की है तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

उन्होंने बिड़ला समवायों के बारे में कहा है कि इसके अन्तर्गत १८२ कम्पनियां हैं जिनकी अथिकृत पूंजी १७५ करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी ५८.३५ करोड़ रुपये है। इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा को उपलब्ध की जानी चाहिये। प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि कुछ व्यापारिक समवाय अनेक कम्पनियों का नियंत्रण कर रहे हैं तथा अत्यधिक नफा कमा रहे हैं।

लायसेंसों की संख्या से ज्ञात होता है कि औद्योगिक लायसेंस एवं बड़ी संख्या में केवल ६ व्यापारिक फर्मों को ही दिये गये हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक नीति संकल्प के बावजूद, जो कुछ सीमित हाथों में शक्ति के केन्द्रीकरण की मनाही करती है। स्पष्ट है कि एकाधिकार की वृत्ति बढ़ती जा रही है।

विधेयक में सरकारी संशोधनों द्वारा प्राइवेट खंड को बहुत की रियायतें देने का विचार किया गया है सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या इतनी अधिक रियायतों का देना आवश्यक है :

यह स्मरण रखना चाहिये कि देश में कर अपवंचन ३०० करोड़ रुपये तक होता है और बकाया आय कर की राशि लगभग १८१ करोड़ रुपये हैं। मुझे दुख है कि वित्त मंत्री जैसे व्यक्ति भी इन बड़े पूंजीपतियों के प्रभाव में आ गये हैं।

श्री हिम्मतसिंहका : (गोड्डा): मैं वित्त मंत्री को उन के द्वारा की गई रियायतों के लिये धन्यवाद देता हूं। मुझे इस बात से भी प्रसन्नता है कि सरकार ने अधिलाभकर में रियायत के लिये संशोधन रखा है तथा घाटे को आगामी तीन वर्षों तक ले जाने की व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हिम्मत सिंह का]

इस विधेयक के कई उपबन्ध जैसा कि मूलतः सभा में उसे पुरस्थापित किया गया था निगमित क्षेत्र के विकास तथा प्रगति में बाधक थे। इसी कारण सरकार ने उनमें संशोधन करने के बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाये हैं।

सभा के विरोधी दल, विशेषतः साम्यवादी दल ने यह कहा है कि हमें पश्चिमी देशों से कोई सहायता नहीं लेनी चाहिये। यह धारणा गलत है कि अन्य देशों से सहायता स्वीकार करने का मतलब देश को उन के पास गिरवी रख देना है। हमें चीन की चुनौती का सामना करने के लिये तैयारी करनी चाहिये तथा मित्र देशों से जो सहायता मिले ले लेनी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि देश में कोई प्रगति नहीं हुई है। कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कहा है कि हमारी दशा १९४७ से भी खराब है तथापि भारत रक्षित बैंक के आंकड़ों से सिद्ध है कि १९५२ में देश में कुल विनियोजित पूंजी ८९२ करोड़ थी जो १९६१ में बढ़ कर २०४९ करोड़ हो गयी। १९५२ में ५३५ करोड़ के ऋण मंजूर किये गये जो १९६१ में बढ़ कर १३२१ करोड़ हो गये। इतना होने पर भी हमारी राष्ट्रीय आय में १९६०–६१ में केवल २ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तीसरी योजना में कृषि उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम हुआ है।

मेरा विचार है कि उचित कार्यवाही करने से देश के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। उदाहरणार्थ देश में गेहूं, आलू और कपास का उत्पादन अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। कृषि उत्पादन में वृद्धि न होने का कारण यह है कि कई अधिकारी एक साथ इस कार्य को कर रहे हैं तथा राज्य भी इस विषय में उपेक्षा दिखा रहे हैं। छोटे अधिकारी भी इस विषय पर उचित ध्यान नहीं देते हैं। योजना आयोग को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये जिस से कि खाद्यान्नों के लिये देश को अनावश्यक विदेशी मुद्रा व्यय न करनी पड़े।

†**श्री र० बरुआ** (जोरहाट): मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। यह देख कर आश्चर्य होता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने अधिलाभ कर के विरुद्ध इतना जोरदार आन्दोलन किया है मानो इस विधेयक के पारित होने पर समस्त गैर-सरकारी क्षेत्र समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार की बातें ठीक नहीं हैं, सरकार को चाहिये कि इस प्रकार के प्रचार का प्रतिवाद प्रकाशित करे। तथापि लगता है कि सरकार निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकती है।

वस्तुतः जिन आधारों पर अधिलाभ कर का विरोध किया जा रहा है वे ठीक नहीं हैं। वस्तुतः वे सरकार द्वारा किया जिस समाजवादी समाज की व्यवस्था का प्रयत्न किया जा रहा है उस का विरोध करना चाहते हैं और उन्हें इस कार्य के लिये अच्छा बहाना प्राप्त हो गया है।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि देश में इस समय आपातकाल है तथा चीन न केवल हमारी स्वतंत्रता का अपहरण करना चाहता है अपितु वह हमारे आदर्शों को भी धराशायी करना चाहता है। अतः यदि हम धन को थोड़े से हाथों में केन्द्रित होने का मौका देंगे तो स्वभावतः ही चीनियों को यहां की जनता को गुमराह करने का बहुत अच्छा मौका मिल जायेगा। और वे सरकार के विरुद्ध वातावरण तैयार करेंगे।

जहां तक पूंजी के केन्द्रीकरण का प्रश्न है महालनोबिस ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के १ प्रतिशत व्यक्तियों के पास ७५ प्रतिशत सम्पत्ति है। और इसकी आधी सम्पत्ति १४०० वाणिज्यिक फर्मों के पास है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः अधिलाभकर विधेयक लाना उचित ही था वस्तुतः इसे बहुत पहिले ही लाना चाहिये था ।

यह बात गलत है कि इस से पूंजी निर्यात पर घातक प्रभाव होगा। यह बात गलत है। इतना ही नहीं, गैर-सरकारी क्षेत्र ने सरकारी क्षेत्र की भी आलोचना की है। क्योंकि उन्हें प्रैस का समर्थन प्राप्त है अतः वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि सरकारी क्षेत्र को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये। यदि ऐसा किया जायेगा तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र दुर्गापुर व भिलाई जैसी परियोजनाओं का भार वहन कर सकता है। वस्तुतः यह समझने का कोई कारण नहीं है कि इस से पूंजी निर्माण पर घातक प्रभाव होगा ।

मैं निगमित क्षेत्र से यह अनुरोध करूंगा कि वे समाजवादी ढांचे के समाज के संबंध में केवल सैद्धांतिक बातें न कहें अपितु देश में ऐसा वातावरण बनायें जहां इस प्रकार का समाज पनप सकें।

कार्य मंत्रणा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २२ अप्रैल, १९६३/२ बैशाख, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में.

शनिवार, २० अप्रैल, १९६३

३० चैत्र, १८८५ (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४७१५
(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ क की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—	
(क) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये उड़ीसा सड़क परिवहन कंपनी लिमिटेड बरहामपुर की वार्षिक प्रतिवेदन।	
(ख) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये उड़ीसा सड़क परिवहन कंपनी लिमिटेड, बरहामपुर के संचालकों को प्रतिवेदनों तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।	
(दो) उपरोक्त कंपनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा	
(तीन) उपरोक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९६०–६१ . .	४७१५
वित्त मंत्री (**श्री मोरारजी देसाई**) ने वर्ष १९६०–६१ के लिये आयव्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत किया ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	४७१६
वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने ९ अप्रैल, १९६३ को एक रेलवे पैसंजर गाड़ी पर विद्रोही नागाओं द्वारा किये गये आक्रमण के और ब्यौरे के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।	
सभा का कार्य	४७१६—१९
विधेयक पारित	४७१९—७४
१८ अप्रैल, १९६३ को प्रस्तुत किये गये वित्त विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।	

विषय पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन ४७७४--७९

वित्त मंत्री (**श्री मोरारजी देसाई**) ने प्रस्ताव किया कि अधिलाभकर विधेयक, १९६३, पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित . . . ४७७९

सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सोमवार, २२ अप्रैल, १९६३/२ वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि--

अधि-लाभ कर विधेयक, १९६३ पर अग्रेतर विचार और उसका पारित किया जाना, तथा अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर विचार ।